नवम माला,

31 मई, 1990

ज्येष्ठ, 1912 (शक

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 31 मई, 1990/10 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
28	12	"तिधि" के स्थान पर "विधि" पढ़िये।
34 64	नीचे से 2 8	"श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।
47.	11	"श्री बाबूराम परांजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव परांजपे" पढ़िये।
52	नीचे से 10	"उपसभाध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
59	4	"श्री अम्बारासु इरा" के स्थान पर "श्री अन्बारासु इरा" पढ़िये।
59	नीचे से 8	"श्री शोपत सिंह सक्कासर" के स्थान पर "श्री शोपत सिंह मक्कासर" पढ़िये।
60	7	"वतवा" के स्थान पर "बनवा" पढ़िये।
72	नीचे से 8	"ग्रह" के स्थान पर "गृह" पढ़िये।
78	15	"उपाअध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
79	नीचे से 5	"मन्त्रालत" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
82	नीचे से 7	"आलोग" के स्थान पर "आयोग" पढ़िये।
93	नीचे से 13	"प्रो०पी०के०कुरियन" के स्थान पर "प्रो०पी०जे० कुरियन" पढ़िये।
94	नीचे से 13	"प्रो०वी०जे०कुरियन" के स्थान पर "प्रो०पी०जे० कुरियन" पढ़िये।
109	नीचे से 9	"उपध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 7 दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 53 गुरुवार, 31 मई, 1990/ 10 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	12-20 और 121-124
दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 तथा दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1988 से सम्बंधित व्यापक नियम बनाने के बारे में याचिका—प्रस्तुत		
श्री राम बहादुर सिंह	...	20
नियम 115 के अधीन वक्तव्य	...	20-21
अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के 15 मई, 1990 को दिए गए गलत उत्तर के बारे में		
श्री राम सागर (सैदपुर)	...	20-21
श्री आरिफ मोहम्मद खान	...	22
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित		
(एक) नागरिकता (संशोधन) विधेयक	...	30-33
(दो) लोक दायित्व बीमा विधेयक	...	47-48
(तीन) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक	...	48
(चार) संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक	...	48-54
(पांच) राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक	...	54
(छः) दान-कर विधेयक	...	54
नियम 377 के अधीन मामले	...	54-64
(एक) कालीकट हवाई-अड्डे पर सुविधाओं में सुधार किए जाने और वहां से अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की मांग		
श्री के. मुरलीधरण	...	55

(दो) आन्ध्र प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े अनन्तपुर जिले में खनिज कच्चे माल पर आधारित सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री ए. वेंकट रेड्डी ... 55

(तीन) बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में निर्मली और सरायगढ़ के बीच बंद रेल लाइन को पुनः चालू किए जाने की मांग

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ... 56

(चार) महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिंदोरी में पेट्रोल पम्प खोले जाने की मांग

श्री हरि शंकर महाले ... 56

(पांच) बिहार में दरौंदा और महाराजगंज के बीच रेल लाइन को पुनः चालू किए जाने की मांग

श्री राम बहादुर सिंह ... 56-57

(छः) राजस्थान में पेय जल की कमी दूर करने के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... 57

(सात) बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) में पेय जल की भारी कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग

श्री राम सजीवन ... 57-58

(आठ) मुंबई में चेम्बूर टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर नया केन्द्र तत्काल खोले जाने की मांग

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता ... 58

(नौ) केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन को समय-समय पर उनके वेतनमानों में किए जाने वाले पुनरीक्षणों के अनुसार वृद्धि किए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किए जाने की मांग

श्री इरा अन्बारासु ... 59

(दस) राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब आदि के दुग्ध-उत्पादकों के लिए दूध का अधिक भाव सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री चोपता सिंह मक्कासर ... 59-60

(ग्यारह) बरेली में मौजूदा सैनिक हवाई-पट्टी के निकट हवाई-अड्डा बनवाकर उसे वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की मांग

श्री संतोष कुमार गंगवार ... 60

(बारह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दिए जाने तथा इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु दीर्घावधि योजनाएं पूरी करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लिए जाने की मांग

श्री हरपाल सिंह पंवार ... 60-61

(तेरह) बिहार में काला-बाजार को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... 61

(चौदह) मुरैना, मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल ... 61-62

(पन्द्रह) रोसेड़ा, बिहार में एक चीनी मिल तथा एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री दसई चौधरी ... 62

(सोलह) मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को तुरन्त लागू किए जाने की मांग

श्री वामनराव महाडीक ... 62-63

(सत्रह) रतलाम रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

श्री सत्यनारायण जटिया ... 63

(अठारह) सम्राट बाइसिकल फैक्टरी, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव ... 63-64

(उन्नीस) बिहार में मिथिला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री भोगेन्द्र झा ... 64

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक ... 65-72

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. उपेन्द्र ... 65 और 70-71

श्री हरीश रावत ... 66-68

श्री सुधान्त चक्रवर्ती ... 68

श्री जग पाल सिंह ... 68-79

श्री ईश्वर चौधरी ... 69

श्री पी. आर. कुमारमंगलम ... 69-70

खण्डवार विचार ... 72

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. उपेन्द्र 72

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक ... 72-77

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सुबोध कान्त सहाय ... 72,77

श्री कल्पनाथ राय ... 73

श्री दसई चौधरी 74

श्री अजय मुखोपाध्याय ... 74-75

श्री सन्तोष मोहन देव ... 75

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ... 75-76

श्री ईश्वर चौधरी ... 76-77

खंडवार विचार ... 78

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सुबोध कान्त सहाय ... 78

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक ... 78-81

विचार करने के लिए प्रस्ताव—बाद की तारीख के लिए स्थगित

जांच आयोग संशोधन विधेयक ··· 82

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार

श्री सुबोध कान्त सहाय ··· 82 और 84

प्रो. के. वी. थामस ··· 83

डा. सुधीर राय ··· 83

श्री ए. चार्ल्स ··· 83-84

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति

श्री सुबोध कान्त सहाय ··· 84

संशोधन पर विचार तथा स्वीकृति

श्री सुबोध कान्त सहाय ··· 85

संशोधित विधेयक राज्य सभा को लौटाना

श्री सुबोध कान्त सहाय ··· 86

विधान परिषद विधेयक ··· 86-90

विचार करने के लिए प्रस्ताव—बाद की तारीख के लिए स्थगित

लोकपाल विधेयक ··· 90-98

विचार करने के लिए प्रस्ताव—बाद की तारीख के लिए स्थगित

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक ··· 98-115

विचार करने के लिए प्रस्ताव—बाद की तारीख के लिए स्थगित

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक ··· 116-121

विचार करने के लिए प्रस्ताव—बाद की तारीख के लिए स्थगित

विदाई उल्लेख ··· 124-129

लोक सभा

गुरुवार, 31 मई, 1990/10 ज्येष्ठ, , 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तो काफी दिन पड़ा हुआ है, बैठिये, अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं। इतमिनान से बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने से पहले मुझे एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ विचार प्रकट करने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका इन्टरनेशनल ईश्यू जो भी है, पहले तो ऐसा करें कि हमारे सामने आज के लिये जो लैजिस्लेटिव बिजिनेस है, आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन है, इसलिये मेरा आप लोगों से कहना यह है कि इसमें जितनी छोटी-छोटी चीजें है, उनमें बहुत समय नहीं लगेगा, आपकी इजाजत से, हम लोग उन्हें पहले पारित कर लें। उसके बाद मुख्य बिलों को लेंगे। मुख्य बिलों से पहले नियम 377 के अधीन चर्चाएं और दूसरे काम हैं, उन्हें कर लेते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सारा सदन मुझसे सहमत है।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) महोदय, इनसे पहले हमें कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री कुरियन।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सबसे पहले तो मैं इस बात पर विरोध प्रकट करना चाहूँगा कि आज की कार्यसूची तथा दूसरे संसदीय पत्र समय से प्राप्त नहीं हुए। मैं प्रातः 9.00 बजे तक अपने घर पर प्रतीक्षा करता रहा परन्तु हमें पत्र प्राप्त नहीं हुए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : हमें तो वे प्राप्त ही नहीं हुए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे अभी वहीं से प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय । मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा। इसका कारण मुझे नहीं मालूम।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं भी 9.00 बजे तक घर पर था। मुझे भी संसदीय पत्रों का लिफाफा प्राप्त नहीं हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मैं मानता हूं, आप लोगों की शिकायत ठीक है। मुझे दफ्तर वाले बता रहे हैं कि रात को बिलों को सीरियल नम्बर मे लगाने के काम मे, प्रियोरिटी तय करने में कुछ देरी हो गई, यही कारण है कि आज अजेण्डा आप लोगों को देरी से मिला।

[अनुवाद]

मैं मानता हूं कि आपकी आपत्ति उचित है। हां श्री कुरियन।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, इसलिए हमें कार्यसूची देखने का समय नहीं मिला और हम तैयारी नहीं कर सके। इसलिए, इन में से बहुत से विधेयकों पर हम अपने विचार प्रकट करने की स्थिति में नहीं हैं। हम बिना विचार किए इनका समर्थन या विरोध करने की बात नहीं कह सकते। हमें इसके लिए समय चाहिए। हमें इससे वंचित किया गया है। यह तो एक बात थी। दूसरे, आपने कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में चर्चा की है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुरियन साहिब, आप सभी अनुभवी सांसद हैं। आप इन दस्तावेजों पर एक नजर डाल कर ही इस बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुभवी, मेहनती और सुविज्ञ सांसद हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि उसका पालन करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं यह मामला आपकी जानकारी में इसलिए ला रहा हूं ताकि भविष्य में ऐसा न हो। मैं किसी शिकायत नहीं कर रहा हूं। दूसरे, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की अनुमति और निर्णय आप कार्य-मंत्रणा समिति में दे चुके हैं, उनको प्रतिदिन कार्यसूची में रखा जाता है लेकिन फिर स्थगित कर दिया जाता है। हर कोई इससे सहमत होगा कि कश्मीर पर महत्वपूर्ण चर्चा और मोलवी मोहम्मद फारूख की हत्या पर चर्चा अभी बाकी है। और फिर, 'लिट्टे' की गतिविधियों पर भी चर्चा अभी बाकी है जो कि सारे राष्ट्र के लिये चिन्ता का विषय है। फिर, आयातक्षेत्र पर चर्चा अभी बाकी है, जो कि हमारे लिये ही नहीं बल्कि आपके लिए भी चिन्ता का विषय है। वे निश्चय ही अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराना चाहते हैं। महोदय, इसलिए इन

महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमें समय निकालना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सत्र के अन्तिम दिन इन सभी विषयों पर चर्चा कैसे करवाई जा सकती है। बहुत से ऐसे विधेयक जिन पर कि विचार किया जाना है। उनको सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इन सभी विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निश्चित किया जाना चाहिए। तभी हम समुचित कार्यवाही चला पायेंगे। इसके अतिरिक्त, हमें यह आश्वासन भी मिलना चाहिये कि नियम 193 के अन्तर्गत कश्मीर, 'सिट्टे' तथा नागालैण्ड पर चर्चा आज ही समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है।

महोदय, लोक सभा का वर्तमान सत्र चार दिन के लिये बढ़ाने के लिये तथा विधेयकों का पारित करवाने के लिये हमने सरकार से सहयोग किया था और अब हम इन मुद्दों पर चर्चा करवाने के लिये सरकार का सहयोग चाहते हैं जो कि हमारे विचार में राष्ट्रीय हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : महोदय, हमें भी अपने निवेदन करने का अवसर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपके नोटिस हमें विलम्ब से प्राप्त हो रहे हैं इसलिये मुझे लगता है कि शायद हमारे नोटिस आपको प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस मुझे मिल गये हैं।

श्री ए. के. राय : महोदय, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, वही मैं जान रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. के. राय : महोदय, यह बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि थोड़ा सा अलग है। महोदय सभी नियमों और कानूनों की अवहेलना करके हमें प्रतिदिन नए-नए विधेयकों के 'सेट' प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी तो इसने एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की थी और अपनी प्राथमिकताएं तय की थीं। परन्तु आश्चर्य की बात है कि जो प्राथमिकताएं तय की गई थीं, कार्यसूची से वे सब नदारद हैं। वहां पर पहली प्राथमिकता काम के अधिकार को कानूनी रूप देने की थी। महोदय, काम का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 41 में, निदेश सिद्धांतों के अन्तर्गत रखा हुआ है। परन्तु यह न्यायालय के विचार योग्य नहीं है इसलिए विधान के इस भाग को अध्याय चार से हटा कर अध्याय-तीन में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे न्यायालय के विचार योग्य बनाया जा सके और लोगों को कुछ राहत दी जा सके। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसके लिए वे वर्तमान सत्र में ही विधेयक लेकर आयेंगे यही आश्वासन बजट भाषण तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिया गया था। यही आश्वासन कुछ दिन पहले भी दिया गया था। परन्तु आज मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी हुई कि इसको प्रस्तुत करने के लिए भी कार्यसूची में नहीं रखा गया है मैं यह नहीं जानता कि इसका मसौदा भी तैयार किया गया है अथवा नहीं।

महोदय, दूसरी बात यह कि कामगारों की प्रबन्धन में भागेदारी के सम्बन्ध में केवल चार दिन पहले माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को इसी सत्र में पुरःस्थापित

तथा पारित किया जायेगा परन्तु आज मुझे पता चला है कि इसे परिचालित किया गया है, पुरः-स्थापित नहीं। परन्तु मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं अवश्य तय होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए. के. राय : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप बिना रोक टोक के बात सुनते हैं। भूमि सुधारों के सम्बन्ध में हम पहले ही विधेयक पारित कर चुके हैं। वह भी उतना ही महत्वपूर्ण था।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही यह विधेयक पारित कर चुके हैं।

श्री ए. के. राय : हां, महोदय, हम पहले ही यह विधेयक पारित कर चुके हैं। अब कामगर तथा युवक, विशेषकर बेरोजगार युवक यह जानना चाहेंगे कि उनके काम के अधिकार का क्या हुआ। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि हम जा कर उनको कुछ कह सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, महोदय, यह एक अलग परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। संसार की दो महाशक्तियों के नेता वाशिंगटन में बैठक कर रहे हैं। उनकी कोई कार्य सूची में एकीकृत जर्मनी की स्थिति पर विचार पर भी सम्मिलित है। अब यह मांग की जा रही है कि एकीकृत जर्मनी के निष्पक्ष रहना चाहिए और 'वारसा संधि' अथवा 'नाटो' का सदस्य नहीं बनना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यह एक काफी अच्छा प्रस्ताव है और एकीकृत जर्मनी के किसी भी सैनिक समझौते में बाधा डालने के किसी भी प्रयास से विश्व में चल रही शांति प्रक्रिया उलट जायेगी। इस संदर्भ में, हमारे अपने देश में शान्ति की एक काफी अच्छी परम्परा रही है। हमारे नैतिक व्यवहार से विश्व में शान्ति बनी रहेगी और एकीकृत जर्मनी तटस्थ रहेगा। महोदय, आपको भी अध्यक्ष के नाते तटस्थ जर्मनी के पक्ष में कुछ टिप्पणियां करनी चाहिए और दूसरे नेतागण भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : चौधरी जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बात है कि जर्मनी के दो हिस्से, जो परम्परा से एक थे, उनका विभाजन हो गया था, फिर से मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि विश्व की शान्ति के लिए उपयुक्त होगा, कि वे किसी पावर ब्लाक में न रहकर तटस्थ रहें। मैं तो कभी-कभी सोचता हूं कि हिन्दुस्तान 1947 में विभाजित हो गया, जो हम बात की आकांक्षा हमेशा रखते थे कि दोनों हिस्से मिल जाएं, वह चाहे कनफैडरेशन के रूप में हो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनुवाद]

श्री भागेन्द्र झा (मधुबनी) : सदन को एक संकल्प स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय। कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, आडवाणी जी कह रहे हैं कि सारे सदन की सामूहिक राय है कि यूनाईटेड जर्मनी दोनों गुट अलग न रहें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो चाहूँगा कि दुनिया में यह गुट न रहे, हरेक देश अपनी-अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करे जैसा हम कर रहे हैं। सोवियत ब्लोक में भी जो लोग मानते हैं वे सोवियत ब्लोक में न रहकर पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लाविया स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करें, मुझे तो उसमें भी खुशी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सत्र का अन्तिम दिन है और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले थे और उनको बताया था कि किस प्रकार से वे सारे जिले पिछड़े रह गए हैं। उत्तर प्रदेश का आकार इतना बड़ा है कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों को जब तक छोटे क्षेत्रों में विभाजित नहीं करते तब तक शायद उनका समुचित संतुलित विकास नहीं होगा। आज से कई साल पहले जब स्टेटस रीओरगनाईजेशन कमीशन बना था तो स्टेटस के रीओरगनाईजेशन का आधार भाषा था। समय आ गया है जब संतुलित विकास के लिये कम से कम कुछ क्षेत्रों में, जहां पर सहमति है, जैसे उतरांचल का निर्माण, जिसमे सारे हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, संथाल, परगना, छोटा नागपुर क्षेत्र में वनांचल का निर्माण बिहार को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम करेंगे तो क्षेत्र के विकास की हम अच्छी सेवा कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि सत्र के बीच में जो काल है उसका उपयोग सरकार इस पर चिन्तन करने के लिए करेगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आडवाणी जी ने जो बात उठाई, वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नेशनल फ्रंट की सरकार ने चुनाव लड़ते वक्त यह कहा कि हम उत्तर प्रदेश को विभाजन

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, इसके बाद मैं श्री सतपाल मलिक को बुलाऊंगा।

श्री हरीश रावत : छोटा नागपुर ऐरिया को भी राज्य का दर्जा देंगे। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिलाकर (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावत साहब खुद भी पहाड़ी हैं।

श्री हरीश रावत : भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अपने चुनाव में वादा किया था, घोषणा पत्र में कहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शायद मिली-जुली बात कही। आज मैं इन दोनों पार्टियों को और नेशनल फ्रंट के लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के समय लोगों

की भावना को भड़काना और भावना को भड़काने के बाद वोट लेकर उसको पूरा न करना अंबद-बस्त वादाखिलाफी है। या तो भारतीय जनता पार्टी को नेशनल फ्रंट सरकार की निन्दा करनी चाहिये नहीं तो दुमुही नीति नहीं अपनानी चाहिए कि वहां तो लोगों को भड़का रहे हैं, पंजाब से कह रहे हैं कि ऐजीटेशन करो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावत साहब, आप लिप सिमपथी से सहमति प्रकट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें और हमें बतायें कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं ? इस प्रकार की राजनीतिक कटुता को मैं उचित नहीं समझता हूं। इससे देश के अन्दर कई प्रकार के विद्वेष खड़े होंगे। मैं चाहता हूं कि राज्यों के विभाजन के पक्ष में यदि नेशनल फ्रंट की सरकार है तो उनको अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। यदि वह अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां आन्दोलन चलेगा जिस का दुष्प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। इसलिये इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि नेशनल फ्रन्ट की सरकार बड़े राज्यों के पक्ष में है या नहीं ? इसके साथ ही आप उतराखंड चाहते हैं या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : आप बतायें कि आप पूर्वांचल चाहते हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : रहा सवाल हमारी ईमानदारी का, हम आपकी ईमानदारी को टैस्ट करना चाहते हैं कि आप ईमानदार हैं या नहीं ? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अध्यक्ष महोदय, आज का जो एजेण्डा है उसमें कुछ बिल ऐसे हैं जो कि नान-कन्ट्रोवर्सियल हैं। लगभग सारे बिल ऐसे हैं जिन पर बी. ए. सी. में बात चुकी है। हमारे मित्र श्री कुमारमंगलम साहब का इस सदन में बहुत सहयोग रहा है। लेकिन जिस तरह का सहयोग रहा वह अमीर खुसरो की एक गजल का एक शेर यहां सुनना चाहता हूं :

"रकीबां गोश बर आवाज,
उदर नाजो मन तरसां,
सुखन गुफ्तन के मुश्किल बूद,
शब आये कि मन बूदम।"

इसका अर्थ भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कल रात मैं जहां था वहां दुश्मन दीवारों से कान लगाये हुये थे और वह भी कितना नखरा कर रहे थे "सुखन गफ्तन के मुश्किल बूद" बात करना और बात सुनना भी नहीं चाहते थे। सारा टाइम हल्ले में हो आया हो गया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वैसे आपको उनका सहयोग मिला है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, मिला तो है लेकिन महबूबा की तरह का मिला, बहुत नखरे के साथ मिला। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री सत्यपाल मलिक : जो नान-कन्ट्रोवर्शियल बिल हैं, जो छोटे-छोटे बिल हैं, उन्हें आज पास कर दिया जाना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक अच्छा शेर सुनाया है और मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री की इस बात के लिए अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कम से कम एक 'महबूब' का दर्जा तो दिया। यद्यपि उन्हें यह बात महसूस करनी चाहिए कि यह सभी कुछ हमारे उनके प्रति लगाव के कारण है, जिसके कारण संसदीय प्रक्रिया में मौजूद लगभग प्रत्येक सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है और सदस्यों के विचारों की अभिव्यक्ति के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। आज यह हुआ है कि अविवादास्पद विधेयकों के नाम पर वे इन विधेयकों पर प्रत्येक सदस्य के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार को रोकना चाहते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 193 के अधीन चर्चा के मूल प्रश्न पर आने से पूर्व सदन के सामने 27 मदें हैं। नियम 193 उन प्रक्रियाओं अथवा नियमों में से नहीं है जिनके द्वारा सामान्य मामले उठाये जा सकें। कश्मीर का महत्वपूर्ण मुद्दा, तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों के बारे में चर्चा और नागालैंड में राज्यपाल की कार्यवाही के बारे में नियम 184 के अधीन एक संकल्प आदि सभी ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें निर्दयता से अन्त में रख दिया गया है। इन सबसे बढ़कर स्वयं माननीय मंत्री जी के अनुसार ये अविवादास्पद विधेयक हैं। परन्तु वे इतने संगत नहीं हैं। वे संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने इस सत्र में इतने अधिक विधेयक पारित कर दिये हैं। वे तुरन्त छः विधेयक और प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे आज ही एक संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करके, इस पर बहस कराकर इसे आज ही पारित कराना चाहते हैं, यह संविधान (संशोधन) विधेयक एक नये राज्य के सृजन के सम्बन्ध में है। आप यह बात कैसे समझते हैं कि क्या आपकी बात मानेगी ? आप इस प्रकार कार्य करेंगे और इसके बाद कहते हो कि ये 'महबूब' हैं जो आपके सम्मुख उलझन पैदा कर रहे हैं। क्या हम ये बातें मूक बने सुनते रहते ? झूठ की भी एक सीमा होती है और जिस प्रकार से आरोप लगाये जा रहे हैं वे भी सत्य नहीं हैं। केवल इतना ही नहीं है परन्तु यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन के किसी भी सदस्य को प्रातः 9 बजे से पूर्व सम्बन्धित कागजात नहीं मिले थे। कागजात देर से मिले हैं। हमें कार्य सूची तक भी नहीं मिली। हम सदन में आते हैं, इसे मांगते हैं और तब कार्य-सूची मिलती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसे सभी पत्रों के साथ भेज दिया गया है। गिलोटीन के समान है। क्या यह मांगों का गिलोटीन है ? माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विधेयक के प्रस्तुत किये जाते समय प्रत्येक सदस्य को इसके बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार है, यह किसी दल का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक सदस्य प्रत्येक विधेयक की चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है और चर्चा में भाग लेना चाहता है। आप हमारी आवाज को क्यों बन्द करना चाहते हैं ? यह एक ऐसा मंच है जहां जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार है। यदि आप हमें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं तो हमारा गला घोट दीजिए और हमारे विचारों को व्यक्त मत करने दीजिए, मैं समझता हूं कि इससे लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। 'महबूब' के नाम पर मैं चर्चा करने और बहस में हिस्सा लेने के अपने संसदीय अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : कुछ बिल्स ऐसे हैं, जो बिना बहस के पास हो सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां श्री लोकनाथ चौधरी, क्या आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है ?

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : श्री सैफुद्दीन चौधरी ने जर्मन एकीकरण की चल रही प्रक्रिया का जो मामला उठाया है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। एकीकृत जर्मनी को 'नाटो, गुट के समूह का सदस्य नहीं रहना चाहिए। यदि यह 'नाटो' का सदस्य बना रहता है तो यह यूरोप और विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। अतः हम इस पर चिंता व्यक्त करते हैं और हम दूसरों के इस विचार के साथ हैं कि उसे 'नाटो' गुट का सदस्य नहीं बना रहना चाहिए।

उत्तराखंड के गठन के बारे में हम वचनबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों को अलग राज्य मिलना ही चाहिये।

दूसरा मुद्दा भी इस सदन में उठता गया है। हमने यह वादा किया है कि राज्यों का गठन भाषा और अन्य सांस्कृतिक आधार पर होता है। ऐसे विचार व्यक्त किये जा रहे है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को छोड़ दिया जाना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूँ। इस विचार के विरुद्ध मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं समझता हूँ कि अब हमें विधायी कार्य शुरू करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को सम्मिलित करने के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मणिपुर के लोग इस संबंध में बहुत दिनों से मांग करते चले आ रहे थे। अत: समय आ गया है कि सरकार उस भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। खुराना जी, आप हमको चलने दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन यह है कि इस महबूब और महबूबों के आपस में इश्क से दिल्ली बीच में आ रही है। मैं यही कहना चाहता था कि ऐसा न हो कि इस महबूब और महबूबा का आपस में षड़यन्त्र करके यह दिल्ली का बिल न आये। प्रारम्भ से ही यह कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आपको याद है, मैं यहां अनेक बार कह चुका कि बिल यहां पर लाया जाय···

अध्यक्ष महोदय : बिल आ रहा है न। बिल तो आ रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : बराबर यह कहा जाता रहा···अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिए

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे मना करूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा यह कहना है कि हमसे धोखा किया गया। बार-बार यह कहा जाता रहा है कि बिल लाया जा रहा है। यहां पर प्रधान मंत्री ने 12 अप्रैल को कहा कि दो तीन दिन के अन्दर स्टेटहुड बिल आयेगा, अभी तक कहा जाता था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं' 15 दिन पहले इन दोनों में आपस में पैक्ट हुआ और यह हुआ कि आप लास्ट में दोन दिन पहले लाइये और इस बिल को पास न करवाया जाय। यह हाऊस के एक्सटेंशन की वजह से बात नहीं हुई है मैं कहना चाहता हूं कि पैक्ट के कारण दिल्ली के बारे में जो पूरा बिल आना चाहिए था, वह पूरा बिल आना चाहिए था। परसों कहा गया कि बिल्कुल आएगा। कल भी कहा गया कि आएगा। यह ठीक है कि जितने अमेंडमेंट्स हैं, उनको पास करवा चाहिए। कम से कम सपोर्ट तो हो जायें। इसलिए मेरा कहना है कि कहा है पूरा बिल पूरा बिल है ही नहीं। कल तक यह कहा जाता रहा है कि यह बिल आएगा, मैं जानना चाहता हूं कि पूरा बिल कहां है ? (व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। बी. जे. पी. की दोमुंही नीति की एक मिसाल आज सामने आ रही है। सपोर्ट तो करेंगे जनता दल की सरकार को और इनसे ये इनके नाम पर दिल्ली के ऊपर हुकूमत करेंगे असल हुकूमत है और इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने कान्सपिरेसी की है। श्री मदन लाल खुराना की यह आदत है कि छाती पीट-पीट कर और ढोल बजा-बजाकर अपना कसूर दूसरों के जिम्मे मढ़ना। हमसे सिर्फ मुफ्ती साहब ने परसों बातचीत की है और बुनियादी बातें उन्होंने बताई थीं। इसके अलावा हमसे किसी लेवल पर कोई बातचीत नहीं की। हमारी भी इस बिल के बारे में रिजर्वेशन है। हम समझते हैं कि हमें दिल्ली के लोगों के डेवेलपमेंट के लिए फण्ड्स की एश्योरेंस चाहिए। लेकिन मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर या उससे पहले कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए इजाजत दी है। बी. जे. पी. के लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाकर दिल्ली के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वे धोखे में आने वाले नहीं हैं। हम फील करते हैं कि यह बिल अधूरा है। दिल्ली की एक्स्ट्रा-आर्डिनरी पोपूलेशन की वजह से दिल्ली का डि-लिमि-टेशन 1989 की वोटर लिस्ट के बेस पर होना चाहिए तथा और भी कई चीजें हैं जिनको देखना है। (व्यवधान) सच कड़वा होता है। (व्यवधान, मैंने कभी इन्टरप्ट नहीं किया, शान्ति से सुनिए (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मदन लाल खुराना जी की सारी बातें गलत हैं। सारी मुसीबत के लिए बी जे पी जिम्मेदार है और खास तौर से मदन लाल खुराना जी जिम्मेदार है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार पूरी तरह निष्ठा के साथ कहना चाहती है कि हम सिद्धान्ततः जो बिल इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि इनका सहयोग मिले और हम उसको पास करें। (व्यवधान) यह सही है कि पिछले तीन महीनों से हर एक स्तर के लोगों से बहस चलाई जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली वासियों की ही नहीं है। इस लिए सारे लोगों को सहमत कराने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान) इन दृष्टिकोण से आप से भी बातचीत की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय भगत जी और खुराना जी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चाहिए यह कि मामले का सामना करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री साठे।

श्री वसंत साठे : सदन की कार्यवाही के संबंध में मैं नियम 376 (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अब यहां विधेयक आ गया है और हमें 9.30 बजे अपनी आम बैठक में शामिल होने के लिये जाना होता है। हमें लिफाफा नहीं मिला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, आपके आने के पहले कुरीयन साहब आपके दल की ओर से उठा चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं, तो मैं कैसे मना करूं आप बैठ जायें। वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवस्था)

श्री वसंत साठे : मैं यह सवाल उठा रहा हूं क्या यह कब भी एग्रीमेंट हो गया, आज तक बहुत से रूल रिलैक्स करते रहे कि दो दिन का नोटिस नहीं होना, पन्द्रह दिन का नोटिस नहीं होना वह ठीक है कि अर्जेंसी है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप हमको वह बिल भी नहीं बतायेंगे, कागजात भी नहीं देंगे और इन्ट्रोड्यूस बिल किए जा रहे हैं। हम पढ़ भी नहीं पायेंगे, हम किस के ऊपर रिऐक्शन देंगे और अमेंडमेंटस क्या देंगे, बाद क्या करेंगे और हमें अब कह रहे हैं कि आप माफ कर दें रूल्स को। अमेंडमेंट भी यहीं दे दीजिये विचार भी यहीं कर लीजिये, पास भी यहीं कर लीजिए, मेरी समझ में नहीं आता, यह पार्लियामेंट चलाने का क्या तरीका है ? अध्यक्ष जी, एक तो आपसे कल से हम कह रहे हैं कि हमने इतना सहयोग दिया, अभी तक कोई कागजातों की बात नहीं की। (व्यवधान) अर्जेंट मेटर, जो हाफ डिसकसूड है, उनकी बात अभी तक आपने नहीं की और केवल एक किसी के दबाव के नीचे आकर आपके होम मिनिस्टर साहब कह दें कि हम निष्ठा से ये ला रहे हैं और कंसीडरेशन भी आज, पासिंग भी आज, उसी के साथ-साथ यह बिल्कुल नियमों के खिलाफ है और हम इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं दे सकते। हम आपको साफ कहते हैं कि दिल्ली का सवाल हमको उतना ही प्यारा है, जितना आपको है। ये इन्होंने कहा, मियां-बीबी के बीच तवायफ क्यों छाती पीट रही है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो तवायफ शब्द इस्तेमाल किया है, वह किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : तवायफ कहना संसदीय शब्द नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, आपके अधिकार को हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस वास्ते आप भाषण दे सकते हैं .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इजाजत नहीं दिया, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री पांजा, श्री अकबर, क्या आप कृपया बैठेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : इस सत्र की यह अन्तिम बैठक है। यह सदन की परम्परा रही है कि सत्र के अन्तिम दिन सदस्यों को यह अनुमति दी जाती है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों उस दिन उठाएं। अत: मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप उन परम्पराओं का उल्लंघन न करें या उन्हें न तोड़ें तथा सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दें क्योंकि ये मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, मैंने आपको कह दिया है। आप कृपया बैठ जाएं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुद्दों को उठाने के लिए कृपया बारी-बारी से अनुमति दें जो कि सदन की परम्परा रही है (व्यवधान)

डा. तम्बि दुरै (करूर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि जो कुरियन साहब ने कहा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि 377 हम लोग लेंगे। ये जो तीन बिल हैं, इनके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है। आपके अधिकारों को हनन करने का कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री तम्बि दुरै की बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

डा. तम्बि दुरै : महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने सभा के कार्य अर्थात विधेयकों के प्रस्तुत करने तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में मामले उठाए हैं। मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की इसमें रुचि है तथा हम भी इसका विरोध नहीं करते हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार

किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक सदस्य को बोलने और संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।

महोदय, पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने की उन्हें चिंता नहीं है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कहा है कि वे पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं परन्तु वे केवल दिल्ली की ही चिंता कर रहे हैं। और पांडिचेरी के बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः हमें इस पर ध्यान पूर्वक विचार करना होगा। मैं ऐसा करने का निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जो फिरोजपुर में कल दस व्यक्तियों से अधिक की हत्या तथा पंजाब में लगभग 25 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर में भी (व्यवधान)। महोदय, मैं अन्य महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। जम्मू और कश्मीर में भी हत्याएं हो रही हैं। (व्यवधान) क्या आप यह व्यवस्था देंगे कि आप नियम 193 के तहत सबसे पहले कश्मीर पर चर्चा कराने जा रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में पहले से ही शामिल है।

(व्यवधान)

श्री. पी. आर. कुमारमंगलम : पहले हम यह जान लें कि क्या सरकार को इस पर पहले चर्चा कराए जाने पर कोई आपत्ति है या नहीं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

———

11.37 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

कयर बोर्ड, कोचीन का 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितम्बर, 1989 तक की अवधि का अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : मैं कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोचीन के 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितम्बर, 1989 तक की अवधि के अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी. 1108/90]

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण, पटसन विनिर्मिति विकास परिषद कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (चो. जगदीप धनखड़) : श्री शरद यादव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1109/90]

(ख) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1110/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1109-1110/90]

(3) (एक) पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1111/90]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 11)—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा) लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गये। देखिये संख्या एल. टी. 1112/90]

रेल सुरक्षा आयोग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के 15 मई, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1112-क/90]

(2) (एक) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में श्री राम सागर (सैदपुर) द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के 15 मई, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1113/90]

वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम 1989 और इन नियमों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचना भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : श्री उन्नीकृष्णन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम, 1989, जो 4 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 424 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिये संख्या एल. टी. 1114/90]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 1.4 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1041 (अ) जो 5 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता तथा पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 1989 का अनुमोदन किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1115/90]

(4) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1116/90]

(5) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रः को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1117/90]

जंगलों के निर्धारण के बारे में अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : श्री मुरासोली मारन की ओर से मैं अधिसूचना संख्या 120, जो 30 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जंगलों के निर्धारण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1118/90]

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद वर्ष 1987-88 तथा क्षेत्रीय कैंसर निदेशालय का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1119/90]

(3) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1120/90]

(5) (एक) भारतीय औषधशाला परिषद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औषधशाला परिषद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 1121/90]

(7) (एक) भारतीय औषधशाला परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औषधशाला परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1122/90]

(9) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1123/90]

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री. जगदीप धनखड़) : श्री चिमनभाई मेहता की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1124/90]

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1989, जो 2 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. का. नि. 885 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम 1989, जो 2 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. का. नि. 886 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1989, जो 2 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 887 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की निरर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 1 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. का. नि. 888 में प्रकाशित हुए थे।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का. आ. 393(अ) जो 31 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आठ सदस्यों की तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का. आ. 640 (अ), जो 11 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री के. पी. गीताकृष्णन सचिव (व्यय) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नियुक्त करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1125/90]

पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1126/90]

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर के वर्ष 1985-86 और 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : श्री नीतीश कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1985-86 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1127/90]

नेशनल इंस्टीट्यूट फार एन्टरप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डिवेलपमेंट, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट फार एंटरप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डिवेलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट फार एंटरप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डिवेलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1128/90]

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 3/89, जो 22 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम साधारण विनियम, 1982 के विनियम 20(एक) और 21 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 4/89, जो 22 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 4,9 और 13 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। तथा उसका

एक शुद्धि-पत्र, जो 12 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उस अधिसूचना की एक प्रति (हिंदी संस्करण), जो 7 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 12 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सी पी चार/1(12)85 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1/89, जो 30 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विनियम 49(4), 51(2), विनियम 51(2) का स्पष्टीकरण (क) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी विनियम 1974 का "नोट" 51(3) तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रबंध (निदेशकों की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 1957 का विनियम 3(2) (ख) (दो) और विनियम 4(च) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1129/90]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम १९५८ तथा दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, १९८८ से संबंधित व्यापक नियम बनाने के बारे में याचिका

11.39 म. पू.

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (महाराजगंज) : मैं दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 तथा दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1988 से संबंधित व्यापक नियम बनाने के बारे में सोसाइटी फार फेयर लाज एण्ड जस्टिस, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली के संगठन सचिव श्री डी एस बावा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

11.39½ म. पू.

नियम ११५ के अधीन वक्तव्य

[अनुवाद]

तारांकित प्रश्न संख्या 8691 के 15 मई, 1990 को दिए गए गलत उत्तर के बारे में

श्री राम सागर (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निदेश 115 के अधीन निम्नलिखित एक वक्तव्य देता हूं :—

15 मई, 1990 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री, श्री आरिफ मोहम्मद खान ने अपने उत्तर में बताया था कि सैदपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के अन्तर्गत आता है। यह उत्तर भ्रामक और गलत है। सैदपुर निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी जनपदों के अन्तर्गत आता है। इस तथ्य को ध्यानमें रखते हुए इस उत्तर को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : उत्तर के भाग "क" के दूसरे भाग को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

यद्यपि जौनपुर, गाजीपुर तथा वाराणसी जिलों जिनमें सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आता है में 28.2.1990 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या इस प्रकार है :—

जिला	गांवों की कुल संख्या	28.2.1990 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
जौनपुर	3245	2873
गाजीपुर	2540	2543*
वाराणसी	3662	2533

* 3 अनक्वालिफाइड गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।"

सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन जिलों का क्षेत्र शामिल है, के बारे में प्रश्न का उत्तर देते समय जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

भूल के लिये खेद है।

——— ·——

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आओ हम श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय आज अन्तिम दिन है। मुश्किल से हमारे पास छः घण्टों का समय बचा है। कार्यसूची में इतने अधिक मामलों का वर्णन है। हम यह जानना चाहते हैं कि हम कितने मामलों पर चर्चा कर सकते हैं और कौन से मामले वास्तव में उठाऐ जाने चाहिए। स्पष्टतया, सभी पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए, यदि हम आपके मार्ग दर्शन से परस्पर यह निर्णय कर लें कि कौन से मामलों को लिया जाना चाहिए, तो इससे प्रत्येक को सहायता मिलेगी। हमें यह देखना चाहिए कि आज विवादग्रस्त मामले पारित नहीं किए जाने चाहिए

ताकि ऐसी कोई भावना उत्पन्न न हो कि किसी को और प्रत्येक को जो कुछ वे कहना चाहते थे, कहने की अनुमति नहीं दी गई।

दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पूरक विधान लाना है। पूरक विधान के बिना, इसको लागू नहीं किया जा सकता। यदि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है. तो स्पष्ट है कि उस पर विचार किए बिना इसको नहीं किया जा सकता ? हमारे पास लक्ष्य और कारणों संबंधी विवरण पत्र में वर्णित अन्य विधेयक की रचना होनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है, कि उक्त विधेयक है। इसलिए, मैं यह सुझाव दे रहा था, कृपया इसे इंगित करें ताकि हम शेष छः घंटों में क्रमबद्ध कार्य कर सकें। कौन से विधेयक किए जायेंगे ? क्या नियम 193 के अन्तर्गत कोई चर्चा की जाएगी ? कृपया इसकी जानकारी दें ताकि हम सभी मामलों को पारित करने जो सम्भव नहीं है, की कोशिश करने की अपेक्षा हम अपने संसद सदस्यों को उसके लिए भी तैयार कर सकें।

हम प्रसार भारती विधेयक को भी पारित करना चाहते थे परन्तु इतने अधिक संशोधन है। (व्यवधान) यह गैर-विवादग्रस्त विधेयक नहीं है। यद्यपि हम सभी विधान के उद्देश्य से सहमत है, लेकिन इसको सर्वोत्तम ढंग से कैसे बनाया जाना है, प्रसार निगम का गठन कैसे किया जाना चाहिए, उक्त विषयों पर संसद सदस्य बोलना चाहेंगे। इतने अधिक संशोधन है। इसलिए कृपया आप जानकारी दें ताकि हम अपने मसलों को भी नियमित कर सकें और यह निर्णय कर सकें कि कितने वक्ता होंगे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दिनेश सिंह का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नानी बाबू आप बैठ जाईये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कृपया इंगित करें...

अध्यक्ष महोदय : यही सरकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमारा मार्ग दर्शन करेंगे। कृपया बताईये, यह कार्य सूची है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रताप गढ़) : मैं अपने दल से संबंधित अपने सहयोगियों द्वारा पहले ही

उठाए गए मुद्दों को पुनः उठाना नहीं चाहता। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस सत्र के अंतिम दिन कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : कम से कम अन्तिम दिन...

श्री दिनेश सिंह : यह आवश्यक है कि हम यह महसूस करें कि सभा केवल तभी व्यवस्थित ढंग से चल सकती है जब अन्य दलों और सरकार से कुछ सहयोग मिले और यह कि श्री आडवाणी ने व्यवस्था का यह प्रश्न अन्तिम दिन उठाया। इस सदन में व्यवस्था सम्भव नहीं रही है क्योंकि सरकार द्वारा विपक्ष के आवेग और आवश्यकताओं के प्रति सम्मान की पूर्णतया कमी रही है। मैं नहीं जानता कि इससे श्री आडवाणी और अन्य मित्रों की आवश्यकताएँ पूरी हुई हैं। लेकिन मेरे पक्ष से, हम कह सकते हैं कि जिस ढंग से यह सत्र चला है, वह हमारे लिए अत्यधिक असन्तोष-जनक रहा है।

हमारे यहाँ एक केबिनेट संसदीय कार्य मंत्री हैं। अब उसकी सहायता के लिए अब एक योग्य सहायक राज्य मंत्री भी बनाया गया है। हमने आशा की थी कि सभा में अब कोई व्यवस्था उभरेगी। लेकिन व्यवस्था की अपेक्षा, मैं अधिक से अधिक अव्यवस्था उभरते देखता हूं।

अब, क्या वह पूरी ईमानदारी से यह कह सकते है कि क्या उन्होंने जो सब यहां उठाया है उसे पारित करने के बजाय उसका उल्लेख भी किया जा सकता है? उस पर विचार करने की बात ही अलग है।

हमें इस सभा को एक उपहास की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ गम्भीरता अवश्य होनी चाहिए। नियम 193 के अंतर्गत हमे दो मदो पर चर्चा करनी है। हमें एक प्रस्ताव पर भी चर्चा करनी है। वे पहले हो बट गये है। प्रतिदिन वे स्थगित करते रहते हैं। हम जो कुछ कहने का प्रयत्न कर रहे है उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। यदि सदन इस ढंग से कार्य करेगा तो हमारे लिए सहयोग करना बहुत कठिन होगा। इस स्थिति में, हमारे लिए सहयोग करना कठिन रहा है ..

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप जानते हैं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। सोमनाथ जी उत्तरदायी हैं। यदि वे इस तरह बीच में नहीं बोलते, तो सदन ने अधिक अच्छे ढंग से कार्य किया होता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी गतस्व सुभाराश्य, आगे के लिए देखिए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : यह भविष्य के लिए ही है कि मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को जो सभी दल चाहते हैं उसके प्रति थोड़ा उत्तरदायी होना चाहिए। हमें इस सदन में बोलने का अवसर दिया जाना है, इस तरह दबाया नहीं जाना है। महत्वपूर्ण विधेयक लाये जाते हैं। मेरे विचार से उन पर

यहां तक की संक्षिप्त चर्चा भी नहीं हो सकती। फिर, अब क्या मुद्दा है ? उनकी अपने सहयोगियों के साथ अपनी समस्याएं हो सकती है और वे यह दिखाना चाहते हैं कि अपनी प्रतिबद्धता के कारण, उन्होंने यह विधेयक कार्य सूची में रख दिया है। परन्तु हमें संसद को एक उपहास जनक वस्तु नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं अपने माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहले कश्मीर से संबंधित नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाए, फिर नागालैण्ड से संबंधित प्रस्ताव पर और फिर नियम 193 के अन्तर्गत तमिलनाडू में एल. टी. टी. ई. की गतिविधियों पर चर्चा, और उसके बाद, हम देखेंगे कि क्या सम्भव है और क्या सम्भव नहीं है (व्यवधान) महोदय, हमें बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए। क्या माननीय मंत्री, अपनी हंसी से, यह कहना चाहते हैं कि वह इस पर चर्चा नहीं होने देंगे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप सोमनाथ बाबू से सहमत हैं, मेरे विचार से, इसकी ओर ध्यान देना संसदीय कार्य मंत्री पर निर्भर है। मेरे विचार से इस से समस्या का समाधान हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अब हमारा केवल यह मुद्दा है, जो सोमनाथ जी ने भी उठाया था, कि हम संसदीय कार्य मंत्री से सहयोगियों से विचार विमर्श करने की उपेक्षा करते हैं (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ने एक बात छोड़ दी है। आपने बोफोर्स दस्तावेजों का संदर्भ नहीं दिया है। आपने इसका वर्णन नहीं किया है। क्या आप भूल गये या और कोई बात है?

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : सोमनाथ जी स्वयं सुझाव दे रहे हैं, उस तरीके को जानते हुए

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमें अपना सहयोग दीजिए। (व्यवधान)

श्रीपाल आर. मन्टोष (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक नए सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्रीपाल आर. मन्टोष : कांग्रेस असम्बद्ध मामलें उठाकर और सरकारी कार्य को करने न देकर सभा का समय बर्बाद कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया आपने स्थान पर बैठ जाईये। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, दोनों पक्षों में काफी सहयोग है और मेरे मत से इससे समस्या का समाधान हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अतः, मैं जो कुछ सोमनाथ जी ने कहा है, केवल उसी की पुनरावृत्ति कर रहा हूं सत्कार और इसमें समर्थन की प्रकृति के कारण, महोदय, आपकी सहायता आवश्यक है

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझसे बुलवाओं मत। वह मेरे कथन का गलत अर्थ लगाने का प्रयत्न कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उसने कहा है कि वह आपसे सहमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह के बाद, मैं संसदीय कार्य मंत्री को बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरीके से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही चलानी आती है। यदि वह श्री दिनेश सिंह के कथन पर कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसे अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सदन की कार्यवाही चलाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

शंकरानन्द जी, जब समय आयेगा तो मैं दूंगा। इसका अभी कोई सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर काफी सहयोग है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को सुनना चाहता हूं, और फिर, मैं समझता हूं, सभा के कार्य को चलाने के लिए दोनों पक्षों में सहमति होगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : सबसे पहले मैं अपने मित्र, दिनेश सिंह द्वारा कार्य [illegible] लगाये गये [illegible] पर खेद प्रकट करता हूं (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मैंने आपको बधाई दी है।

श्री पी. उपेन्द्र : परन्तु जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री या उसमें सहयोगी केवल सदन के कार्य की योजना बना सकते हैं. उन्हें सदन के सदस्यों के व्यवहार और यहां होने वाले

के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हमारी वक्तता सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर करती है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। उन्हें अपनी बात पूरी कहने दो। कृपया कोई व्यवधान न डालें।

श्री पी. उपेन्द्र : दिल्ली से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ कर अन्य सभी कार्यों की कार्य मंत्रणा समिति में योजना बनाई गई थी। समय दिया गया था और इस बात पर सहमति हुई थी कि पहले दो दिन का समय संविधान संशोधन विधेयक को पास करने पर दिया जाएगा, और यदि परसों विधेयक पास कर दिया गया होता तो मेरी समय-सारिणी सही साबित हुई होती और हम इस कार्य को कल और आज के समय में पूरा कर चुके होते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्ष को संबोधित कीजिए, आप लोग भी कृपया इन्हें बोलने दें तथा बीच में बाधा न पहुंचाएं।

श्री पी. उपेन्द्र : कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन दिनों हम शाम आठ बजे तक या इसके बाद भी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए बैठेंगे, इस पर सहमति भी हो गई थी तथा तदनुसार हमने कार्य योजना भी बनाई थी। परसों उस समय सब कुछ उलट पलट हो गया जब संविधान संशोधन विधेयक पर होने वाले मतदान को स्थगित करना पड़ा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया आगे बढ़ें तथा व्यवधान उत्पन्न न करें, वह आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं तथा अपनी बात कह रहे हैं,

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मुझे पूरी बात कहने दीजिए आप बाद में बोल सकते हैं।

उसी प्रकार नियम 193 तथा 184 के तहत मदों पर की गई चर्चा भी उसी दिन समाप्त हो जानी चाहिए थी, उन्हें बाद की चर्चा के लिए रख लिया गया है। चूंकि, हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं अतः, हमने उन्हें आज होने वाली चर्चा में शामिल कर लिया है।

प्रत्येक विधायक महत्वपूर्ण तथा जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : वे विधायक कौन-कौन से हैं ?

श्री पी. उपेन्द्र : सभी विधेयक को आज के लिए ही कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है। और उनमें से शुरुआत के कुछ मदों पर कोई विस्तृत चर्चा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरणार्थ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं हो सकता है यह आपकी राय से भिन्न हो।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, वह सदन के नियमों को नहीं बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अजीत बाबू यह केवल आपकी सहमति से ही किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मद सं. 20 से संबंधित केवल एक छोटा सा संशोधन है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सदन को इससे अवगत कराएं जिससे कि हम इसके बारे में कुछ जान सकें ।

श्री पी. उपेन्द्र : यह मद राज्य सभा के सभापति को दैनिक भत्ते के भुगतान से संबंधित संशोधन है । यह बहुत छोटा विधेयक है । आप इस इसकी चर्चा के लिए समय का निर्धारण कर सकते हैं, मैं सदन को केवल अपना सुझाव दे रहा हूँ ।

मद सं. 21 राष्ट्रपति की कुल परिलब्धियों तथा पेंशन में वृद्धि से सम्बन्धित है । यह भी एक बहुत छोटा विधेयक है, न कि कोई विवादास्पद विधेयक ।

अगला मद विधेयक के राष्ट्रीय महिला आयोग गठित करने से संबंधित है जिस पर चर्चा कल से ही शुरू की जा चुकी है । इसके लिए जो भी समय दिया गया है, उसी में आप इस पर विचार विमर्श कर इसे पारित कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द (चिक्कोडी) : महोदय, यह आवश्यक रूप से सदन का वक्त बरबाद कर रहे हैं इन्हें यह सारी खानापूर्ति कल ही कर लेनी चाहिए थी और हम से कल ही सलाह-मशवरा कर लेना चाहिए था ।

श्री पी. उपेन्द्र : जी हां, मैंने यह सब कल ही कर लिया था (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम मंत्री महोदय की बात सुनना चाहते हैं । आप लोग उन्हें बोलने क्यों नहीं देते हैं ? (व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : आप नाराज क्यों होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह नाराज नहीं हैं । वह ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, वह नए-नए संसद सदस्य बने हैं । उन्हें यह पता नहीं है कि वरिष्ठ सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है । इन्हें संसद के तौर-तरीकों के साथ साथ बहुत सारी चीजों को सीखना होगा । आखिर इस सदन की कोई गरिमा है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मद संख्या 23 एक संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है जिसे लोक सभा ने पहले ही पारित कर राज्य सभा में भेज दिया था । जांच आयोग की रिपोर्ट को लोक सभा के समक्ष रखे जाने से संबंधित है । राज्य सभा ने इस विधेयक को थोड़े बहुत संशोधन के साथ लोक सभा को लौटा दिया है । मैं नहीं समझता कि इस पर अब और समय लगेगा ।

मद संख्या 24 जिसके बारे में विरोधी दल काफी उत्सुक है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विधान परिषद के गठन से संबंधित है।

श्री आर. मुथिया (पेरियाकुलम) : यह सब आपने अपने लिए किया है। आपने अपने हित के लिए इस विधेयक में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों को एक साथ शामिल कर लिया है। यह तमिलनाडु की जन-इच्छा के विपरीत है। यह जन-विरोधी, लोक तंत्र विरोधी है तथा हम इसका विरोध करते हैं यह मत कहिये कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों का कहना है कि उन्हें इस विधेयक में कोई रुचि नहीं है।

श्री पी. उपेन्द्र : मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे संयुक्त निवेदन प्राप्त हुआ है। मैं हर व्यक्ति को सहमत होने के लिए विवश नहीं कर सकता। महोदय, इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और अब इसे लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है

(व्यवधान)

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि विचारों में मतभेद है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक ही राजनीति दल के संसद सदस्य यहां दूसरी बात करते हैं और राज्य सभा में दूसरी यही विधेयक दूसरे सदन में सर्व सम्मति से पारित कर दिया था। निश्चय ही, यह उनका अपना निर्णय है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन (तिरुनेलवली) : इस विधेयक को अल्पमत सरकार द्वारा लाया गया है, श्री करुणानिधि को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। विधेयक तमिलनाडु की जन-इच्छा के प्रतिकूल है। विधेयक में तमिलनाडु में विधान परिषद के गठन की बात कही गयी है जो तमिल लोगों की इच्छा के खिलाफ है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य से संबंधित विधेयकों का उल्लेख किया है। महोदय, यह उचित नहीं है। हम राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा सचिवालय को विवाद के घेरे में नहीं लाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मैं केवल यह बता रहा था कि इस मद को सदन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध तथा दूसरे सदन में विरोधी दल के अन्य सदस्य के अनुरोध पर रखा गया है। यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इस पर एक नजर डालें : यदि उनमें से कुछ इसका विरोध करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। दूसरे सदन में इसे बहुत सीमित समय में पारित कर दिया गया था। हमें तीन विधेयक पास करने है-लोकपाल विधेयक, प्रसार भारती विधेयक और दिल्ली से संबंधित विधेयक।

अगर सदन इच्छुक है और सभी दल अपना समर्थन तथा सहयोग दें तो हम इन कार्यों को देर रात-पूर्व में ऐसे अवसर आए हैं जब सदन की बैठक रात भर चली और कार्य का निपटान किया गया तक अथवा जरुरत पड़े तो सुबह तक सदन में बैठकर निपटा सकते हैं :

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं. माननीय उपेन्द्र जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि संविधान संशोधन विधेयक परसों हमारे असहयोग के कारण नहीं पास हो सका और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन सचाई यह है कि विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की कम से कम संख्या 274 को भी वह अपने पक्ष में नहीं जुटा सके। इसीलिये विधेयक पास नहीं हो सका···

अध्यक्ष महोदय। अब यह सब समाप्त हुआ। प्रो. कुरियन, हमें सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : विधेयक को कल तक के लिये स्थगित करने में हमारा कोई दोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आइए, आगे की तरफ बढ़ें न कि बीती बातों पर समय गंवाएं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : इसके लिये उन्हें स्वयं को जिम्मेदार मानना चाहिये। वह हमें क्यों दोषी ठहराते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, मैं समझता हूं कि अब सदन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ाई जायें।

श्री एम. जे. अकबर : महोदय (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। दिनेश जी, क्या मैं आगे जारी रख सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : महोदय, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य बातों से संबंधित विधेयकों का जिक्र कर रहे थे। इससे ठीक धारणा नहीं बनेगी। हम इसके विरोध में नहीं है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह है कि नियम 193 और 184 के तहत पहले मामलों पर चर्चा की जाए, तत्पश्चात हम विधेयकों को पारित कर दिया जाए। अन्यथा हम सहयोग नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

जो सदस्य पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो सदय विधेयक के विरोध में हों वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि 'हां' करने वालों की संख्या ज्यादा है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : 'नही' कहने वालों की संख्या ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदयः दीर्घाएं खाली कर दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। श्री कुमारमंगलम ने विधेयक को पुनः-स्थापन करने का विरोध करने के लिये सूचना दी है। विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के बारे में उन्होंने अपनी आपत्ति की सूचना दे दी है···

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : हमने इस पर ध्वनि मत करवाया है। उन्होंने इसकी मांग की थी और आपने इसे स्वीकार किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी जानकारी में नहीं आया था।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : इस पर मत विभाजन करवा लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या उन्होंने सूचना दी है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने लोबीज खुलवा दिया है।

*दिनांक 31-5-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग खंड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अब मैं श्री कुमारमंगलम को विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करने का अवसर देता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाईये। अब श्री कुमारमंगलम बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. आर. कुमारमंगलम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आज मध्याह्न पश्चात् तीन बजे तक अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देने से पूर्व शर्त लगा रहे हैं (व्यवधान) पहले आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) मैंने आपको सूचना दी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने विधेयक में पुरःस्थापन का विरोध करने के संबंध में सूचना दी है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा यदि आप कोई अन्य असंगत मामला उठायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको केवल आपके द्वारा दी गई सूचना पर बोलने की ही अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : नियमों के अंतर्गत, जब तक आप सभी सदस्यों की आपत्ति को नहीं सुन लेते, आप इस पर सदन में मतदान नहीं करवा सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सुबह सूचना नहीं दी थी।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : आज सुबह हमें कार्यसूची प्राप्त नहीं हुई है। प्रत्येक सदस्य को सुबह कार्यसूची दी जाती है। हम इसे सुबह कैसे दे सकते थे ? मैंने आपके कक्ष में कार्यसूची देखने

के पश्चात् आपके कमरे में अपनी सूचना दी थी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य को विधेयक के पुरःस्थापन पर आपत्ति उठाये जाने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैं इसे नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अन्यथा, यह प्रकृति के न्याय के सिद्धांतों उल्लंघन का होगा। आप निष्पक्ष अवसर नहीं दे रहे है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : मैंने पाया है कि विधेयक के पुरःस्थापन पर अपनी आपत्ति उठाने के लिये आप हमारे सदस्यों को अनुमति नहीं देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे लिखित में नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : हमें प्रातः कागजात प्राप्त नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : हम सुबह कागजात प्राप्त नहीं हुये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल आपके द्वारा दी गई सूचना पर बोलने की अनुमति दे सकता हूं। आप अपने संशोधन आज मध्याह्न पश्चात 3 00 तक दे सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आज हमें सुबह कार्यसूची नहीं मिली है।

[हिन्दी]

हमें सुबह से एक कागज भी नहीं मिला है जबकि वह हम से देने का वायदा किया गया था। आखिर आप हम से क्या सहयोग चाहते हैं। आप हाउस को एडजर्न कर दीजिये और हमें पहले कागजात दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें देर हो गई है तो मैं इसे देखता हूं। सभी कागजात बांट दिये गये हैं। आप अपना संशोधन आज दोपहर तीन बजे तक दे सकते हैं।

(व्यवधान)

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : उन्होंने मत विभाजन कराने की मांग की है। आप उसी के अनुसार कार्य करिए (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हमें आज सुबह कागजात नहीं दिये गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुमारमंगलम को उनकी सूचना पर बोलने का अवसर दिया है। चूंकि वह नहीं बोल रहे हैं, मुझे विधेयक पर आगे चर्चा करनी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल चौधरी, आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संसद के विनम्र सदस्य हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। मैं आपसे आपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : इसे कार्य मंत्रणा-समिति के सामने रखिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुबोधकांत सहाय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

[अनुवाद]

(व्यवधान)

[इस समय प्रो. पी. जे. कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : में सभा की बैठक 1.00 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलें।

12.23 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 1.00 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

1.05 म. प.

लोकसभा 1.05 म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय मामलों का उल्लेख करने वाले नये प्रावधान के अन्तर्गत इस मामले को उठाने की अनुमति दी है । अखबारों में छपे समाचारों में से एक सूचना में उल्लेख किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल ने स्पष्टतः यह कहा है कि वह आतंकवाद, विशेष तौर पर उन ताकतों, व्यक्तियों और परिस्थितियों जिन्होंने सैनिक, आतंकवाद, विनाश तलाशी और साथ ही साथ पुलिस गोलीबारी को उकसाया, की जाँच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल बनाना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार अपने भूतपूर्व राज्यपाल की इस अपील से सहमत है जिन्हें राज्य सभा का सदस्य मनोनीत करने के उपयुक्त समझा गया है । महामहिम भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें निश्चय ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया है । हम निश्चय रूप से यह चाहते हैं कि यह जांच कार्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया जाये । परन्तु हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आये । हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर में सैनिक और आतंकवाद के आने के बुनियादी कारणों के पीछे कौन है । हम सभी जानते हैं कि इस सरकार के सत्ता में आते ही क्या हुआ, किस प्रकार उग्रवादी रिहा किया गए और किस प्रकार उनके ही एक सहयोगी दल कश्मीर में अब तक के सबसे भयंकर किस्म की साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं । वास्तव में, इस गोलीबारी के पश्चात् श्री जगमोहन ने त्यागपत्र दे दिया था । इसके बाद जम्मू में हमारे कार्यालय पर इस सरकार को सहयोग और समर्थन देने वाले दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया । उन्होंने हमारे दल-कार्यालय को जला देने तक का भी दुस्साहस किया ।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि केवल जम्मू और कश्मीर में ही नहीं, बल्कि पंजाब में भी कल सत्ताईस लोग मारे गये जोकि एक नया रिकार्ड है । इसके साथ ही फिरोजपुर में उग्रवादियों ने दस निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला । पंजाब एक बार फिर उस चरम बिन्दु पर पहुंच रहा है जहां से कि उसका सामान्य स्थिति की ओर लौट पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । जब सरकार संविधान संशोधन विधेयक सभा में लाई थी, उसने वादा किया था कि वह छह महीनों के अन्दर पंजाब में चुनाव करवायेगी । आज स्थिति और अधिक गम्भीर होती जा रही है और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है । समाचारपत्रों में भी इसी आशय की खबरें छप रही है । मैं माननीय गृह मंत्री से इन दोनों मुद्दों पर वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी हाउस का समय बहुत कीमती है, आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, अभी हाल में हमने अखबारों में पढ़ा कि अमेरिका के प्रतिनिधि श्री गेट्स भारत और पाकिस्तान की यात्रा पर आये थे और हमारी सरकार ने एक

प्रतिनिधि के रूप में उनकी आवभगत की थी। मुझे इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह अवश्य जानना चाहूंगा कि उन्हें भारत अथवा पाकिस्तान की सरकार से ऐसे कौन से संकेत प्राप्त हुए कि उनके यहां से वापिस अमेरिका पहुंचते ही, अमेरिका सरकार ने खुलेआम यह घोषणा की कि वह जम्मू और कश्मीर के मसले को सुरक्षा परिषद में उठायेगी। हमने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है कि तत्पश्चात् परमाणु हथियारों को क्वेटा से सैनिक हवाई मोर्चों पर ले जाया गया। मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उनको अमरीकी प्रतिनिधि के साथ क्या बातचीत हुई। सरकार को ज्यादा विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं तथापि वे हमें कम से कम इतना अवश्य बताएं कि क्या अमरीकी सरकार को हमारी ओर से कमजोरी अथवा बदलाव के ऐसे कोई संकेत मिले थे कि वह पुराने मुद्दे को फिर से उठाने का साहस कर सका। पहले तो अमरीकी सरकार ने शिमला समझौते का समर्थन करना शुरू कर दिया था परन्तु अब वह कहती है कि ऐसा कोई समझौता नहीं है और वह इस मसले को सुरक्षा परिषद में उठायेगी।

वह सोवियत सरकार को भी समझाने का प्रयास कर रही है परन्तु सोवियत सरकार ने यह कहकर अपना दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और पाकिस्तान और भारत दोनों को ही इस मसले का शिमला समझौते के अनुसार हल करना चाहिए। अतः मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि सरकार का इसके बारे में क्या मत है। अमेरिकी प्रतिनिधि के यहां से वापस जाने के बाद इस मुद्दे को उठाया गया। और अब जबकि इस मुद्दे को उठाया गया है, तो सरकार कौन-से कदम उठाने जा रही है जिससे कि समस्त विश्व को स्पष्ट हो जाये कि हमें अपने आंतरिक मामलों में भले ही वह जम्मू और कश्मीर से संबंधित क्यों न हों, किसी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं करेगा। महोदय, यही मेरा प्वाइंट है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का आखिरी दिन है और यहां पर कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि यू पी एस सी जो इम्तहान लेती है, उसके अन्दर भारतीय भाषाओं में और हिन्दी में भी इम्तहान लिए जाएंगे। 1968 के अन्दर पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि यू पी एस सी के इम्तहान और बाकी इम्तहानों में भारतीय भाषाओं और हिन्दी में इम्तहान होंगे। अध्यक्ष महोदय 350 संसद-सदस्यों ने पहले प्रधानमंत्री जी को भी लिखकर दिया था और इस हाउस में बताया गया कि सतीशचन्द्र कमेटी बिठाई गई है और सतीशचन्द्र कमेटी इसका फैसला जल्दी करेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब इस कमेटी की रिपोर्ट 15 मई को आ गई है परन्तु इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है और सदन में नहीं रखा जा रहा। यू पी एस सी के इम्तहान आज भी सिर्फ अंग्रेजी में हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ अंग्रेजी में इम्तहान होने से 98 प्रतिशत लोग बड़ी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। मेरा कहना है कि सरकार इसके बारे में पूरी तरह से निश्चय करे और इसको इम्प्लीमेंट करे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा की बात का समर्थन करता हूं। इस विषय को सदन में अनेक बार उठाया गया है··· (व्यवधान) महोदय, यह मांग की जाती रही है कि संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी जाए। संसद के दोनों सदनों ने इस संबंध में संकल्प भी प्राप्ति किये थे। अब इस मामले को सतीशचन्द्र समिति को भेज दिया गया है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुबोध कांत सहाय, गृह मंत्री इस पर कुछ कहना चाहते हैं, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, भारतीय भाषाओं में इम्तहान होना चाहिए।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : अध्यक्ष महोदय, सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आई है, लेकिन सदन चल रहा है, इसलिए हम पर सरकार ने अभी तक उचित कार्यवाही नहीं की है। इसकी रिकमण्डेशंस को हम लागू करेंगे और अगला सत्र होने से पहले लागू करेंगे इतना मैं आश्वासन देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाएं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे प्रापर्टी की सिक्योरिटी के लिए आर पी एफ एक्ट 1957 के तहत आर पी एफ रेज की गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को अच्छी तरह से जानते हैं कि ला एण्ड आर्डर को मेटेन करने में किसी तरीके से इसका संबंध नहीं है। इन लोगों को असोसिएशन के राइटस मिले हुए थे, वे राइट्स इनसे अब छीन लिए गए हैं। इस मांग को लेकर 70 हजार के करीब आर पी एफ परसनल लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। जितनी मेजर ट्रेड यूनियनस हैं, उन्होंने भी मांग की है। रेल मजदूर यूनियन है, जिसके प्रजीडेंट हमारे रेल मंत्री जार्ज फर्नान्डीज हैं, मधु दण्डवते साहब भी उससे संबंधित हैं। उन्होंने भी जो अपना मांग-पत्र सरकार को सबमिट किया था उसमें डिमाण्ड नं. 5 थी ट्रेड यूनियन राईटस फार आर. पी. एफ.। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने पिछली सरकार के वक्त भी इस मामले को उठाया था। तत्कालीन रेल मंत्री हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए करीब-करीब तैयार हो गये थे। जो नये रेल मंत्री आए हैं, वे खुद लम्बे समय तक इस मांग को करते रहे हैं। अब उनकी ईमानदारी का तकाजा है कि जल्दी से जल्दी आर. पी. एफ. को राईट आफ एसोसिएशन दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पिछले कई सालों से हम इस मुद्दे को सदन में उठाते आये हैं। उन्होंने इन एसोसियेशनस की मान्यता निरस्त कर दी थी। उन्होंने ट्रेड यूनियनों के सभी अधिकार छीन लिए और उस समय भी हमने इस पर आपत्ति की थी परन्तु उन्होंने कभी आपत्ति नहीं उठाई। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस सदन के 65 सदस्यों ने जिनमें श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता, श्री आडवाणी और सदन के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं, ने आर पी एफ एसोसिएशन की मान्यता को पुनः प्रतिष्ठित किये जाने की मांग की थी। विगत वर्षों में भी, हमने आर पी एफ एसोसिएशन की मान्यता को पुनः प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। विगत वर्षों में भी हमने आर पी एफ एसोसिएशन की मान्यता को पुनः प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। इस सदन में लाये गये एक संशोधन विधेयक द्वारा इस मान्यता को निरस्त कर दिया था। इस मान्यता को निरस्त किये जाने का हमने कड़ा विरोध किया था और उस समय भी उन्होंने कोई आपत्ति नही की थी। बल्कि उल्टे श्री हरीश रावत और श्री कुमार मंगलम ने उसका समर्थन किया था। और अब और अब वहां लोग इस एसोसियेशनस को मान्यता को बहाल किये जाने की मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वे सभी महान चैम्पियन बन गए हैं जिन्होंने पहले आवश्यक वस्तु बनाए रखने से संबंधी आफ नियम का समर्थन किया था। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, अब जब वे दूसरी ओर चले गए हैं, उन्होंने अपने विचार बदल लिये हैं। उस समय तो उन्होंने उस विधेयक का विरोध करने की अपेक्षा उसका समर्थन किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी इस तरह बदल जाना भी अच्छा रहता है।

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, समूचा सदन यह महसूस कर रहा है और इस विषय पर विचार करने का यही उपयुक्त समय है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को पुनः स्थापितकरने के लिए प्रतिबद्ध है और कल राज्य सभा में औद्योगिक संबंध संशोधन विधेयक लाने के लिए इस सरकार को बधाई देता हूँ। इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन पिछले विधेयक को निरस्त करके मजदूरों के उनके अधिकार वापस देना था। हम राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बधाई देते हैं और इस सरकार ने यह वचन दिया है कि समस्त लोकतंत्र-विरोधी और ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयक को निरस्त कर दिया जायेगा। अतः, मैं सरकार से अपील करता हूं कि आर पी एफ को एसोसियेशन बनाने का अधिकार बहाल किया जाये जोकि उनका मौलिक अधिका रहे कांग्रेस आई-दल की पिछली सरकार ने इनसे जो अधिकार छीन लिया था उसे पुनः बहाल किया जाये। और इसके साथ ही पिछली सरकार द्वारा निरस्त की गई मान्यता को भी बहाल किया जाना चाहिए।

श्री पी. आर कुमार मंगलम : जी हां, हम इनसे सहमत हैं।

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय मित्र आज आर पी एफ को मान्यता प्रदान करने के बारे में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं परन्तु भूतपूर्व रेल मंत्री की हैसियत से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि

इस मुद्दे को लेकर मुझसे केवल श्री हरीश रावत और श्री कुमार मंगलम एकाध नहीं अपितु अनेक बार लिये थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, इस पर आपको सर्वसम्मलित प्राप्त है।

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : महोदय, श्री रविनायक के नाम से सदन के दोनों पक्षों के अनेक सदस्य परिचित हैं। वे न केवल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं अपितु 1984 तक वे श्री जार्ज फर्नान्डीज के राजनैतिक सचिव भी रहे। इसके बाद, वे एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेवा में चले गये। आजकल वे साऊथ एशिया ह्यूमन राइट्स डाकुमेन्टेशन सेंटर में कार्यरत हैं। इससे पहले वे एमनेस्टी इंटरनेशनल में थे और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति में हैं।

महोदय, जब भी रविनायर विदेश जाकर वापस भारत आते हैं, उन्हें एल ओ सी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एल ओ सी क्या है ?

श्री एम. जे. अकबर : ये तो कोई भी नहीं जानता है कि एल ओ सी क्या है। परन्तु यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार का खुफिया विभाग उन व्यक्तियों के विदेश आने-जाने का ब्योरा रखता है। जिन्हें वह परेशान करना चाहता है। यह एक चिन्ता का विषय है।

महोदय, अभी तक तो एल ओ सी की औपचारिकता को निपटाने में नगण्य समय लगता था पांच मिनट या सात मिनट। लेकिन जब श्री रविनायर 23 मई को पैन एम उड़ान सं. 066 से लौट रहे थे···

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा विस्तार में मत जाइये। आप केवल खास मुद्दों को उठाइये।

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मसला है। एल ओ सी की यही प्रक्रिया पूरी होने में पूरे चालीस मिनट लगे। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उन्हें परेशान और बेइज्जत किया और जब उन्होंने पूछा कि उनके साथ यह अनुचित व्यवहार किस लिए हो रहा है तो उनका पासपोर्ट लौटाते हुए सबंधित इन्सपेक्टर ने जिसका नाम श्री नागपाल है, निम्नलिखित टिप्पणी की जिसे मैं उनके शब्दों में ही रखना चाहूंगा :

[हिन्दी]

"जार्ज फर्नाडीज के साथ रहने के कारण आपका रेड हो रहा है।" (व्यवधान)

[अनुवाद]

उन्होंने कम्प्यूटर में अपना एल ओ सी नंबर देखा उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान सरकार के एक केबिनेट मंत्री के मित्र को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है और उन्हें उत्तर मिला कि इसी वजह से तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। महोदय, उन्होंने गृह मन्त्री को पत्र लिखकर पूछा कि सरकारी मशीनरी का प्रयोग उसके अपने केबिनेट मन्त्रियों के विरुद्ध क्यों किया

आ रहा है। (व्यवधान) श्री चन्द्रशेखर के मामले में भी हमने यही देखा कि गृह मन्त्रालय ने अपने दल के ही एक सदस्य के विरुद्ध सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया अब इसका दुरुपयोग श्री जार्ज फर्नांडिस के विरुद्ध किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर नीति पर गृह मन्त्रालय से उनका मतवैभिन्य है। यह एक गंभीर बात है। (व्यवधान) यह सरकार अपने ही मन्त्रियों की जासूसी कर रही है और मंत्रीगण एक दूसरे को अनेक तरीके से परेशान कर रहे हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : महोदय, पिछले गुरुवार को मैंने सरकार का ध्यान पंजाब की ओर दिलाया था। कुछ दिन पहले भी भा.ज.पा. और हमारी तरफ के अनेक सदस्यों ने गृह मंत्री का ध्यान पंजाब की बिगड़ती हुई हालत की ओर खींचा था। उन्होंने कहा था कि वे इस मामले में कुछ कदम उठायेंगे। दुर्भाग्यवश, पंजाब मे प्रशासन तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। पिछले तीन दिनों में 29 तारीख को 27 लोग मारे गये जिनमे से 13 लोग फिरोजपुर मे मारे गए। कल कुल 17 लोग मारे गये और 10 लोग फिरोजपुर में मारे गये। जोगेवाला के पास फिरोज पुर-जालंधर रेलवे लाईन पर एक बम विस्फोट हुआ। राया के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रेल गाड़ी और समस्त यातायात चार घंटे के लिए रोका गया क्योंकि लोग आतंकवादियों के मृतक शरीरों को उनके परिवारों को सौंपने की मांग कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री इरा अन्बारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं एक मिनट का समय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिये। मैं आपसे सहमत हूं।

श्रीमति सुखबंस कौर : महोदय, गुरदास पुर जिले के कादियां में पुलिस थाने का घेराव चार हजार लोगों ने पिछले चार दिनों से किया हुआ है। (व्यवधान) श्रीमान, गृह मन्त्री महोदय हमें बतायें कि वे पंजाब के विषय में क्या कर रहे है। प्रशासन फेल हो चुका है; पूर्ण अव्यवस्था है; जिलों को जाने वाली सड़कों को लोगों ने बंद किया हुआ है। यह बहुत खराब स्थिति है। सरकार हमें बताये कि वह इस संबंध में क्या कर रही है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ये घटनाएं बहुत गंभीर है। मैं सरकार से इस मामले में ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी ((होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, महोदय पंजाब की स्थिति बहुत भयावह है। मैं इस पर लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। यह इस सदन के समस्त सदस्य जानते है और राष्ट्र भी कि लोग वहां मारे जा रहे है। लोग पंजाब से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे है। कुछ परिवार दिल्ली आ गए हैं। इस महीने की 13 तारीख को लगभग 500 परिवार पठानकोट से इन्डिया गेट के लान में आ गए हैं। 23 और 25 तारीख को, 250 परिवार बटाला से आये हैं। हम इन लोगों के पास जाते रहे हैं और हम उनको यह बताने में कामयाब रहे हैं कि उनको वापस जाना चाहिए। उनकी मांगे बहुत साधारण हैं। वे चाहते हैं कि पंजाब मे बेहतर वातावरण बने। 500 रु. प्रति व्यक्ति जो अधिकतम 1,500 प्रति परिवार है, सरकार द्वारा दिए गए है। ये लोग कम से कम पठानकोट और बटाला शहरों में जाने के लिए तैयार है। हम सरकार से प्रार्थना करते है कि उन्हें यह पैसा वहीं दिया जाए, ताकि ये लोग सड़क पर रहने के लिए बाध्य न हों। ये यह भी

चाहते हैं कि चिकित्सा सुविधाएं भी उनको प्राप्त हों। सरकार उनको न्यूनतम सम्भव सुरक्षा प्रदान करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पंजाब की स्थिति बहुत खराब है, होम मिनिस्टर से कहना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं चाहता हूं कि चूंकि कश्मीर में राज्यपाल का शासन है इसलिए यह सम्माननीय सभा कश्मीर घाटी में जनता के दुखों की गम्भीरता का आकलन करने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के प्रस्ताव पर पूरी गंभीरता से विचार करे। वहां समिति शरणार्थी शिविरों में भी जाए जहां पर हमारे कश्मीरी पन्डित भाई रहते है उनकी परेशानी को समझा जाए कि कैसे वे शीघ्रातिशीघ्र अपने घरों को लौट सकते हैं।

महोदय, इसी बीच, भूतपूर्व राज्यपाल ने मांग की है कि उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश कश्मीर की परिस्थितों का अध्ययन करे। मैं अपने पूर्व सुझाव को दोहराता हूं कि एक जांच की जाय, कि वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक या अधिक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाय। जांच आयोग का एक विचारार्थ विषय कश्मीर के लोगों की इस शिकायत पर आधारित होना चाहिए कि, भूतपूर्व राज्यपाल वहां पर हुए नरसंहार के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए यह उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का एक जांच आयोग होना चाहिए जो कश्मीर के लोगों पर हुई ज्यादातियो और नरसंहार की जांच करेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नजर अन्दाज नहीं करूंगा। आप सहयोग करेंगे तो सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक एक मिनट का करेंगे तो सब को समय दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत गंभीर मामला उठाना चाहती हूं। जैसाकि आपने सुबह के समाचार पत्रों में देखा है, दस मजदूर भट्टी खानों में मर गए हैं, मेरा विश्वास है इसका कारण खानों के कार्य संचालन करने में किसी की लापरवाही है। इस प्रकार की दुर्घटनायें पहले भी हुई थीं।

इसलिए, आपके माध्यम से, मैं श्रम मन्त्री का ध्यान हमें बताने के लिए आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह क्या हो रहा है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मान सिंह भाटव (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मे कई वर्षों से सूखा और अकाल पड़ रहा है। वर्षा बहुत कम हो रही है। ऐसे मे पानी की भयकर समस्या है। कुंओं का पानी भी सूख गया है और पानी का जल स्तर नीचे चला गया है। पानी को ऊपर लाने की परियोजना 14 नदियों के बेसिन तथा 59 सब बेसिन बनाकर जल वितरण योजना क्रियान्वित की जाये। चम्बल, पार्वती तथा बनास नदियों में लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनायी जानी चाहिए। राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के बीच नदियों के पानी के वितरण के समझौते को शीघ्र लागू किया जाये और पानी उपलब्ध कराया जाये: रावी, व्यास नदियों के पानी का नियंत्रण भाखड़ा, व्यास, मैनेजमेंट बोर्ड को सौंपा जाये और राजस्थान को पानी और बिजली दी जाये। यमुना नदी परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है, वह भी राजस्थान की मांग के अनुसार दिया जाये। यह पानी गुड़गांवा नहर से आना है।

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिये। आपको हाउस का नियम जानना चाहिए कि आप इसमें मौखिक कह सकते हैं, पढ़ना ठीक नहीं है।

श्री मान सिंह भाटव : टेहरी बांध का शीघ्र निर्माण किया जाये और राजस्थान को पानी दिया जाये। माही नदी परियोजना तथा परियोजना का निर्माण कराया जाये ताकि राजस्थान को पानी दिया जा सके। लोग और मवेशी गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लाखों मवेशियों के मरने का खतरा पैदा हो गया है। अकाल की बिभीषिका से निपटने के लिए जो सहायता केन्द्रीय सरकार ने दी है वह बहुत ही कम है और प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपये की सहायता देनी चाहिये। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में चम्बल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाकर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, रूपवास, बैर, नदबई, महुआ को सिंचाई के लिए पीने के पानी को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाये। इस क्षेत्र मे पाताल तोड़कर कुंये बनाये जाने चाहिए और अधिक संख्या में रिग मशीन्स उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसलिए आग्रह है कि जितने थरमल पावर प्लांट्स हैं, उनको शीघ्र पूरा किया जाये ताकि जहां बिजली नहीं है, वहां बिजली दी जा सके।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी मैं इस सदन का ध्यान महरौली के पास भाटी ग्राम में माईन्स में कल जो दुर्घटना हुई और जिसमे सात नौजवानों की मृत्यु हो गयी, उस तरफ खींचना चाहता हूं। वे नौजवान बिहार से वहां काम करने के लिए आये हुए थे। इनमें राजस्थान के मजदूर भी थे। इन मजदूरों ने यह सोचकर वहां काम किया कि वे रुपया कमाकर अपनी बहिनों की शादी करेंगे अपनी मां को उसमें से कुछ रुपया भेजेंगे ताकि उनकी सहायता हो सके लेकिन वे नौजवान जिनकी उम्र 22,24,26 वर्ष थी, प्रशासन की गलती के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। डी.एस.एम.डी.सी. के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये सात जानें गयी है। अध्यक्ष महोदय, कल एक बजकर चालीस मिनट पर 60 फुट गहरी खान के पास एक ट्रक खड़ा कर दिया गया और ऊपर से पत्थर (रोड़ी) को तोड़ दिया गया। वे 'केव्ज' गिरने से सात नौजवान दबकर मर गये और उनका जीवन खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय पहले यह सिस्टम था कि डी.एस.एम.डी.सी. खाने चलाता था और सारे मजदूर उनके अंतर्गत काम करते थे लेकिन 1983 से और पिछले कुछ समय से जब दिल्ली में कांग्रेस

का प्रशासन था, तो उन्होंने बैकडोर से ठेकेदारी सिस्टम चालू कर दिया। और ठेकेदारी सिस्टम चालू करने से मजदूरों का शोषण प्रारम्भ हो गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी दर्दनाक घटना है और बहुत मानवीय सवाल है। अब आप खत्म कीजिये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, कल जो दुर्घटना हुई, वहां के सीक्योरिटी आफिसर की लापरवाही के कारण हुई। उसने देखा नहीं कि सीक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यू से सारी व्यवस्था ठीक है या नहीं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। इधर से बार-बार हर चीज में कांग्रेस का नाम लेकर उसके ऊपर दोषारोपण करने का प्रयत्न किया जाता है। (व्यवधान) इनकी स्थिति कंस के समान हो गयी है जिसे उठते-बैठते और स्वप्न तक में श्रीकृष्ण भगवान ही नजर आते थे, वैसे ही इन्हें हर बात में कांग्रेस नजर आती है। आप कंस मामा बनकर कांग्रेस की तरफ बार-बार क्यों देखते हो।

श्री कालका दास : मुझे तो ये कंस नजर आते हैं, श्रीकृष्ण नजर नहीं आते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, काफी हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के सीक्योरिटी आफिसर की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी कीजिए, अभी रामविलास पासवान जी को भी बोलना है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं परन्तु माननीय सदस्य भाषण दिये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आपकी मदद ही कर रहे हैं, अच्छा है। (व्यवधान)

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल जो माइन्स की दुर्घटना हुई, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती हैं, मेरी कान्सटीटूऐंसी का एक हिस्सा है और वहां दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी वहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मजदूर मारे गये हैं, परन्तु किसी को आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न होने पाये, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, जहां दुर्घटना हुई है, वह मेरा पूर्व का चुनाव क्षेत्र रहा है, इसीलिए मेरा चिन्तित होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अखबारों में भी आया है, आप देख लीजिये कितने मजदूर मारे गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी भी बोलने वाले हैं, इसलिये आप बैठ जाइये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय, दिल्ली के उपराज्यपाल और मैं स्वयं घटना-स्थल पर गये थे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मेरी मांग है कि सारी घटना की उच्च-स्तरीय जांच करायी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात कहने के लिए उठे थे और 5 बातें बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच तो हो ही, जो मजदूर मारे गये हैं, उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में एक-एक लाख रुपये की राशि मिलनी चाहिये क्योंकि जितने लोग मरे हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वे ही अपने परि-वार का सहारा थे, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उन पर ही थी।

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया, अब आप बैठिये।

श्री कालका दास : बस अंतिम बात और कहकर बैठ जाऊंगा। मेरी यह भी मांग है कि मजदूरों की एक कोआपरेटिव सोसायटी बनायी जाये और इस तरह के सारे काम ठेकेदारी प्रथा पर देने की बजाए, उस कोआपरेटिव सोसायटी से कराये जायें। इसके साथ-साथ, मंत्री जी स्वयं घटना स्थल पर हो आये हैं, मैं चाहता हूं कि वे सदन में तुरन्त स्टेटमैंट दें।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या है आपका प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष जी, आपकी यह व्यवस्था है और आप कुछ नियमों के आधार पर चलते हैं, हाउस का संचालन करते हैं। जीरो आवर में जिन लोगों ने आपको लिख कर पहले सूचना दी होती है, आप उन्हीं को बोलने का मौका देते हैं, लेकिन यहां तो आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले से कोई सूचना नहीं दी और जिन्होंने लिखकर दिया है, उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री मित्रसेन यादव : जिन लोगों ने लिखकर आपको नोटिस दिया हुआ है, उन्हें आप चांस नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई स्पीकर नहीं हैं, क्या बात करते हैं।

[अनुवाद]

आपको अध्यक्ष महोदय से वाद-विवाद नहीं करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जे. पी. अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है और यहां मुझे श्री कालका दास जी पर सबसे ज्यादा अफसोस है कि वे हमेशा अपनी बात में कांग्रेस पर दोषारोपण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट पर आइये ।

श्री जे. पी. अग्रवाल : उन्होंने कहा की बात कहाँ से जोड़ दी । (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जे. पी. अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की बात है, यह मानवीय सवाल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर अग्रवाल आप कालका दास का नाम न लीजिए। आप तो मानवीय सवाल पर आइए । (व्यवधान)

श्री जे. पी. अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है। बड़े-बड़े हादसे वहां होते रहे हैं। कई बार इन्क्वायरी कमेटी बैठी है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो पहले इन्क्वायरी कमेटीज बैठी है उन्होंने किन लोगों को दोषी पाया है और किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है ? क्या किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस बना है ? जो मौतें कल हुई हैं, उनमें से किसी के परिवार वाले का अभी तक कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। कई लोग अभी भी वहाँ पर दबे हुए हैं जिनको नहीं निकाला गया है पहले जो हादसे होते रहे उनका क्या हुआ ? जो मरे उनके परिवार वालों को अभी तक पैसा नहीं मिला और जो दबे हुए हैं उनको नहीं निकाला गया है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, यह ठीक नहीं है । आप बैठ जाएं। आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते है ? श्री रामविलास पासवान ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, बोलिए आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि मैंने भी इस सम्बन्ध में लिखकर दिया है मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पाइंट आफ आर्डर मत उठाइए । यदि आप कोई चीज उसमें जोड़ना चाहते है, तो जोड़ दीजिए ।

श्री मदन लाल खुराना : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 1979-80 के अंदर दिल्ली प्रशासन ने यह तय किया था कि इसका राष्ट्रीकरण किया जाए और इसका राष्ट्रीकरण कर दिया गया था । उसमे यह भी था कि इसको प्राइवेट लोगों को न दिया जाए और 1980 के बाद सरकार स्वयं उसमे से खनन का काम करे । (व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी बैठ जाइए। आप किस रूल के तहत पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बामबां पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। आपका कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप कृपा करके बैठ जाएं।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, आज जिस दुखद घटना की ओर गीता मुखर्जी, कालका दास जी, जय प्रकाश जी, तारीफ सिंह जी, खुराना जी और भी कई दूसरे साथियों ने इस मामले को उठाया है, यह बहुत ही दुखद मामला है और यह गम्भीर मामला भी है। यह केवल भाटी माइन्स का मामला नहीं है, बल्कि भाटी माइन्स तो एक उदाहरण मात्र है। कल रात ज्यों ही मैं यहां से सदन उठने के बाद घर गया और जब मैंने समाचारों में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज प्रातः मैं लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के साथ घटनास्थल पर गया।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने बहुत अच्छा किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सवाल यह है कि ये वहां गए थे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात हो तभी ना। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी मंत्री किसी इलाके में जाए तो वहां के एम. पी. को जरूर साथ लेना चाहिए, यह यहां का नियम है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि जल्दी में दुखी होकर गए हों, खबर नहीं दे पाए हों।

श्री राम विलास पासवान : मैं वहां आज सुबह नौ बजे पहुंचा। वहां पहुंचा तो कालका दास जी पहले से ही मौजूद थे। हमारे साथ लेबर सेक्रेटरी भी थे। सचमुच यह एक दुखद घटना है। मैं चाहता था कि मैं लिखित एक स्टेटमेंट दूं लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है जो मुख्य-मुख्य बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। सात आदमी मर गए, जो जानकारी मिली है। निश्चित रूप से सुरक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से खान की खुदाई की, यह स्वाभाविक है कि यह घटना घट सकती है। पहले भी 1986 में बहुत सारे लोग मरे थे और उस सम्बन्ध में पहले जो कमीशन बैठा था, उसमें क्या कार्यवाही हुई, वह मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं निश्चित रूप से सदन को बताऊंगा और सदन के पटल पर रख दूंगा कि पहले जो लोग मरे थे उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? (व्यवधान) इस घटना के सम्बन्ध में, जो कल घटी है, जैसा मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साथ थे। मजीस्टीरियल इन्क्वायरी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हमने आग्रह किया है कि जांच में विलम्ब न लगाइए

15 दिन के अन्दर जांच की रिपोर्ट पेश करवा दीजिए क्योंकि जो काम 15 दिन में नहीं हो सकता है। वह 15 महीने में भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो मृतक हैं, उनके परिवार के सदस्यों को 25 हजार रुपये मुआवजा प्रतिव्यक्ति स्वीकृत किया गया है। लैफ्टनैंट गवर्नर से जो बातचीत हुई है, आदमी जो मरे है प्रत्येक के परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी सेवा में रखने का आदेश दे दिया गया है।

जहां तक कान्ट्रैक्ट का मामला है, यह सही है लेकिन हमको जानकारी मिली थी की दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा था अब कान्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। मैंने दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वहां जो काम है वह परमानेंट नेचर का काम है, ऐसा नहीं है कि आज काम है और कल खत्म होने वाला है। मट्टी माईन्स का ऐरिया बहुत बड़ा है और कम से कम दस साल तक काम चलेगा। इसलिए जहां ऐसे नेचर का काम हो वहां कान्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमने दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि डी.एस.एम.डी.सी. के माध्यम से संचालन करना चाहिए। अभी हमारे साथी ने सुझाव दिया कि लेबर कोपरेटिव के माध्यम से करें। जो भी मजदूरों के हित में होगा वह हम करेंगे। हमने यह भी कहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत आते हैं, उनके साथ कड़ाई से पेश आएं और दंडित करें। मैं लेबर मिनिस्टर की हैसियत से कहता हूं कि हमारी माईन्स सेफ्टी का जो भी आफिसर होगा, यदि डायरैक्टर दोषी होगा तो डायरैक्टर को सस्पैंड करेंगे। जो भी दोषी आफिसर जो ऊंचे लैवल का है, उसको सस्पैंड करेंगे। आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे मजदूर का जीवन हो, चाहे बड़े आदमी का जीवन हो, चाहे रानी का जीवन हो या मेहतरानी का जीवन हो। सबका जीवन समान है। जहां तक माइन्स सेफ्टी का सवाल है, बड़ा से बड़ा अफसर भी उसके लिए अगर दोषी होगा तो उसे दंडित किया जायेगा। आज मैं इस हाउस से यह कह कर जाता हूं कि उनको दोषी पाये जाने पर हम सस्पैंड करेंगे। 15 दिन के अन्दर इनक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की यह जिज्ञासा है कि कुछ जो लोक महत्त्व के प्रश्न हैं उनको सदन में लाने की कोशिश की जाये। मैंने आपको समय पर नोटिस देकर आपके ध्यान में भी यह बात लाने की कोशिश की थी कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार दिये जाने का राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने वायदा किया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर ए. के. राय इस पर बोल चुके हैं।

श्री मित्रसेन यादव : इस मामले में तमाम विधेयक लाये गये—चाहे महिला कल्याण विधेयक हो, चाहे प्रसार भारती हो और चाहे मंडल आयोग का हो। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सारे देश के नौजवानों का भविष्य जिस से जुड़ा हुआ है उसको आप इस सत्र में लेकर क्यों नहीं आये। माननीय प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों ने देश के लोगों को कहा था कि हमारे देश की युवा पीढ़ी एक राष्ट्रीय शक्ति है और इन पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। देश के बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवक इधर-उधर घूम रहे हैं। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार दिये जाने के मामले में यह सरकार मौन है। माननीय मंत्री जी तो इस समय आपस में वार्ता में लगे हुए हैं। मालूम नहीं वह मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं। यह देश के हित का सवाल है। जिन्होंने आज इस सरकार को यहां लाकर बैठाया है उनके अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए इस सरकार ने कुछ चेष्ठा नहीं की है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या

वह हमें कोई यहां आश्वासन देगी कि आने वाले सत्र में वह सरकार काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर देगी ?

[अनुवाद]

श्री ए. के. राय (धनबाद) : महोदय, क्या कोई मन्त्री उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है यदि वे उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री मोपत सिंह मकवासार (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह कहा गया था कि काम के अधिकार को संविधान मे जगह देंगे। उसके बारे मे अब तक आपने क्या किया है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? जनता हम से जब इस बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे ?

श्री बाबूराम परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब और कश्मीर में हिंसा बढ़ रही है और पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। 38 भारतीय सुरक्षा उत्पादन कारखाने जो भारत वर्ष में है, उनमें रक्षा उत्पादन का काम होता है। लेकिन मिलिट्री के अधिकारियों और सीविलियन कर्मचारियों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। 506 आर्मी बेस वर्कशाप जो जबलपुर में है। विगत सात वर्षों से इनको जो ओवर-टाइम दिया जाता था वह बंद हो जाने से आठ रक्षा उत्पादन कारखानों में 15 हजार से अधिक अधिकारी तनाव में जी रहे है। इसके कारण रक्षा उत्पादन घट रहा है। मैं रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मसले को देखें और रक्षा उत्पादन में ढील न आये इस प्रकार की व्यवस्था करें।

———

1·54 म. प.

लोकदायित्व बीमा विधेयक*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नील मणि राउत राय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई धराई के समय किसी दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोकदायित्व बीमा का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम। वह यहां नहीं है। प्रश्न यह है कि :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय किसी दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोकदायित्व बीमा का और उसके

* दिनांक 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड में प्रकाशित।

संशक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीलमणि राउत राय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.55 म. प.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक*

इस्पात और खान मन्त्री और विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मुख्य निर्वाचन उपयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों का अवधारण करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम। श्री कुमार मंगलम। वह यहां नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों का अवधारण करने और उससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.56 म. प.

संविधान (बहत्तरवां) संशोधन विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह बिल दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के संबंध में है, जिसके बारे में ··

अध्यक्ष महोदय : इसमें स्टेटमेण्ट की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पूरी तरह राज्य का दर्जा दिए जाने का सवाल बहुत दिनों से यहां की जनता के द्वारा उठाया जा रहा था। इस राज्य में 7 संसद सदस्य के चुनाव क्षेत्र होंगे और तीन राज्य सभा के सदस्यों के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलते हैं, तब वे विरोध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : जब यह विचारण की स्थिति में आता है तब वह यह सब कह सकते हैं पुर:स्थापित करते समय नहीं। आप कोई नई बात क्यों कर रहे हो? (व्यवधान) पुर: स्थापन के समय भाषण न दिया जाए। भाषण केवल विधेयक पर विचार करते समय ही दिया जाता है। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठता है। यह केवल पुर:स्थापन है। पुर:स्थापित करते समय कोई भाषण नहीं होना चाहिए। इसलिए जो कुछ वह कहते हैं कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए। दूसरा, यह हमारी समझ से परे है। महोदय, मैं आपसे संसदीय कार्य मंत्री को स्थिति से अवगत कराने की प्रार्थना करता हूं। वह विधेयक को पुर:-स्थापित कर सकते हैं। जहां तक पुर:स्थापन का प्रश्न है हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी उपेन्द्र) : जो कुछ प्रो. कुरियन ने कहा है वह अंशत: सही है। उद्देश्य और कारणा बताने वाले विवरण में एक वाक्य है। प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए एक अलग विधान बाद मे लाया जाय···बहुत से सदस्यों ने पूछा है कि अलग विधान की क्या विशेषताएं हैं। यदि उन्हें इन पर ऐतराज है, तो महोदय यह ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. के. राय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, साहब।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, पाइण्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री मदन खुराना : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि इस सदन के अन्दर यह आश्वासन दिया गया, होम मिनिस्टर द्वारा (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूँ।

श्री मदन लाल खुराना : मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा इतना ही कहना है (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, वह नियम का हवाला दें। वह इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आपने नियम पूछा जबकि श्री सुल्तान पुरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रावत साहब, मैं जानता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा इतना ही कहना है कि जो आश्वासन दिया गया, चूंकि बिल पूरा नहीं है। (व्यवधान)

2·00 म. प.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, जो कुछ मन्त्री ने कहा है वह कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कृपया टोका टोकी न करें।

श्री ए. के. राय : इन्होंने विधेयक का विरोध करने के लिए सूचना दी है।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, महोदय हम जटिल समय में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और यह न लिया जाए अथवा विधेयक को इतने हल्केपन से पुरःस्थापित न किया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार में यह एक गलत विधेयक है, जो गलत समय में और गलत तरीके से लाया गया है, इसका सब जगह गलत प्रभाव पड़ेगा और गलत परिणाम निकलेंगे। (व्यवधान)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2.02 म. प.

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ए. के. राय : उनके व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर एक और व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। मुझे उन्हें सुनना पड़ेगा।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संवैधानिक वैधता के बारे में विधेयक का विरोध किये जाने समय ही किया जा सकता है।

श्री ए. के. राय : मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री राम नाईक : अब तक उन्होंने जो कुछ कहा है वह विधेयक का संवैधानिक वैधता को प्रश्न पर विरोध करने से सम्बद्ध नहीं है। उनके तर्क अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। मेरा व्यवस्था प्रश्न यही है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय जी यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरे सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी है।

श्री ए. के. राय : मुझे आशा है कि मैं आपको इसकी विधायी सक्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकूंगा। ऐसा करना इस सभा की विधायी सक्षमता से बाहर है। दूसरी बात यह है कि इसमें गम्भीर संवैधानिक त्रुटियां हैं। तीसरे राजनैतिक अभिमानता के प्रश्न पर सिद्धान्ततः इसके गलत अभिप्राय: निकल रहे हैं और उनका गलत प्रभाव होगा। मैं एक-एक करके उनकी व्याख्या करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह आश्वस्त करें कि यह विधायी रूप से सक्षम क्यों नहीं है।

श्री ए. के. राय : मुझे अपने तर्क देने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी होगी। उन्होंने भी सूचनाएं दी है।

श्री ए. के. राय : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध संवैधानिक मुद्दे विधायी सक्षमता और सिद्धान्तों के आधार पर कर रहा हूं। कृपया मुझे इन मुद्दों पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दीजिए। व्यवस्था के प्रश्न पर अन्य सदस्य आधा घण्टे का समय ले लेते हैं और आप मुझे पांच मिनट का समय भी नहीं देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्यों ने भी सूचनाएं दी है। मुझे उन सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री ए. के. राय : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि, आप विधायी क्षमता पर बोलना चाहते हैं तो आपको तीन मिनट का समय देता हूं।

श्री ए. के. राय : संविधान के अनुच्छेद 368 की उपधारा 2 में यह उपबन्ध है कि किसी भी संविधान संबंधी संशोधन विधेयक को उपस्थित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए और यह दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इस खंड का निहितार्थ यह है कि सभा को हत-प्रभ नहीं किया जाना चाहिए, और इसके बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए तथा विधेयक को लाने मे अनुचित जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। महोदय जिस प्रकार इस विधेयक को लाया गया है हम उसका विरोध करते हैं। पहले कांग्रेस ने भी जिस प्रकार इसे विलम्बित किया हम उस प्रक्रिया की भी भर्त्सना करते है, उसी तरह महोदय इस संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में जिस प्रकार जल्दबाजी की गई है हम इससे सहमत नहीं हो सकते।

महोदय दूसरी बात यह है कि यदि आप अध्यक्ष द्वारा किये गये निर्देशों के निर्देश 19 (क) और 19 (ख) का अध्ययन करें तो पाएंगे कि कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है वे ऐसा असामान्य कदम क्यों उठा रहे हैं ? यहां तक कि ज्ञापन में भी कुछ भी अन्तर्विष्ट नहीं है। यह कार्य मंत्रणा समिति का दिन 23·5·90 का प्रतिवेदन है। इन पांच दिनों में ऐसी कौन सी असाधारण बात होगी। जिससे सरकार के यह असामान्य कदम उठाना पड़ा ? सरकार को नियोजित ढंग से चलना चाहिए। उससे तो नितान्त मनमानापन झलकता है। महोदय तीसरी बात यह है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय जी आप को और अनुमति नहीं दी जा सकती। आप मुझे इस बात से आश्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं कि इस सभा को इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति देने का कोई विधायी अधिकार नहीं है और आप किसी अन्य मुद्दे पर न बोलें।

श्री एस. के. राय : महोदय, दूसरी बात यह है कि प्राथमिकता का प्रश्न है। सरकार की अपनी प्राथमिकता है। उसने एक अनुसूची दी है और उसमें इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए, इसे अन्य मदों से पहले क्यों लगाया गया है ? इसका कारण नहीं बताया गया है।

अन्त में, महोदय एक अत्यधिक संवेदनशील प्रश्न है।

उपसभाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री ए. के. राय : कृपया एक मिनट की अनुमति और दें। महोदय, हम ऐसी संवेदनशील स्थिति में जहां देश को तोड़ने वाली शक्तियां सदैव जोड़ने वाली शक्तियों पर हावी रहती हैं। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क रहना है। यदि सरकार की दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की योजना है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें इसकी व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो झारखण्ड, विदर्भ, पांडिचेरी और उत्तरांचल को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता है ? इससे कोई तूफान नहीं आएगा, बस तो झोंका मात्र होगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सभा संकल्प करे तो हम झारखण्ड का समर्थन करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है। क्या सरकार झारखण्ड को भी राज्य का दर्जा देने को तैयार है ?

क्या सरकार अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करने के लिए तैयार है अथवा क्या यह केवल क्षेत्र बढ़ाकर पीछा छुड़ाना चाहती है ? यदि ऐसी बात है, तो पूरा देश शून्य काल में चला जाएगा और व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था के प्रश्न ही बाकी रह जाएंगे । अतः, महोदय क्या आप समूचे देश में शून्य काल लाने में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे न तो सरकार का समर्थन करना है और न ही आपका ।

श्री ए. के. राय : महोदय, क्या आप इससे सहमत हैं कि व्यवस्था के स्थान पर केवल अव्यवस्था के प्रश्न ही रह जाएं ? यदि आप इससे सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक गम्भीर बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात में जो परिहास छिपा हुआ है, मैं उससे सहमत हूं ।

श्री ए. के. राय : महोदय, हम एक गम्भीर और पेचीदा स्थिति में हैं । हम एक नाजुक मामले पर चर्चा कर रहे हैं । महोदय, क्या आप इसे समझते हैं ? जब देश नष्ट हो रहा है तब आप यहां बैठे हुए केवल अध्यक्षता ही करते रह सकते । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर एक नीति तैयार करनी चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कम, झारखण्ड, विदर्भ और पांडिचेरी को भी राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत है । यदि सरकार यह करती है, तो हम सभी इसका समर्थन करेंगे । लेकिन यदि वह स्थिति भड़का कर परदे की ओर मैं तमाशा देखना चाहती है, तो हम इसके विरुद्ध हैं । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक गलत इरादे से गलत समय पर पुरःस्थापित किया गया है, अतः, मैं इसका विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री जे. पी. अग्रवाल (चांदनी चौक) : दिल्ली वालों की बहुत सालों से यह मांग थी कि दिल्ली को एक पावरफुल असेम्बली दी जाये ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें । दिल्ली को और मसलों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये, जो बिल आप लाये हैं उसमें ला एण्ड आर्डर सबजेक्ट नहीं दे रहे, मास्टर प्लान नहीं दे रहे, अर्बन आर्ट कमीशन नहीं दे रहे । दिल्ली वालों को सिर्फ एक झुन-झुना दे रहे हैं और कुछ नहीं है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें मत उलझिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न रख रहा हूं । प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

2.11 म. प.

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : श्री मुफ्ती मोहम्द सईद की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोधकांत सहाय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

2.12 म. प.

दान-कर विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : प्रो. मधु दण्डवते की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दान-कर के अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दान-कर के अद्रग्रहण का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनिल शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

2.13 म. प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले।

*दिनांक 31.5.1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : पहले हम इन तीन विधेयकों को लेते हैं और इसके बाद नियम 377 के अधीन चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कार्य-सूची के अनुसार चलना चाहिए। हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

(एक) कालीकट हवाई-अड्डे पर सुविधाओं में सुधार किए जाने और वहां से अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की मांग

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : मालाबार के लोगों की बहुत समय से यह इच्छा थी कि कालीकट में एक हवाई अड्डा हो, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस मामले में रुचि लिए जाने के बाद ही इसे पूरा किया जा सका। चूंकि इसका रनवे केवल 6,500 फुट है, अतः बोइंग 737 और एयर बस 320 विमान ही कालीकट से आ जा सकते हैं। रनवे की लम्बाई को 9,000 फुट तक बढ़ाए जाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है।

रात के समय विमान को हवाई अड्डे पर उतरने संबंधी सुविधाएं देने से संबंधित सभी आवश्यक कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। कालीकट हवाई अड्डे की उद्घाटन 13 अप्रैल, 1988 को किया गया था। लेकिन अभी तक वहां केवल एक ही उड़ान भरी जाती है तथा वह है कालीकट से मुम्बई। पहले कालीकट से दो उड़ानें भरी जाती थीं किन्तु एक उड़ान पहले ही रद्द कर दी गई है। खाड़ी देशों में अधिकतर कामगार मालाबार क्षेत्र के हैं तथा वे सभी कालीकट हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। अतः मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कालीकट से कुछ और उड़ानें आरम्भ करें और कालीकट हवाई अड्डे की समस्याओं पर ध्यान दें।

(दो) आन्ध्र प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े अनन्तपुर जिले में खनिज कच्चे माल पर आधारित सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री ए. वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। देश के समग्र आर्थिक विकास में उद्योगों की मुख्य भूमिका है। भारत की स्वतंत्रता के बाद औद्योगीकरण केवल शहरों तथा उनके आस पास क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। इससे असंतुलन बढ़ा है, और लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। देश में शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है गांव में भी शिक्षित युवा वर्ग उपलब्ध है। अतः जिला स्तर पर भी औद्योगीकरण को होना चाहिए तथा यथोचित मामलों में तालुका स्तर पर भी होना चाहिए और वहां पर स्थानीय शिक्षित युवाओं को नौकरी दी जा सकती है। इस प्रकार से उद्योगों का औद्योगीकरण करने से ग्रामीणों को शहरों में आने से रोका सकेगा। आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ सूखाग्रस्त क्षेत्र है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है। ग्रेनाइट जैसे, खनिज व कच्चा माल चूना-पत्थर, सेलखड़ी, बाराटिस, डोलमाइट आदि, प्रचुर वहां पर मात्रा मे पाए जाते हैं। उद्योगों से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आदि वहां पर नहीं हैं। राज्य सरकार निधि की कमी के कारण वहां उद्योग आरंभ नहीं कर सकती। क्षेत्र के शिक्षित युवाओं की मांग है कि अनन्तपुर जिले में शीघ्र ही सरकारी क्षेत्र के उद्योग आरम्भ किए जाएं। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई किए जाने का अनुरोध है।

(तीन) बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में निर्मली और सरायगढ़ के बीच बन्द रेल लाइन को पुन: चालू किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडलांतर्गत निर्मली रेलवे स्टेशन से सरायगढ़ (भपटियाही) स्टेशन तक रेलवे लाइन थी, जो कोशी नदी के रेल पुल पर होकर गुजरती थी। वर्ष 1945-46 में कोशी नदी की भीषण बाढ़ में उक्त रेलवे पुल ध्वस्त हो गया और रेलवे लाईन बन्द हो गई। फलत: मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा आदि जिलों के लोगों को समीपस्थ सहरसा जिला जाने के लिए पहले की अपेक्षा 8 गुणी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ती है, जिसमें काफी समय एवं धन का अपव्यय होता है। मात्र एक रेल पुल टूट जाने के कारण एक रेल पथ (शाखा) को बंद कर देना न्यायोचित नहीं है। इस रेलवे लाईन के बंद होने से इस गरीब, बाढ़ पीड़ित एवं सीमांचल क्षेत्र के लोगों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

अत: रेल यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने और सीमांचल क्षेत्र के इस बाढ़ पीड़ित इलाके के विकास हेतु जनहित में, मैं मांग करता हूं कि इस बन्द शाखा रेल पथ को पूर्ववत चालू किया जाए।

(चार) महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिंडोरी में पेट्रोल पम्प खोले जाने की मांग

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

गांव व तहसील दिंडोरी जिला नासिक (महाराष्ट्र) में इस वक्त कोई भी पेट्रोल पम्प कार्यरत नहीं है। यहां की जनता अत्यंत त्रस्त है। बहुत सी कठिनाइयां उनके सामने हैं। मेरे इस निर्वाचन क्षेत्र से अनेक निवेदन-प्रतिवेदन मेरे पास रोज आते हैं। लोगों के फोन भी आ रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि करीब 2-3 साल पहले यहां दो आदिवासियों के नाम पर पम्प मंजूर हुआ था, किन्तु वे उसे चला नहीं सके व छोड़ कर चले गए। फिलहाल वहां पेट्रोल पम्प बंद है उसे कोई नहीं चला रहा है। अन्य लोगों ने इसे चलाने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से मांग की भी है, परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: निवेदन है कि तुरन्त उचित कार्यवाही कर जनता को कष्ट से मुक्त करें।

(पांच) बिहार में बरौंवा और महाराजगंज के बीच रेल लाइन को पुन: चालू किए जाने की मांग

श्री राम बहादुर सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय महाराजगंज, उत्तर बिहार के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में एक

है। इसके व्यापारिक महत्व को देखते हुए ही एक रेल लाईन दरौरा से महाराजगंज तक गई थी, लेकिन कटिहार-बाराबंकी आमान परिवर्तन के समय दरौंदा-महाराजगंज तक रेल लाईन को यह कह कर तत्काल बंद कर दिया। गया कि आमान परिवर्तन की समाप्ति के बाद इसे पुन: चालू कर दिया जाएगा। लेकिन खेद है कि आमान परिवर्तन के कार्य की समाप्ति दस वर्ष बाद आने के बाद भी दरौंदा-महाराजगंज रेल लाईन को चालू नहीं किया गया और नतीजा है कि आवागमन की सुविधा के अभाव में आम लोगों को तो कष्ट होता ही है, महाराजगंज जो एक व्यापारिक केन्द्र था वह भी मृतप्राय हो गया है और किसी व्यापारिक केन्द्र के मृतप्राय हो जाने का जो कुप्रभाव होता है, वह सर्वविदित है।

अत: मेरी मांग है कि दरौंदा महाराजगंज रेल लाईन को पुन: चालू करके पुरानी सुविधाओं को स्थापित किया जाए।

(छ:) राजस्थान को पेय जल की कमी दूर करने के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय को नियम 377 के अधीन सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

राजस्थान के सभी सांसद राजस्थान की पेयजल समस्या पर चिंतित हैं। जल संसाधन मंत्री जी ने तीन बार मीटिंग स्थगित कर दी।

संपूर्ण भारत की जनसंख्या की पांच प्रतिशत जनता राजस्थान में रहती है, लेकिन देश के जो जल स्रोत हैं, उनके मात्र एक प्रतिशत जल से ही उनकी सब तरह की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। राजस्थान में जल का अभाव होने के कारण इसे अन्य प्रदेशीय जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान को यमुना के पानी में से उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। गंगा नदी के बाढ़ का पानी यदि मिल जाए तो खुशहाली लाई जा सकती है। राजस्थान की टेहरी बांध के दस प्रतिशत पानी पर हिस्सेदारी है। यह पानी उपलब्ध हो जाए तो अलवर और भरतपुर जिले में उसकी उपयोगिता होगी। रावी-व्यास के 8.60 एम ए एफ पानी में से राजस्थान के हिस्से के 0.47 एम ए एफ पानी का गंगानगर जिले की नोहर एवं भादरा तहसीलों की भूमि की सिंचाई के लिए नोहर और सिद्धमुख परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं, परन्तु अभी तक इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर इन परियोजनाओं पर खर्च होने वाली निधि की योजना आयोग को स्वीकृति नहीं दी है। राजस्थान द्वारा प्रस्तुत चम्बल सी ए डी प्रोजेक्ट को विश्व बैंक को भेजा जाना आवश्यक है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को रोपड़, हरी के और फीरोजपुर हैड वर्क्स का हस्तांतरण पंजाब ने अभी तक नहीं किया है। भारत सरकार को वाटर के क्षेत्र के निर्माण के लिए नए कार्य भारती के कार्य करके राजस्थान के पेयजल की समस्या का समाधान करना चाहिए। जयपुर की पेयजल समस्या के समाधान के लिये रामगढ़ झील की भरण क्षमता में सुधार किया जाए व बांध की मिट्टी निकालने की योजना के साथ ही बीसलपुर परियोजना को चंबल से जोड़ा जाए व रामगढ़ बांध में इससे पानी भर कर जयपुर को पानी सप्लाई किया जाए।

(सात) बुन्देलखंड (उत्तर प्रदेश) में पेय जल की भारी कमी को दूर करने लिए तत्काल कदम उठाये जाने की मांग

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड के पांचों जिलों

बांदा हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और जालौन में पेयजल की समस्या अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। कुएं, तालाब, पोखरे तथा छोटे-बड़े नदी-नाले सूख गए हैं। लोग पानी की तलाश में घरों को छोड़ कर इधर-उधर भाग रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पेयजल की भीषण कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि की सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। राज्य सरकार अकेले अपने संसाधनों से इस समस्या को हल करने हेतु अस्थायी और स्थायी योजनाएं बनाने में असफल है। इस भीषण दैवी आपदा को हल करने के लिए सरकार को पहल करके पेयजल की अस्थायी व स्थायी योजनाएं तैयार करा कर आर्थिक व तकनीकी सहायता करनी चाहिए। हैंड-पम्पों व ट्यूबवैलों व जलकल का बड़े पैमाने पर निर्माण करना चाहिए। मानवीयता के आधार पर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है।

उन क्षेत्रों में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण जनता में भीषण रोष व असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर तुरत कार्यवाही करें।

(आठ) मुम्बई में चेम्बर टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर एक नया केन्द्र तत्काल खोले जाने की मांग

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, चेम्बूर टेलीफोन केन्द्र अर्थात् "52" केन्द्र बहुत पुराना है। अनेक लाईनों के "552" और "555" केन्द्रों में अन्तरण के बावजूद इस केन्द्र पर अभी भी बहुत अधिक भार है।

महानगर टेलीफोन निगम की वर्तमान योजनाओं के अनुसार 1991-92 में चेम्बूर टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर एक नया टेलीफोन केन्द्र लगाया जाना है। इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवा की स्थिति इतनी खराब है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र अर्थात 1990-91 में बदला जाना चाहिए। 1990-91 के दौरान बम्बई शहर में तीन अन्य केन्द्र बदले जाने अपेक्षित हैं। इस कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए और चेम्बूर केन्द्र को सबसे पहले बदला जाना चाहिए। इस बीच निम्नलिखित क्षेत्रों को स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर पड़ोसी केन्द्रों को अन्तरित किया जाना चाहिए जैसा कि सभी तीनों मामलों में निकटवर्ती क्षेत्रों को पहले ही अंतरित किया जा चुका है :—

1. पेस्टम सागर क्षेत्र घाटकोपर केन्द्र को अंतरित किया जाए अर्थात "511" अथवा "512"
2. बसंत पार्क, चराई, विजय विहार व सुन्दर अपार्टमेंट, गुलाब पार्क क्षेत्र मानखुर्द केन्द्र को अंतरित किया जाए। अर्थात् "556" "555" अथवा "551"
3. चूनाभट्ठी क्षेत्र सायन केन्द्र को अन्तरित किया जाए, अर्थात "407" और "48"

मैं संचार मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

(नौ) केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन को समय-समय पर उनकेवेतन-मानों में किए जाने वाले पुनरीक्षणों के अनुसार वृद्धि किए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किए जाने की मांग

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : भारत के वयोवृद्ध नागरिक अर्थात् भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों के पेंशन भोगी पिछले कुछ महीनों से पेंशन में एकरूपता लाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सेवाओं के सभी संवर्गों के वेतनमानों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। दुर्भाग्यवश, केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में हुई वृद्धि के अनुपात में पेंशन ढांचे तथा पेंशन में वृद्धि नहीं की गई है। 1.1.1986 को चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप तदर्थ वृद्धि प्रदान की गई थी यह वृद्धि न तो विवेकपूर्ण थी और न ही पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वेतनमानों में अनेक बार की गई वृद्धि को से मेल खाती है। केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के अनुपात में पेंशन ढांचा और पेंशन नहीं बढ़ाया गया था।

उच्चतम न्यायालय का फैसला था कि पेंशन पिछली सेवा की मजदूरी है, पेंशनरों को इतना पेंशन दी जाए की उनको अपनी जरूरत के लिए किसी से मांगना न पड़, वे आत्म-सम्मान के साथ रहें को पेंशनधारियों को जीना है न कि बचे रहना और पेंशन सेवा मुक्त होने की मजदूरी है; इस लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत पेंशन भोगियों पर भी लागू होता है। सेवा निवृत्ति के आधार पर पेंशन के लाभों के बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भी वेतन मानों में संशोधन किया जाता है। समान पदों के लिए समान दरों पर पेंशन की मात्रा में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से समय-समय पर वेतनमानों में किए गए संशोधनों के अनुरूप उनकी पेंशन में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) : राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब आदि के दुग्ध-उत्पादकों के लिए दूध का अधिक भाव सुनिश्चित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मोपत सिंह मखकासर (बीकानेर) : गत दिसम्बर माह में राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि कई राज्यों के करोड़ों पशुपालक किसानों के दूध के भाव 30 पैसे प्रति लीटर दिल्ली मदर डेरी व अन्य कुछ दुग्ध डेरियों ने कम कर दिये।

अजीब विडम्बना है कि देश में एक तरफ तमाम उपभोक्ता वस्तुओं व पशु चारे के भाव हर रोज बढ़ रहे हैं। मगर किसान के दूध के भाव को कम कर दिया गया है।

केन्द्रीय व राज्य सरकार ने दिसम्बर में किसान प्रतिनिधियों से कहा था कि यह 30 पैसे प्रति लीटर की कमी सिर्फ तीन माह रहेगी, मगर खेद का विषय है कि दिल्ली दूध डेरी व मदर डेरी ने राजस्थान के लाखों किसानों के दूध को लेने से भी इनकार कर दिया।

श्रीमान यह सर्वविदित है कि राजस्थान लगातार अकाल की चपेट में रहता है। ऐसे विकट समय में राजस्थान में लाखों किसानों की जिन्दगी का सहारा सिर्फ दूध व उसका पशुधन ही है।

केन्द्र सरकार को इन करोड़ों किसानों को दूध खरीदने की गारन्टी देनी चाहिए तथा दूध के भाव में सिर्फ 30 पैसा प्रति लीटर बढ़ोतरी ही न किया जाये, बल्कि दूध के रेट भी महंगाई को देखते हुए और बढ़ाये जावें।

(ग्यारह) बरेली में मौजूदा सैनिक हवाई पट्टी के निकट हवाई अड्डा बनवा कर उसे वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की मांग

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख केन्द्र है, कई प्रमुख औद्योगिक संस्थान जैसे इफको उर्वरक कारखाना, सिन्थेटिक्स, केमिकल्स, कम्फर एलाइड प्रोडक्ट, विमको, इंडियन ग्लेन्टाइन एन्डरोजिनक, आई, डब्ल्यू, पी, सहित तीन कॉटन मिलें आदि प्रमुख हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में हैं। बरेली को उपयोगिता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इसको काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बरेली में देश प्रसिद्ध जैन मन्दिर है तथा प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र नैनीताल को जाने का मार्ग बरेली से है तथा कुमायूं व गढ़वाल के लिए बरेली मंडी है, परन्तु बरेली को वायुदूत सेवा से न जुड़े होने के कारण पर्यटकों व औद्योगिक प्रमुखों व यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बरेली का तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है। इस कारण वायुदूत सेवा न होने के कारण इस कार्य में भी बाधा आ रही है। बरेली को अतिशीघ्र वायुदूत सेवा से जोड़ने हेतु मैं कई बार माननीय मन्त्री जी से मिल चुका हूं तथा उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। बरेली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बरेली को प्राथमिकता के साथ अतिशीघ्र वायुदूत सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी कार्यवाही करवा दें। इस सम्बन्ध में बरेली नगरवासियों का आग्रह है कि सैनिक हवाई पट्टी के निकट ही सिविल हवाई पट्टी का निर्माण करवा दिया जाये जो बरेली के निकट रहेगा व सुविधाजनक होगा और वायुसेना के अधिकारियों का भी कोई आपत्ति नहीं है।

(बारह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दिए जाने तथा इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु दीर्घावधि योजनाएं पूरी करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लिए जाने की मांग

श्री हरपाल सिंह पंवार (कैराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में सबसे अधिक खाद्यान्न का योगदान करता है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाओं आदि की व्यवस्था की जाए, तो वहां का किसान अधिकतम मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर सकता है और केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में और अधिक मात्रा में खाद्यान्न का योगदान कर सकता है।

इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी का भीषण संकट व्याप्त है। नदी, तालाब, कुओं

आदि के सभी जल स्रोतों से पानी सूख गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चोयावा क्षेत्र में जो कि मेरठ जिले में आता है, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई के लिए तो पानी की कमी है ही, परन्तु पशुओं और यहां तक मनुष्यों के लिए भी पीने के पानी का भीषण अभाव है। इस क्षेत्र में बहने वाली दो छोटी नदियों हिंडन और कृष्णा पर बैराज बनाकर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इस क्षेत्र की सभी नहरों के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाए जिससे नहरों में निरन्तर पानी रहे। मैं सरकार से जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि प्रत्येक गांव में 100 फुट गहराई से पानी खींचने वाले हैंडपम्प लगाने, नलकूप खोदने और नलकूपों आदि की मरम्मत करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान करे और पानी की कमी की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लेकर दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाई जाएं।

(तेरह) बिहार में काला आजार को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं निम्न लिखित सूचना देना चाहता हूं—

"बिहार राज्य में काला ज्वर के प्रकोप से लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। इस रोग का इलाज बिहार राज्य में नहीं हो रहा है। इसकी दवा विदेश से आती है जिसके एक एम्पल की कीमत चार हजार रुपए पड़ती है, जो गरीबों को खरीदनी कठिन हो जाती है। यह रोग खासकर गरीबों और श्रम करने वाले लोगों में फैला है। यह जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में फैला हुआ है। हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस रोग के मुंह में चले गए हैं और हजारों से अधिक जाने को तैयार हैं। यह रोग महामारी की तरह है जिस घर में आता है पूरे परिवार को खत्म कर देता है। केन्द्र सरकार की काला ज्वर के इलाज करने के लिए पटना में शाखा है। उसका कार्य रोगी को देखना नहीं है। जो केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन होता है, उसको सभी मिल कर बदर बांट कर लेते हैं। मैंने इसकी शिकायत सप्तम लोक सभा में वर्ष 1988 में भी की थी। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, मोती लाल वोरा पटना गए। सचिवालय में मुझे भी बुलाया एवं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री शिवकिशोर राम भी उपस्थित थे सभी बात कही गई, सुनकर जांच कराने का वादा भी किया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में काला ज्वर से लोगों को बचाने के लिए गांव में दवा का छिड़काव एवं कैम्प करके रोग से मुक्ति दिलवाने की व्यवस्था शीघ्र की जाए। साथ ही साथ पटना शाखा की जांच कराई जाए।"

(चौदह) मुरैना मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"मध्य प्रदेश के टेलीफोन डिवीजन मुरैना में पुरानी टाइप के दूरभाष एक्सचेंज कार्यरत हैं जिससे चम्बल डिवीजन मुरैना की जनता को टेलीफोन में बहुत असुविधा हो रही है।

कई लाइनें बंद पड़ी रहती हैं। मुरैना में लगने वाली इलैक्ट्रोनिक मशीन अन्य जगह पर लगा दी गई है जब कि देश के अन्य भागों एवं छोटे स्थानों पर आधुनिक उपकरण (इलक्ट्रोनिक एक्सचेंजेज) कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि चम्बल क्षेत्र की जनता के साथ विभाग द्वारा भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। चम्बल क्षेत्र की जनता इस भेदभाव पूर्ण रवैये की भर्त्सना और निन्दा करती है। मुरैना डिवीजन के पंचायत मुख्यालयों तक को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। बड़े-बड़े गांव टेलीफोन की सुविधाओं से वंचित हैं। साथ ही, मंडराल राजस्थान में है, वह सबलगढ़ जिला मुरैना से सीधा टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाए। विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है। वहां कर्मचारी दस-दस वर्ष से एक ही सीट पर कार्यरत हैं उनको हटाया जाए। मुरैना डिवीजन के अन्तर्गत पोरसा, अम्बाह, डिमनी, मुरैना, जौरा, सुमावली, कैलारस, पहाड़गढ़, सबलगढ़, विजयपुर, श्योपुर, बड़ोदा, भिण्ड, मेहगांव, अटेर, लहार आदि की टेलीफोन व्यवस्था ठीक की जाए। मुरैना औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और वहां पर बड़ी व्यापारिक मंडी है इसलिए मैं शासन से मांग करता हूं कि मुरैना डिवीजन में तुरन्त एक बीस हजार लाइनों की क्षमता वाला इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाया जाए तथा टेलीफोन व्यवस्था को सुधारा जाए।"

(पन्द्रह) रोसेड़ा, बिहार में एक चीनी मिल तथा एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का रोसेड़ा संसदीय क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा है यहां पर कोई भी उद्योग नहीं है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ती है जिससे लोगों के साथ भुखमरी की स्थिति है। रोजगार पाने का कोई माध्यम नहीं है। उक्त इलाके में गन्ने की खेती भारी पैमाने पर की जाती है, परन्तु चीनी मिल नहीं रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उस इलाके में आम, लीची, केला एवं अन्य फलों का उत्पादन किया जाता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त इलाके के पिछड़ेपन को देखते हुए एक चीनी मिल एवं जूस फैक्ट्री की स्थापना रोसड़ा संसदीय क्षेत्र में की जाए।

(सोलह) मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को तुरन्त लागू किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री वामन राव महाडीक (बुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं सरकार का ध्यान मंडल की आयोग रिपोर्ट को लागू करने हुए विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूं जो पिछड़े समुदाय को उनके व्यक्तिगत व देश के विकास के लिए राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाती है या लाने की कोशिश करती है।

सरकार के द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1977 में स्वीकार कर लिया गया था परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। तेरह वर्ष से अधिक विलम्ब होने के बाद, सभी पिछड़े समुदाय मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए दबाव डालने हेतु संगठित हो रहे हैं। राजधानी में हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी पिछड़े समुदायों की ओर से एक प्रस्ताव

पास किया गया है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को जल्दी लागू करने के लिए आन्दोलन किए जायें अतः मैं आन्दोलनों से बचने के लिए सरकार से मंडल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र ही लागू करने का अनुरोध करता हूँ।

(सत्रह) रतलाम रेलवे मंडल के अन्तर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के अन्तर्गत स्टेशनों से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ियों के समय चक्र में परिवर्तन तथा रेलगाड़ियों के विस्तार की आवश्यकता है। नागदा से कोटा के बीच देहरादून एक्सप्रेस में रिज-र्वेशन कोच को हटाने से आरक्षित रेल यात्रियों को काफी असुविधा हो गई है।

इन्दौर देवास के बीच पैसेन्जर रेल सेवा को उज्जैन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उज्जैन नागदा यात्री रेलगाड़ी को रतलाम तक बढ़ाने की मांग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जावरोद में अवन्तिका एक्सप्रेस का स्टापेज नहीं दिए जाने से भी व्यापक जन असंतोष व्याप्त है।

जनता को रेल यात्रा सुविधाजनक हो इस संबंध में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को विगत दिनों उज्जैन आगमन के अवसर पर चर्चा कर ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। किन्तु अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं।

रेलगाड़ियों के संबंध में जनता की सामान्य समस्याओं की ओर ध्यान देकर दूर किया जा सकता है। किन्तु जन समस्याओं की निरंतर उपेक्षा के कारण तीव्र असंतोष पैदा हो रहा है।

मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मंडल तथा क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं का शीघ्र निरा-करण करना चाहिए तथा इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। जन प्रतिनिधियों से सम्बन्धित स्तर पर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण शीघ्र करना आवश्यक है। रेलवे बोर्ड और मन्त्रालय स्तर पर भी ऐसे प्रयास करना उपयुक्त होगा।

अतएव माननीय रेल मन्त्री से मेरा निवेदन है कि देहरादून एक्सप्रेस में नागदा-कोटा के बीच रिजर्वेशन कोच लगाने, उज्जैन-नागदा को रतलाम तक तथा इन्दौर-देवास यात्री गाड़ी उज्जैन तक बढ़ाने तथा अवन्तिका एक्सप्रेस को जावरोद में स्टापेज देने के आदेश जनहित में शीघ्र प्रदान करें।

(अठारह) सम्राट बाइसिकल फैक्ट्री, सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गौरीगंज संसदीय क्षेत्र अमेठी सुल्तान पुर उत्तर प्रदेश स्थित सम्राट बायसिकिल फैक्टरी में लाक आउट कर दिया है जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं अपितु उनके परिवारों के समक्ष भरण-पोषण एवं जीवन-यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

उक्त फैक्ट्री में लगी एल. पी. जी. गैस की भारी टंकियां असुरक्षित हैं जिसके फटने की पूर्ण आशंका है। इससे कोई भी गंभीर अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः हमारी मांग है कि सरकार द्वारा फैक्टरी का अधिग्रहण कर उसे चालू किया जाए तथा मजदूरों को काम देकर उनके बकाये वेतन एवं बीमा सुरक्षा धनराशि का भुगतान कराया जाए।

अनुवाद

उपाध्यक्ष महोदय : केवल स्वीकृत पाठ ही रिकार्ड में शामिल किया जायेगा।

(उन्नीस) बिहार में मिथिला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है और उसके साथ भेदभाव किया गया है। यह भारत का अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां रेलवे सुविधाओं को दो बार उद्घाटन करने और बस्तर में व्यवस्था करने के पश्चात यथा समस्तीपुर दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे जय नगर और रक्सौल तक बढ़ाए जाने का कार्य छोड़ा जा रहा है। साकरी हसनपुर इत्यादि रेलवे लाइन का भी यही हश्र हो रहा है। यहां पर बाढ़, सूखा और विद्युत संकट स्थायी समस्याएं हो गई है और कोसी, कमला, बागमती, महानन्दा नदियों पर बहुउद्देशीय बड़े बांध बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और अकेले महसन अनेक राज्यों को पर्याप्त बिजली देने के अलावा उत्तर बिहार और नेपाल के तराई की अधिकांश कठिनाईयों का समुचित हल प्रदान कर सकता है।

यहां तक कि अशोक पेपर मिल्स, ठाकुर पेपर मिल्स मधुबनी और दरभंगा की फल प्रसंस्करण फैक्ट्रियों और ओ सी एम जैसे वर्तमान उद्योग भी ठीक प्रकार नहीं चल रहा है और रेयन लोहार और साकरी की पुरानी, चीनी मिलों को भी आधुनिक नहीं बनाया जा रहा है। पश्चिम कोसी नहर का निर्माण कार्य को बार बार विलम्बित जा रहा है।

यहां तक कि आकाशवाणी को दरभंगा स्टेशन की निर्माण क्षमता को भी संसाधनों को कमी के नाम पर अनेक आश्वासनों बावजूद नहीं बढ़ाया जा रहा है। बिहार में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत जो स्वयं में भी कम है की तुलना में वहां पर प्रतिव्यक्ति का पचासवां भाग है।

इन परिस्थितियों में लगातार उपेक्षा और भेदभाव बरतने के कारण इस राज्य के लोग अपने को कुण्ठित महसूस करते हैं। लोगों के शान्तिपूर्ण आन्दोलन बाशविकता से दबाये जाते हैं जैसा कि 12 जून, 1988 को हुआ है। मैं संघ सरकार से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र की उन्नति के बारे में सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करे और लोगों की बहुत समय से चली आ रही शिकायतों को समय रहते हुए दूर करे।

———

2.40 म. प.

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, १९९०

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम अगली मद पर विचार करेंगे यह संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक से संबंधित है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी. उपेन्द्र और संसदीय कार्य मंत्री श्री पी. उपेन्द उसे प्रस्तुत करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1988 का पूरक है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 1988 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप राज्यों की परिषद के सभापति के अलावा, संसद के अधिकारी 1.4.1988 से बढ़ी हुई दरों से वेतन, दैनिक भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, पाने के अधिकारी हैं। जबकि राज्यों की परिषद के अध्यक्ष का कुल वेतन अपरिवर्तनीय रहेगा।

इस विसंगति को दूर करने के लिए ताकि राज्यों के विधान परिषदों के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए लागू दैनिक भत्ते की दरों के बराबर प्राप्त करने के अधिकारी हो, संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में पुन: संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

उक्त दैनिक भत्ते को आयकर से मुक्त रखने का भी विचार है।

उपर्युक्त प्रावधान से भारत की संचित निधि से 54,000 रु. प्रति वर्ष का आवर्ती खर्च होगा।

विधेयक की प्रकृति बहुत सामान्य तथा गैर विवादास्पद है। मुझे उम्मीद है कि सदन इसे सर्वसम्मति से अपना समर्थन प्रदान करेगा तथा इस पर अधिक चर्चा किए बिना इसे पारित कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय। श्री हरीश रावत।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित विधेयक का क्या हुआ जिस पर कल चर्चा हो रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी बारी इसके बाद है। कार्यसूची आपको दे दी गई है, इस विधेयक के बाद आप उसे ले सकती हैं, आप कार्य सूची पढ़िये, वह आपके पास पड़ी है।

श्रीमती बासव राजेश्वरी। क्या आप उस विधेयक को ले रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही अगर समय बचा है तो हम अवश्य ही इस पर चर्चा कराने जा रहे हैं।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं आशा करती हूं कि इस पर चर्चा शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से भी और अपनी पार्टी की ओर से भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

माननीय उपेन्द्र जी भी कोई अच्छा सूझबूझ वाला बिल लेकर आ सकते हैं, इसका मुझे इस बिल को देखकर विश्वास हुआ। यह मात्र फोरमैलिटी है, जो कमी पहले रह गई थी, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वह एक अच्छी बात है। बल्कि मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल वाइस प्रेसीडेंण्ट साहब को जो एलाउंस हमारे लोक सभा के अध्यक्ष को प्राप्त हैं, वह दिये जाने चाहिए बल्कि और मामलों में भी विशेष तौर पर पार्लियामेंन्ट और पार्लियामेंण्ट से सम्बन्धित जितने भी अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनके एलाउंसेज, उनके एमोल्यूमेण्ट्स के विषय में भी पूरा विचार होना चाहिए। एक कमेटी इसके विषय में गठित की गई थी, उस कमेटी ने डिटेल में कुछ रिपोर्ट दी थी, उनमें से कुछ सुझावों को सरकार ने माना है और कुछ को सरकार ने नहीं माना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का काम संसद से सम्बन्धित अधिकारियों को करना पड़ता है, कर्मचारियों को करना पड़ता है, एक लिमिटेड टाइम के अन्दर जिस तत्परता के साथ वह काम करते हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाय, उतनी कम है। मैं समझता हूँ, यदि वह इतनी तत्परता, सूझ बूझ न दिखायें तो शायद हम संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्व को नहीं निभा सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। सरकार के कई लेजिस्लेटिव बिजनेस, जिनको पास करके लोक कल्याण के कामों को सरकार करना चाहती है, वह काम भी नहीं हो सकते। यह सारा उन लोगों के मिले जुले सहयोग का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि उस कमेटी में विभिन्न पक्षों के सदस्यों ने जो राय दी थी, उन रायों पर विचार किया जाना चाहिए, केवल वित्तीय स्थिति का बहाना लेकर उन सुझावों को टालना नहीं चाहिए, उन पर अमल करने के विषय में कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक राज्यसभा के सभापति से संबंधित है।

श्री हरीश रावत : जी हां, महोदय, लेकिन फिर भी यह संसद के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदन के अन्य अधिकारियों के बारे में नहीं है, अन्य अधिकारियों का जिक्र मत कीजिए। आप केवल राज्य सभा के सभापति की स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए, हम

केवल इसी बात पर विचार किया कर रहे हैं लेकिन आप किसी और विषय का उल्लेख कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं केवल मूल अधिनियम का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदस्यों के लिए सुसंगत नहीं होगा कि वे केवल संबद्ध मुद्दे पर ही चर्चा करें ?

श्री हरीश रावत : मूल अधिनियम है—'संसद के अधिकारियों का वेतन और भत्ता'।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी अधिकारियों से संबंधित नहीं है। इसका संबंध केवल राज्य सभा के सभापति से है। अन्य अधिकारी विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं।

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विधेयक का सीधा संबंध अन्य अधिकारियों से नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसा विधेयक है जिसके बारे में आप कह चुके हैं कि यह एक अच्छा विधेयक है तथा आप इसका समर्थन करते हैं।

श्री हरीश रावत : ठीक है, महोदय, यदि आप समय की बचत करना चाहते हैं तो मैं अपनी बात कुछ शब्दों में कह देता हूं। मैं अपनी बात कहने के लिए सदन का 20 मिनट का समय लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ऐसे किसी विषय के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसे सभा के अपनी चर्चा की सूची में न शामिल किया हो।

श्री हरीश रावत : इसका सीधा सम्बन्ध वेतन और भत्ते ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों को बताने वाला विवरण पढ़िए तथा यह भी पढ़िए कि विधेयक में उल्लिखित विषयवस्तु क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि यह केवल राज्य सभा के सभापति से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जो अमेंडिंग बिल है उसके विषय में और जो ओरिजिनल बिल है, उसके विषय में भी मैं बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक की विषय वस्तु की बात न करके बात कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं उस बात पर आऊंगा, मैं इसे समझता हूं। यह जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

राज्य सभा के चेयरमैन को लोकसभा के अध्यक्ष की तरह फेसी-एलाउन्स मिले, इसके विषय में कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। यह अच्छा कदम है, जिसका मैं शुरू में ही स्वागत कर चुका हूं।

मैं तो केवल इतना ही आग्रह और करना चाह रहा था, जिन-जिन मामलों को लेकर अच्छी फैसीलिटीज मिल सकें, इसके विषय में भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। न केवल चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के विषय में बल्कि उनको मदद करने वाले जो दूसरे उनके हाथ और पांव हैं, उनके विषय में भी सोचा जाना चाहिए। मैं तो सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि संसद सदस्यों के विषय में भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना संसद सदस्यों को दिया जाता है, इकोनोमी के नाम पर जिस तरीके से कटौल करते रहते हैं, वह सब उचित नहीं है। हम को कम से कम इतना रिस्पैक्टेबल एमाउन्ट देना चाहिए, जो रिस्पैक्टेबल एमाउन्ट उनके काम को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके काम को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो।

इन शब्दों के साथ में पुनः विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1990 अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते में 1988 में किए गए संशोधन एवं संसद सदस्यों के पेन्शन अधिनियम, 1954 में व्याप्त खामियों एवं अनियमितताओं को समाप्त करने की दिशा में एक प्रयास है, 1988 में किए गए संशोधन द्वारा राज्य सभा के सभापति की परिलब्धियों को यथावत रखा गया जब कि अन्य की परिलब्धियों में वृद्धि की गई थी, अब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के लिए आगे आई है, यह एक स्वागत योग्य कदम है, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि अन्य मामलों में भी कुछ इसी प्रकार की अनियमितताएं व्याप्त हैं, जिन्हें सरकार को देखना चाहिए तथा दूर करना चाहिए,

मैं सरकार से यह भी आशा करूंगा कि वह संसद के अधिकारियों के भत्तों में वृद्धि से संबंधित एक नया विधेयक, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री हरीश रावत द्वारा भी कहा गया है, सदन में आए, इसमें संशोधन किए जाने की भी आवश्यकता है, मैं अधिनियम में संशोधन करने का समर्थन करता हूं,

[हिन्दी]

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके लिए श्री पी. उपेन्द्र जी को बधाई देता हूँ। अभी तक जो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के बीच में फर्क चल रहा था उस फर्क को मिटाने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया है। यह कदम वास्तव में प्रशंसनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय पी. उपेन्द्र जी से पहले जितने भी पार्लियामेंट्री एफेयर्स के मिनिस्टर्स रहे जैसे श्री एच. के एल. भगत जी थे, उनके समय से भूतपूर्व सदस्यों के लिए मांग चली आ रही है। संसद सदस्यों की पैंशन और सैलरी के विषय में जो बात उठाई थी, उस बात में उनके साथ मतभेद किया जा रहा है। पैंशन

के साथ दूसरी सुविधायें, जैसे रेल सफर इत्यादि की बात है, उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे अगले सत्र में एक और संशोधन विधेयक लाने की कोशिश करें, ताकि भूतपूर्व संसद सदस्यों की अन्य सुविधायें, जैसे रहने की बात, रेल में सफर करने की बात तथा और भी दूसरी सुविधायें हैं, वे उनको मिल सकें। इसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी स्टैंड करती है, उसकी सिफारिशों को लागू करें। इसी प्रकार भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन पांच सौ रुपए से बढ़ाई जाए। यह मांग है कि उनको भी 1250 रुपये दिये जाएं। इसकी बाकायदा सिफारिश भी की गयी है।

मैं यह भी मांग करता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानियों की तरह भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी सफर करने की सुविधाएं दी जाएं और उन तमाम भूतपूर्व संसद सदस्यों को दी जाएं जो कि कांस्टीच्युएंट असेम्बली से लेकर के अब तक के हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह का एक संशोधन विधेयक लाकर के ये सब सुविधाएं उनको भी दी जाएं।

लोक सभा के स्पीकर और राज्य सभा के चेयरमैन के बीच में जो सेलेरी और अलाउंसिज में अभी तक अंतर चल रहा था उसको आपने इस विधेयक के द्वारा दूर किया है, यह आपका प्रशंसनीय कदम है। इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : माननीय उपेन्द्र जी जो यह बिल लाए हैं उससे हमें बहुत दिनों में एक अच्छा काम करने का अवसर मिला है। यह जो लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के भत्तों में अन्तर चल रहा था उसको इस बिल के द्वारा पाटने का प्रयास किया है यह अच्छा है। इसी तरह से जो और भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी अगर कोई अन्तर हो तो अभी नहीं तो आगे ही सही, उसे भी दूर किया जाना चाहिए।

माननीय संसद सदस्यों ने इस बात की भी चिंता व्यक्त की है कि अगर कोई संसद सदस्य कुछ दिन बाद भूतपूर्व बन जाता है तो उसको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो कमेटी ने इस संबंध में सिफारिश की है उनको भी पूरा किया जाना चाहिए।

मैं आपके इस प्रयास का स्वागत करता हूं और मुझे इस बात से खुशी होती है कि यह बिल लाकर के एक खाई को पाटने का प्रयास किया गया है।

मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य सभा के सभापति के वेतन और भत्ते में वृद्धि की बात उठाकर वास्तविक मामले में समानता को सामने ला रखा है क्योंकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1988 के संशोधन द्वारा हर किसी ने किसी न किसी तरह से अपने वेतन भत्तों में वृद्धि करवा ली लेकिन जब वही वृद्धि राज्य सभा के सभापति के वेतन भत्तों में करने की हुई तो यह मामला टल गया, लेकिन यह एक विसंगति है जिसे ठीक किया जा रहा है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। केवल यही बात नहीं है। यह सत्य है कि सभापति भी प्रत्येक दिन सभा में बैठकर काम करता है अतः दैनिक आधार पर उसके

भत्तों में वृद्धि से संबंधित लाए गए संशोधन का हम जोर शोर से स्वागत करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए यह कहना गलत न होगा कि 1988 के बाद से बहुत कुछ बदल गया है और यह एक कारण है जिसकी वजह से अनेक सदस्यों ने यह कहा कि वर्तमान और भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा ऐसी मांगे की जा रही है—मैं मांगों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं किन्तु मांग हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री, जो आमतौर पर हम लोगों के लिए सहानुभूति का रवैया रखते हैं, इस मामले पर विचार करेंगे तथा अगले सत्र में इस विधेयक को लाएंगे,

श्री पी. उपेन्द्र : हमेशा,

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : हमेशा यह बहुत पक्का आश्वासन है, वह सदस्यों की मांगों से संबंधित विधेयक अगले सत्र में लाएंगे तथा और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमे भिखारियों की तरह कटोरी लेकर भीख न मांगनी पड़े और लोक लेखा समिति के सभापति भी, जो इस समय काफी आराम से आ रहे है तथा जिनके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री जी को अपनी तरफ से प्रभावित करने की हर संभव कोशिश करेंगे, मेरे विचार से समिति ने पहले ही इस बात की सिफारिश कर दी है और यदि आप इस बात पर गम्भीरता से गौर करेंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा कि वह और मैं, स्वय, भारत के दक्षिणी कोने से आए हैं तथा हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में प्राय: आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध विमान सेवाओं की संख्या काफी सीमित है—निश्चय ही है यदि वह मंत्री बन जाते हैं तो फिर सारी समस्याएं स्वत: हल हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि अभी हम वहीं है जहां ये तथा जहां हमेशा से रहे हैं (व्यवधान) आप यह नहीं चाहते है, बेहतर होगा विमान किराए में वृद्धि कर दीजिये,

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सरकार को उसके फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि हम सब इस विधेयक का तथा उसकी भावना का समर्थन करते हैं और हम आशा करते हैं कि वह संसद के सभी सदस्यों को समर्थन देना जारी रखेंगे,

3.00 म. प.

श्री पी. उपेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक को समर्थन दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, राज्य सभा के सभापति के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में एक विसंगति है। जब कि अधिनियम में लोक सभा के अध्यक्ष को शामिल किया गया है, सभापति को छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति के वास्तविक वेतनों के बीच काफी बड़ा अन्तर आ गया है, सभा को यह जानकार आश्चर्य होगा कि राज्य सभा के सभापति को मिलने वाला वास्तविक वेतन अन्य सभी सांविधानिक उच्च पदों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले वास्तविक वेतन से सबसे कम है, यहां तक कि यह राज्य सभा के उपसभापति तथा राज्य के राज्यपाल के वास्तविक वेतन से भी कम है, निश्चय ही, यह अत्यन्त, मंत्रियों तथा अन्य सभी अधिकारियों के वेतन से कम है इस विसंगति को दूर करना है, इसीलिए यह विधेयक सभा में लाया गया है,

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या आपको राज्य सभा के सभापति से अधिक वेतन मिलता है ?

श्री पी. उपेन्द्र : जी हां, इस समय मैं उससे अधिक वेतन ले रहा हूं,

महोदय, कुछ सदस्यों ने अन्य मुद्दों को भी उठाया है जो जिसका सीधा सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं है जैसा कि आपने ठीक निर्णय दिया था, लेकिन सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर प्रतिक्रिया करना मेरा कर्तव्य है, उन्होंने संसद के अन्य अधिकारियों और स्टाफ के बारे में बात की थी इस संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी अधिनियम, 1953 में संसद के अधिकारियों से तात्पर्य केवल राज्य सभा के सभापति और उपसभापति और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है। इस तरह उस अधिनियम के अन्तर्गत केवल चार व्यक्ति आते हैं। लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी संसद सचिवालय के विभिन्न नियमों के अंतर्गत आते हैं और वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते,

महोदय, जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैंने स्वयं संसद सदस्यों और संसद के भूतपूर्व सदस्यों को कुछ और सुविधायें प्रदान करने का एक प्रस्ताव रखा था। इन सुझावों पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा 30 अप्रैल और 15 मई को विचार किया गया था। इन सिफारिशों को सम्बन्धित मंत्रालयों को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और मुझे आशा है कि अगले सत्र तक सम्बन्धित मंत्रालयों से उनका उत्तर भी मिल जायेगा। इनमें भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन भी शामिल है। इस समय यह पेंशन केवल 500 रु. प्रति माह है। आज कल की महंगाई के दिनों में, 500 रुपयों में कुछ भी नहीं होता। अतः समिति ने भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन और उनके यात्रा और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है संसद के वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने कुछ सुझावों को स्वीकृत किया है। निःशुल्क टेलीफोन कालों की संख्या, वायुयान यात्रा, पति/पत्नी के लिए यात्रा सुविधा, और कतिपय सचिवालय भत्तों और दिये गये अन्य सुझावों के सम्बन्ध में, मैं अब यह सभी ब्योरा नहीं देना चाहता जब तक कि संबद्ध मंत्रालय और केबीनेट इसको स्वीकृति न दे दें। परन्तु हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे है और मैं संसद सदस्यों की भावनाओं से भी अवगत हूं।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आसाम के वे संसद सदस्य जो बिना उनकी गलती के, पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, के लिए क्या प्रावधान होगा ?

श्री पी. उपेन्द्र : उसको भी ध्यान में रखा गया है। समिति की एक सिफारिश यह है कि कार्यकाल पूरे पांच वर्ष तक पूरा होना आवश्यक नहीं है। इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है ताकि वर्ष के आधार पर पेंशन की गणना की जा सके। इन स्पष्टीकरणों के साथ मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद के अधिकारी के वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.05 म. प.

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विधेयक, अर्थात राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक पर विचार आरम्भ करेंगे ।

श्री सुबोध कांत सहाय ।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"राष्ट्रपति उपलब्धि और और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं अंत में बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री कल्पनाथ राय :

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं विशेष रूप से श्री उपेन्द्र जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे राष्ट्रपति जी की पेंशन 2500 रुपये प्रति-माह से बढ़ा कर 10000 रुपए प्रति माह करने के संबंध में बिल लाए हैं, लेकिन कई विधानसभाओं के एम एल एज को पेंशन 1250 रुपये प्रतिमाह है, और एम पीज की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह है। इसी तरह से जो कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस लोकसभा सदस्य को दिया जाता है, वही राज्यसभा के सदस्य को भी दिया जाता है, जबकि लोकसभा सदस्य 9 लाख, 10 लाख और 11 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, किसी के लिए भी अपने क्षेत्र का दौरा पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल सुविधाएं नहीं हैं। यदि सदस्य को अपने क्षेत्र में पत्र लिखने हों तो कोई टाईपिस्ट नहीं है, स्टेनो नहीं है, हजारों पत्र लोकसभा सदस्य के पास आते हैं, जिनका जवाब उसको देना होता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें संसद में नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन यह बात भी वाजिब नहीं है बिल्कुल डरालवांन की तरह जिन्दगी जीते रहें, इससे कोई लाभ नहीं है। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। कांस्टीट्यूंसी अलाउंस बहुत कम दिया जाता है और सेलरी दुनिया में सबसे कम हिन्दुस्तान के संसद-सदस्य की है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, वे राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनको इतनी दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन लोकसभा सदस्यों को बहुत दिक्कत होती है। लोकसभा सदस्यों के सेलरी एवं अलाउंसेज कई राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों से भी कम है, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। एक-एक सदस्य 9-10 लाख मतदाताओं द्वारा चुनकर लोकसभा में आता है। (व्यवधान) मैं हमेशा सही बात बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि हम गरीब देश के नागरिक हैं, लेकिन 11 लाख लोगों के के बीच जाने के लिए या गांव-गांव में जाने के लिए···(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप फैसला कीजिए, 6 महीने पार्लियामेंट चलती है और 2 महीने कमेटियां चलती हैं, केवल 4 महीने बचते हैं, इन 4 महीनों के अन्दर आपको अपने क्षेत्र के 11 लाख मतदाताओं के बीच में जाना पड़ता है। आप हमें बताइये···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह सारा इससे संबंधित नहीं है।

श्री कल्पनाथ राय : आप हमें बताइये, किस तरीके से कोई भी सदस्य अपने मतदाताओं के बीच जा सकता है ? उपाध्यक्ष महोदय, जनता की आशा होती है कि जिसको हमने लोक सभा का सदस्य चुन कर भेजा है, वह हमारी सारी समस्याओं को हल करे और हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोक सभा के सदस्यों की सैलरी, अलाउंसिज, पेंशन और कांस्टीच्यूएंसी एलाउंस पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राष्ट्रपति की पेंशन और सैलरी के संबंध में जो विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ राय जी ने जो बात कही है, वह वास्तव में सही है। मैं दो बातें सरकार को कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि अभी संसद सदस्यों के लिये टेलीफोन काल, लोकल और एस. टी. डी. काल दोनों मिलाकर, सीमा 30 हजार रुपये तक रखी है। आप जानते हैं कि हमारे पास क्षेत्र के आदमी आते हैं। कमेटी ने कहा था कि इस सीमा को 60 हजार रुपये तक कर दिया जाए। इसको सरकार को मान लेना चाहिए।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक साल में 17 हवाई जहाज के टिकट मिलते हैं। हम बम्बई जाते हैं और हमारी पत्नी दिल्ली में रह जाती है। (व्यवधान) तो मेरा कहना यह है कि पत्नी और परिवार के लिये भी 17 टिकट इसमें इनक्लूड किए जाएं। दोनों के बारे में मंत्री जी आज ही घोषणा करें।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति की उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1990 का समर्थन करता हूं। विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करते हुए, मैं एक या दो बातें कहना चाहता हूं।

यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें वेतन में 5,000/- रुपये प्रतिमाह और पेंशन में 7,500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि का प्रस्ताव है और अन्य लाभों में भी वृद्धि का प्रस्ताव है, यह स्वागत योग्य कदम है। परन्तु स्वयं प्रस्ताव से यह पता चलता है कि कैसे कीमत सूचकांक बढ़ रहा है। यह स्पष्ट संकेत है। यह चौंका देने वाले स्तर पर बढ़ रहा है।

विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कीमतों में हो रही वृद्धि के रुख को विभिन्न समुचित उपायों से रोकने का प्रयास करें केवल सद् इच्छाएं ही कीमत में कमी नहीं लायेंगी। कुछ रचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए; तुरन्त कुछ समुचित उपाय किये जाने चाहिए ताकि कीमतें कम हो और राजकोष पर और अधिक दबाव न पड़े।

मैं दूसरा मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों केन्द्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन 1.1.1986 से बढ़ाये गये थे। राष्ट्रपति का वेतन और उपलब्धि दिसम्बर, 1985 में बढ़ाये गए थे। अतः राष्ट्रपति के वेतन, उपलब्धि और अन्य लाभों को बढ़ाते समय सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए भी यह उचित समय है। सरकारी कर्मचारियों ने पहले ही अपने वेतन और लाभों में वृद्धि के लिए मांग की है। विभिन्न संगठनों ने उसका समर्थन किया है। यह एक सकारात्मक कदम है जो सरकार इस दिशा में उठा रही है। यह एक नया तर्क है। अब सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग को और अधिक समय के लिए अस्वीकार नहीं कर सकती। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर भी विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, इस विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और उसे राज्य में सभी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर सके। यही नहीं राष्ट्रपति को, अपने पद के कारण विदेशी पदाधिकारियों और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अन्य

राष्ट्रीय नेताओं से भी मिलना-जुलना पड़ता है। मैं इनका स्वागत करता हूं और हमारी पार्टी की ओर से, मैं सरकार के इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं।

इस संबंध में, मैं गृह राज्य मंत्री और समय हो उपेन्द्र जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हाल ही में समाचार पत्रों में कतिपय भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का कठिनाईयों के बारे में कुछ समाचार छपे हैं। मैं यहां नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। इस विधेयक को लागू करते समय कृपया इस पक्ष का भी ध्यान रखें क्योंकि जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के रूप में सेवा की है। आखिरकार, वे अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति है और हम सब उनका आदर करते हैं और तभो, हमने उनका देश का राष्ट्रपति बनाया है। इसलिए वे उन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों जो अभी जीवित है, के संबध में, यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह उनकी आवास संबंधी अन्य सुविधाओं, सुरक्षा और स्टाफ व्यवस्था का भी है समो उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जब वे देश के दौरे पर आएं तो सरकार उन्हें उच्चतम संमान दे। एक बार मुझे ज्ञानी जैल सिंह के साथ यात्रा करने का सुअवसर मिला था और यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार ने उनका उचित ढंग से स्वागत किया और इसे जारी रखा जाना चाहिए मैं इसकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य से तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि यह अन्य मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पर सरकार का पूरा समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें कहूंगा, जो शायद अन्य लोगों के विचारों से मेल न खाती हों। मेरे विचार से महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तनख्वाह बढ़ाना या उनकी पेंशन बढ़ाना उचित नहीं है। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं और उनका नाम तथा उनके आदर्शों पर चलने की बात हमेशा कहते रहते हैं। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि इस देश के राष्ट्रपति को यमुना के किनारे एक झोंपड़ी में रहना चाहिये और जिस तरह हिन्दुस्तान का छोटा आदमी रहता है, उस तरह से रहना चाहिये। उसकी आमदनी इतनी होनी चाहिए जितनी हिन्दुस्तान के सबसे छोटे और गरीब आदमी की होती है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस देश के सबसे बड़े अधिकारी का वेतन, उसकी आमदनी इतनी होनी चाहिए जितनी इस देश के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुये व्यक्ति की होती है। उन्होंने कहा था कि मंत्री का वेतन और राष्ट्रपति का वेतन समान होना चाहिये, लेकिन आज हमें दुख है कि एक ओर हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि राष्ट्रपति महोदय की पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज इस देश के खेतिहर मजदूर को श्रीमन एक भी पैसा पेंशन नहीं मिलती है ? हम जानते हैं कि अपने देश के अन्दर आठ करोड़ ऐसे खेतीहर मजदूर हैं, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बाद एड़ी रगड़-रगड़ कर मर जाते हैं, न तो वे खेतों में मजदूरी कर सकते हैं, न वे महनत कर सकते हैं और न उनके लड़के बच्चों को इतनी मजदूरी मिलती है जिससे वे अपने माता-पिता की सहायता कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनका भरण-पोषण कर सकें। श्रीमन् इस देश के अन्दर खेतीहर मजदूर के लिए पेंशन का आज तक कोई प्रावधान नहीं है और महामहिम राष्ट्रपति के लिये 10 हजार रुपया मासिक पेंशन ? श्रीमन् यह देश इस लायक है ? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ? इस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय 3 4 रुपया है। कहीं-कहीं तो एक रुपया 20 पैसा प्रति व्यक्ति औसत आय है। श्रीमन्, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां 182 रुपये प्रति

व्यक्ति सालाना औसत आय है। जापान में 22 हजार डालर प्रति व्यक्ति औसत आय है जापान की और हमारे देश में केवल 2८0 डालर प्रति व्यक्ति औसत आय है। श्रीमन् जो देश इतना गरीब है, जो देश इतना निर्धन है, वह देश क्या अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक लाख बीस हजार रुपया सालाना पेंशन दे या दस हजार महीना पेंशन दे ? श्रीमन् हम समझते हैं कि हमारे लिये शोभा नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, हमारी सरकार ने इस विधेयक को पेश किया है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन श्रीमन् समूचा देश आज हमारी तरफ देख रहा है, हम समूचे देश के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर हैं, तो हमको यह सोचना चाहिये कि इतनी ज्यादा पेंशन कैसे दी जा सकती है। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा उच्च लोगों की पेंशन की बात कही गई है। यह भी यहां कहा गया कि पार्लियामेंट के मेम्बर की पेंशन बढ़नी चाहिये प्राफीसर्स को बढ़नी चाहिये। मैं कहता हूं कि इस देश के सबसे छोटे प्राणी को, जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठा है, महात्मा गांधी ने जिसके लिये 'अन्त्योदय' की बात कही थी कि 'अन्त' का 'उदय' होना चाहिए। उसकेलिए हम लोग कुछ सोचते क्यों नहीं है ? कभी विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी की समाधि पर आकर श्रीमन् वहां बैठकर के यह कहा था कि हम लोग इस समाधि पर आकर फूल चढ़ाकर समझ लेते हैं कि हमने राष्ट्रपिता बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, लेकिन बापू तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब जिन हरिजनों के लिए तुमने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, जिन दरिद्र नारायण के लिए जीवनभर हाथ फैलाते रहे, जब तक उनके लिए कुछ नही किया जाता तब तक राष्ट्रपिता बापू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जा सकती है। किन्तु बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर लोग समझ लेते हैं कि हमने अपना पूरा कर्तव्य निभा दिया यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश के उन गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये और एक व्यक्ति को इतनी अधिक पेंशन नहीं होनी चाहिए।

श्रीमन् यहां रुपया बढ़ाने से इज्जत नहीं बढ़ती है। हमारे देश की तो यह परम्परा नहीं है कि यदि रुपया अधिक होगा तो इज्जत भी अधिक होगी। इस देश में तो श्रीमन् इज्जत और प्रतिष्ठा चरित्र से बढ़ती है। यदि ऐसा होता तो बिड़ला और टाटा का आमदनी तो अरबों में है, उनको प्रतिष्ठा और इज्जत तो बहुत ज्यादा होती। इसलिए इस पर कुछ विचार करना चाहिए। अन्यथा जो कुछ होगा, वह तो होगा, क्योंकि यह तो हमारी सरकार का विधेयक है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। मैं अपने विचार रखना उचित समझता हूं इसलिये मैंने अपने विचार श्रीमन् आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी बिल बहुत उचित है। माननीय यमुना प्रसाद जी के भावों की सदन कद्र करता है। उनके भाव क्रियान्वित हों, यह भी मेरा निवेदन है। किन्तु राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, चाहे वर्तमान हो या अवकाश प्राप्त हो, आज की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार का यह दायित्व होता है कि महामहिम को उसी तरह का आदर-सत्कार करें। ऐसी परिस्थिति में यह बिल आना स्वाभाविक था और मैं इस बिल का भरपूर स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की परिस्थिति में अन्य विषयों का भी, जिनकी चर्चा इस बिल में नहीं है, बहुत महत्व है। यह आप भी समझते हैं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी

समझते हैं । उन बातों को भी अलग से अलग लैवल में वहां जाना चाहिए । यही बात कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कल्पनाथ राय, बसई चौधरी, शास्त्री जी और तमाम माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के वेतन और उनके अवकाश के बाद पेंशन से संबंधित कुछ सवाल उठाए हैं । शास्त्री जी समाज के सबसे गरीब तबके के सवालों को लेकर आज इस सदन में आए हैं । मैं समझता हूं कि शास्त्री जी ने इसमें अपना सारा जीवन लगा दिया । लेकिन हमारे देश के सर्वोच्च संविधान का जो रक्षक है, आज उनकी जो आर्थिक स्थिति है, आज जो उनको मिलने वाले वेतन हैं, वह एक कैबिनेट मिनिस्टर का जितना मिलता है ···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पद की गरिमा ध्यान रखिए ।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : उनके लिए उस डिगनिटी को सरकार रखना चाहते हैं । आज उन्हें केन्द्रीय मंत्री को मिलने वाले वेतन से भी कम हम दे पा रहे हैं । यही नहीं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारे राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण करते हैं, वैसे लोगों की सुख-सुविधा की हम कहां तक खोज करें ? आप जानते हैं कि ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति को कर्नाटक में जो एक घर मिला था, उस घर को भी घर के मालिक ने कोर्ट में जाकर खाली कराने का काम किया । यह हमारे देश की मर्यादा से जुड़ा हुआ सवाल है और इसी दृष्टिकोण से हमने यह वेतन बढ़ोतरी की है । वेतन अगर पांच हजार रुपये बढ़ाया जाता है तो करीबन तीन हजार रुपये टैक्स में कट जाता । अवकाश ग्रहण किए हुए राष्ट्रपति को सुख-सुविधाओं में गाड़ी नहीं मिलती, घर नहीं मिलता, टेलीफोन नहीं मिलता, उनके पास पहले जो स्टाफ था वह नहीं मिलता, उनको सिर्फ बारह हजार रुपये मिलते थे । जो महंगाई बढ़ी है वह समाज के हर तबके के लिये बढ़ी है । इसे दृष्टिकोण में रखते हुए उन्हें जो बारह हजार रुपये मिलते थे, उसे तो हमने उतना ही रखा है, लेकिन हमने उनके लिये वह सुविधा दी है जो एक केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में रहे हुये सदस्य को मिलती है । इसलिए एक लाख बीस हजार रुपये सालाना अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति को और जो आज महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके लिए बीस हजार रुपये माहवार का जो प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि देश की, सदन की और राष्ट्र की गरिमा को देखते हुए आवश्यक है । इसलिए इस बिल को पास करने का कष्ट करें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.30 म. प.

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री हरीश रावत अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट का समय देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री हरीश रावत अपनी बात कह रहे थे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। हम इस सरकार के आभारी हैं कि उसने अपने वायदे को पूरा करने के लिये संसद के इस सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत किया है। महोदय, चूंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है जो आन्दोलन और विभिन्न महिला संगठनों की मांग पर लाया गया था इस लिये मेरा निवेदन है कि इस चरण में हम विधेयक पर चर्चा अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दें ताकि अगले सत्र में विधेयक पर और अधिक चर्चा हो सके। महोदय मेरा यही विचार है।

(व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : इसको क्यों स्थगित कर दिया जाना चाहिये ? हम पहले ही चर्चा आरम्भ कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी पार्टी से परामर्श करें।

श्रीमती मालव राजेश्वरी : चर्चा पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी और श्री हरीश रावत पिछले दिन अपनी बात रख रहे थे। चर्चा जारी रखने में क्या आपत्ति है ? क्या आपका तात्पर्य यह है कि विधेयक अपूर्ण है ? यदि हां, तो आप इस विधेयक को लाये ही क्यों ? अभी कल ही उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने आश्वासन दिया था। हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए उत्सुक नहीं थे। हमें इस पर चर्चा स्थगित नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैडम ने जो कुछ कहा वह बात अपने आप में बहुत तथ्यपूर्ण है। गवर्नमेंट इस बिल को महिलाओं के कल्याण के लिये कम, अपनी सरकार के कल्याण के लिये और प्रोपेगेंडा के लिये ज्यादा लायी है। इसमें कुछ नहीं है और राइट्स देने की बात भी नहीं कही गई है। यह केवल बहलाने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी बहन ने सुझाव दिया है, हम यह महसूस करते हैं कि विभिन्न महिला आर्गेनाइजेशन्स को जो हिन्दुस्तान भर की हैं, उनको अपने विचार इस विषय में रखने का मौका मिलेगा और इसमें नये आइडाइज आयेंगे। इसलिये जो सुझाव उन्होंने दिया है, हम अपने पक्ष की तरफ से उसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

अब चर्चा स्थगित की जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं नहीं समझती कि यह ढकोसला है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे महिला संसद सदस्यों के प्रतिनिधि-मण्डल, जो अत्यन्त माननीय सदस्य है, के बारे में एक रिपोर्ट देने दीजिए। वस्तुतः उन्होंने अध्यक्ष महोदय से बात की थी और कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक में एक मत से सुझाव दिया था कि पूर्ण-रुपेण विचार के लिये चर्चा को अगले सत्र तक के लिये टाल देना चाहिये। और मैं समझता हूं कि शेष माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि यही सभा का सर्वसम्मत विचार है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का क्या विचार है ?

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत होते हुए, मैं ऐसा समझती हूं कि यह ठीक है और हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन अभी हरीश भाई ने जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि हम इस बिल को लाने के लिये बहुत इच्छुक हैं लेकिन खेद की बात है कि तीन दिनों से यह बिल लिस्ट में आकर रुकता रहा और दूसरे बिजनेस आते गये।

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें यह बताना चाहूंगी कि हमने 5.2.1990 को एक बैठक बुलायी थी जिस में सभी संगठनों के लोग आये थे। तब से लेकर आज तक यह बिल नहीं आया, हमें उम्मीद थी कि उनकी तरफ से सुझाव आयेंगे लेकिन वे सुझाव आये नहीं हैं। जो कुछ सुझाव आये हैं, उनको हमने इस बिल में लाकर पूरा किया है। इसको स्थगित किया जा सकता है लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि यह बिल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अगले सत्र में सबसे पहले लिया जाये।

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हांडू (अनन्तनाग) : मैं अपनी बहन के सुझाव से सहमत हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु अनेक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इसके उल्लेख और लक्ष्य से ज्ञात होता है कि यह एक निगरानी रखने वाले निकाय के रूप में होगा। मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कतई पसन्द नहीं करता हूं।

उद्देश्य और लक्ष्य में ऐसा हो गया गया है। माननीय मंत्री महोदय से चर्चा स्थगित करने और सदस्यों से महिलाओं के कल्याण के लिए, जिसकी देश में आवश्यकता है, तथा आयोग को प्रभावी बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपनी बात रखने और संशोधन करने के लिए कहने का विनम्र निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझती हूं कि भारत की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जो बिल कल सदन में लाया गया गया था तो कल तो चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, आज इस बिल पर फिर दोबारा से चर्चा होनी थी लेकिन आज सुबह से मैं यह महसूस कर रही थी कि अगर जल्दी में यह बिल पास होता है तो इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिल पायेगा, क्योंकि जब बिल सदन में रखा गया तो खासतौर से जो लेडी सांसद हैं, वह महिलाओं की आवाज क्या है, इस बात को समझती हैं। यह बिल इस सत्र में न रखकर जो अगला सत्र है, उसमें रखा जाय ताकि जो लेडी सांसद हैं, उनको ज्यादा बोलने का मौका दिया जा सके और उनके सुझाव सरकार के पास जायें और उन सुझावों के आधार पर एमेंडमेंट लेकर इसको पास किया जाय, हें इससे सहमत हूं कि इसको अगले सेशन में लाया जाय।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सम्ममानीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सभी लोग अपने विचार रखना चाहेंगे। इस सदन के माननीय सदस्यगण और समय की थोड़ी सीमा में विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सारी बातों को रख सकें इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया जाय। बस इतना ही मुझे कहना है। मैं मायावती जी की का समर्थन करती हूं।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छी बात है कि जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं समझती हूं जितनी महिलाएं यहां सांसद हैं, वह सब एकमत हैं, चाहे उनकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी हो और यह इस बात का सबूत है कि जहां तक महिलाओं के सवाल हैं, महिलाओं के विकास का सवाल है, हम सब लोग एकमत हैं, इससे कोई अच्छी बात

नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि यह जो नेशनल कमीशन का सवाल है, यह महिला आन्दोलन का बहुत बड़ा आन्दोलन और संघर्ष का प्रश्न रहा है, बहुत सालों से और जो बहुत बड़े-बड़े महिला संगठन है, जिनके सब प्रतिनिधि इस संसद के प्रतिनिधि भी नहीं है, उनकी एक उचित मांग रही है कि इस बिल को पारित करने से पहले उनको पूरा मौका दिया जाय कि वह भी इस पर चर्चा कर सकें और अपनी राय दे सकें तो मैं समझती हूं कि यह राय हम सब लोगों को माननी चाहिए और सब को मौका दिया जाना चाहिए कि इस पर चर्चा करें अपनी राय दें, सिर्फ सांसदों को ही नहीं बल्कि महिला संगठनों और उनके प्रतिनिधियों को भी और उसके बाद ही अगले सत्र में इसके ऊपर डिस्कशन करके, विस्तृत चर्चा करके इसको पारित किया जाय।

[अनुवाद]

डा. सम्पि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक पर और आगे चर्चा को अगले सत्र तक के लिए स्थगित करने के मामले में अपने साथियों के साथ हूं क्योंकि अब सत्र समाप्ति की ओर है और उसमें केवल दो घण्टे और बचे हैं। यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनेक सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। नियम 193 के अधीन अन्य मतुक चर्चायें भी अधूरी हैं। वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं इस मद को अगले सत्र के लिए स्थगित कर देने के बारे में अन्य सभी सदस्यों के साथ हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरी बहुत सुभाषिनी अली जी का समर्थन करती हूं, क्योंकि, यह महिला आयोग की जो बात है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और महिलाओं के विकास की दृष्टि से हम यह समझते हैं कि स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति है इसलिए जब-जब भी स्त्री के विकास की बात होती है तो इस बात पर थोड़े समय में चर्चा नहीं हो सकती है, इस पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है, सफल प्रयास इस बात के लिए आवश्यक है ताकि इससे कुछ रिजल्ट्स परिणाम सामने आयें और इस सम्बन्ध में जितने महिला मण्डल यहां पर काम करते हैं, अखिल भारतीय स्तर के, उन सब के साथ पूरी चर्चा होकर वह इस बिल पर जो एमेण्डमेंट्स दे पायेंगे और अच्छा रूप इसका बना पायेंगे, इसलिए मैं भी यही चाहती हूं कि अगले सत्र में इस पर विचार विमर्श हो।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं इस बात से आश्चर्य चकित हूं कि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने के मामले में महिला सदस्यों में सर्वसहमति है।

प्रो. पी. के. कुरियन (मवेलीकारा) : जब सभा के सभी वर्ग विधेयक पर चर्चा को स्थगित किए जाने के पक्ष में हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा के सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस विधेयक पर चर्चा को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाये, विशेषकर सभा की महिला सदस्य चर्चा को अगले सत्र तक स्थगित करने पर सहमत हैं। सभी सदस्यों, और पार्टियों की सहमति से इस विधेयक पर चर्चा को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है।

3.40 म. प.

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 में संशोधन :

"जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये ।"

खण्ड-2

खण्ड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए :

"2 जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 में (क) उपधारा (1) और उपधारा (4) में आने वाले "लोक सभा या, 'यथास्थिति, राज्य की विधान सभा" तथा यथास्थिति संसद या राज्य के विधान मंडल में प्रत्येक सदन सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे; (ख) उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जायेगा ।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लोक सभा में 29 मार्च को पास किया गया था और राज्य सभा में दस अप्रैल को इसमें कुछ संशोधन करके उन्होंने फिर इस सदन के सामने भेजा है । संशोधन द्वारा जैसा कि एन्क्वायरी के तहत जनता को यह जानने का अधिकार है, जो एन्क्वायरी की गई और एन्क्वायरी की जो फाइंडिंग्स हुई, उन फाइण्डिंग्स को दोनों सदनों में रखा जाए । मैं समझता हूं कि राज्य सभा और लोकसभा की मर्यादा एक है । राज्य सभा ने यह बिल जो संशोधन करके यहां भेजा है, मैं यह आग्रह करता हूं कि इस अमेंडमेंट को पास करते हुए यह अधिकार दिया जाए कि जो भी एन्क्वायरी हो, उसको राज्य सभा और राज्य के काउन्सिल में रखने का अधिकार हो । यही मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 में संशोधन

"जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

खण्ड 2

खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"2. जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 में,

(क) उपधारा (1) और उपधारा (4) में आने वाले "लोक सभा या, राज्य की विधान सभा" तथा स्थापित लोक सभा या राज्य की विधान सभा शब्दों के स्थान पर

"यथास्थिति, संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे:

(ख) उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जायेगा।"

प्रो. के. वी. थामस (एर्णाकुलम) : महोदय, इस सभा में यह विधेयक जब प्रस्तुत किया गया था तब हमने कहा था कि सरकार को प्रत्येक बात को स्वार्थपूर्वक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब यह संशोधन लाया गया था तब सरकार उसकी राजनैतिक पृष्ठ भूमि को देख रही थी। महोदय हमको एक महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए। इस समय देश साम्प्रदायिकता जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे समय में जब देश इन समस्याओं से जूझ रहा है, केन्द्र या राज्य सरकारों को कोई एक या दूसरी जांच बैठानी पड़ रही है। तब भी सरकार महसूस करती है कि सभी जांच परिणामों का प्रकट किया जाना चाहिए। यहां मैं एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। श्री सी. केशव केरल के विख्यात प्रशासक थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तब सबरीमलै में एक अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड की जांच की गई थी और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। आपको मालूम है मुख्यमन्त्री की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट प्रकट नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाये, चाहे सैकड़ों मन्दिर स्वाहा हो जाये, मैं रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहा हूं। यह प्रतिक्रिया थी मुख्यमन्त्री की उस समय।

अतएव यदि सरकार इसके प्रति गंभीर है और महसूस करती है कि साम्प्रदायिक एकता स्थापित करना है तो उसे इस पर पुनर्विचार करना होगा। सरकार को इसे हल्के फुलके ढंग से नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह क्या सोच रही है। अस्तु, उच्च सदन ने विधेयक में जो भी संशोधन किये हैं, सरकार को उन पर विचार करना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। हमें साम्प्रदायिक दगों जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न होने पर जब केन्द्र अथवा राज्य सरकार को उसकी जांच कराने को मजबूर होना पड़ता है और यदि उसे प्रकट भी करना पड़े तो और अधिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं। अतएव सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर हठीला रवैया न अपनायें, कृपया इस पर सोचें और आगे कुछ न करे।

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय मैं राज्य सभा द्वारा संशोधित विधेयक को अपना समर्थन देता हूं। मैं ऐसे विधेयक को सरकार द्वारा प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं जो सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। क्योंकि लोकतन्त्र में लोगों को, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में, बहुसंख्या लोग अभी भी अनपढ़ हैं। वे लिख नहीं सकते। वे पढ़ भी नहीं सकते। स्वभाविक रूप से, उनको सूचना का अधिकार देने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने कठोर कानून ही पास नहीं किये अपितु उन्होंने संसद द्वारा नियुक्त जांच आयोगों की रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की। इसलिए यह ठीक रहेगा, कि रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जायें ताकि सरकार उपचारिक कार्यवाही करने का बाध्य हो सके।

महोदय मैं सरकार को ऐसे विधेयक का प्रस्तुत करने और उसे पारित कराने के लिए पुनः बधाई देता हूं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जब यह

विधेयक पहली बार लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, हममें से कुछ ने जोर देकर कहा था कि प्रत्येक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सभा ने इस पर व्यापक तरीके से विचार किया है और उन्होंने यह संशोधन सुझाया है। मैं सरकार को भी इसे स्वीकार करने के लिए बधाई देता हूँ।

इसलिए, मैं संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं निवेदन करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है; हम लोगों ने, किसी भी तरह की गैरजवाबदेही को लोगों के सामने न लाया जाए, इस चैप्टर को बहुत पहले ही क्लोज कर दिया है और पिछली सदन में उस पर कानून बना लिए हैं। तमाम माननीय सदस्यों की राय है कि राज्य सभा के इस अमेंडमेंट के साथ इस बिल को पास किया। यही मेरी आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जांच आयोग, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

खण्ड-2

कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 6 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 में संशोधन

"2 जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 में (क) उपधारा (1) और उपधारा (4) में आने वाले "लोक सभा या, यथास्थिति राज्य की विधान सभा" तथा "यथास्थिति लोक सभा या राज्य की विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे :

(ख) उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 6 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 में संशोधन

"2 जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 में : (क) उपधारा (1) और उपधारा (4) में आने वाले "लोक सभा या, यथास्थिति, राज्य की विधान सभा" तथा "यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की

विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) और उपधारा 6 का लोप किया जाएगा;"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक में आगे संशोधन करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मैं समझता हूं कि अब ऐसे कोई सदस्य नहीं हैं जो इस पर बोलना चाहता हो।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन पर जो राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन की विषय वस्तु से सुसंगत संशोधन है, विचार किया जाए और उन्हें स्वीकृत किया जाए :—

खंड 3 (नया)

खंड 2 के पश्चात, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए—

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 7 में संशोधन

"3 जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (1) में "लोक सभा या राज्य की विधान सभा" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं," संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन पर जो राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन की विषय वस्तु से सुसंगत संशोधन है, पर विचार किया जाए और उन्हें स्वीकृत किया जाए।"

खंड 3 (नया)

खंड 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय—

1952 के अधिनियम सं. 60 की धारा 7 में संशोधन

"3 जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (1) में "लोक सभा या राज्य की विधान सभा" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे :

"कि यथा संशोधित विधेयक राज्य सभा को लौटाया जाय।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यथा संशोधित विधेयक राज्य सभा को लौटाया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यथा संशोधित विधेयक राज्य सभा को लौटाला जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.50 म. प.

विधान परिषद विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब विधान सभा विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए लेते हैं।

श्री आर. मुथिया (पेरियाकुलम) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो सत्र के अंत में लाया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक के बारे में जल्दबाजी न करें। तमिलनाडु विधान सभा में संकल्प पारित होने के बाद वहां सम्पूर्ण राजनैतिक स्थिति बदल गई है यह पिछले महीने पारित किया गया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो अन्य सदस्य खड़े हुए है, वे कृपया बैठ जाएं।

श्री आर. मुथिया : हम इस पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं। वहां पर राजनैतिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सत्र के अन्तिम दिनों में, हम इस पर अब पूर्ण चर्चा नही कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब आप इसका स्थगन चाहते है ?

श्री आर. मुथिया : सम्पूर्ण राज्य इसके विरुद्ध है, और सरकार भी। इसलिए, हम इस पर

पूर्ण चर्चा चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार इसको पारित करना स्थगित किया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में, कुछ निम्न बातें कही गई...

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यहां बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा भी विश्वास है कि कुछ विधेयक जो कार्य सूची पत्र पर हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन पर पूर्ण विचार करने में हमारा बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसलिये, हम इस विधेयक को अगले सत्र के लिए स्थगित कर सकते हैं, और हो सकता है, हम अब नियम 193 के अधीन कश्मीर पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : कोई टिप्पणी नहीं, यद्यपि मेरा विचार मूल रूप से कुछ टिप्पणी करने का था :

डा. तम्बि दुरै (करूर) हमारे नेताओं ने अध्यक्ष महोदय के साथ बैठक की थी। हम एक सहमति पर पहुंचे थे, इस प्रकार हम मुद्दों पर नियम 193 और दूसरे नियमों के अधीन चर्चा करना चाहते थे। इसलिए जो कुछ हमने निश्चय किया है। वह यह है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। राज्य सभा में, इस विधेयक पर चर्चा करने में और इसे प्राप्ति करने में लगभग 4 घंटे का समय लगा। अब शाम के चार बजे हैं, दो घण्टे के भीतर हम इस पर चर्चा समाप्त नहीं कर सकते हैं।

कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जो हमें उठाने हैं इसलिए हम विधेयक पर चर्चा करने के लिए समुचित समय चाहते हैं, क्योंकि जब एक लोकप्रिय सरकार आती है।, तो वह परिषद को समाप्त कर देती है।, जब दूसरी सरकार आती है। तो यह इसे पुनर्जीवित करना चाहती है। इसके बहुत से पहलू हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया इस विधेयक को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दें।

श्री के. राममूर्ति (कृष्णगिरि) : जैसाकि मेरे साथियों ने यहां ध्यान दिलाया है, राज्य सभा में इन्होंने इस विधेयक पर चर्चा करने में चार घण्टे का कष्ट उठाया और इसे पारित किया। दुर्भाग्यवश, यहां पर दो राज्य एक साथ मिल गए हैं। पहले, यह अकेला था। हाल में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने भी एक संकल्प पारित किया था, जिसमें वहां परिषद को पुनर्जीवित करने के विषय में भारत सरकार से निवेदन किया गया था।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं भी इसे अगले सत्र के लिए स्थगित करने के लिए आप की इजाजत चाहता हूं। हम इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के लिए काफी समय दे सकेंगे। मैं भी संबंधित मंत्री महोदय से अपना अनुरोध स्वीकार करने की अपील करता हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सुबह के समय सरकार इन कुछ विधेयकों को पारित करने के लिये हमारा समर्थन चाहती थी। हमने पहले ही सरकार को सहयोग दिया है। हमने अधिकतम समर्थन दिया है। परन्तु यह तथ्य है। कि यह सरकार हमें सहयोग देने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम बार-बार बोफोर्स सम्बन्धित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने की मांग कर रहे हैं।

यह एन. ए. बी. (नाब) रिपोर्ट के बहाने है कि स्वीडन उन्हें सभी पत्रों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दे रहा है। पिछले सत्र के अन्तिम दिन, माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं सदन को आश्वासन दिया कि वह प्रधान मंत्री कार्यालय की फाइल सहित, जिसका विशेष रूप में उल्लेख किया गया है, सभी पत्रों को सभा पटल पर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका सुझाव है कि मंत्री जी विधेयक को प्रस्तुत न करें। इसे अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाये। अतः मैंने उन्हें इस मामले पर बोलने का अवसर दिया है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ऐसा मंत्री जी द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरीयन : मुझे अन्य तीन विधेयकों पर भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इसे निपटाना है। यदि आप चाहें तो आप इस वक्तव्य को बाद में दे सकते हैं। लेकिन अभी नहीं।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं आरोप स्वीकार नहीं कर सकता (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : यदि वे उत्तर दे रहे हैं तो मुझे इसे पूरा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे विचार करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य सदस्यों ने कहा है कि इसे अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाये। अतः मैंने उन्हें इस पर बोलने की अनुमति दे दी है। अब यदि आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप मंत्री द्वारा यह प्रस्तुत करने के पश्चात कि इस पर विचार किया जाये के पश्चात अपना वक्तव्य दे सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का उल्लेख किया गया है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत करीये। आप उन सदस्यों से पूछिये जिन्होंने ऐसा कहा है।

श्री राम नाईक : इसीलिए मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या इसे स्थगित किया जाये अथवा नहीं? क्या आप इससे सहमत हैं?

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रो. कुरीयन ने जो कुछ कहा है मुझे उसका जवाब देना चाहिये, मैं उनके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि हमने विपक्ष के साथ सहयोग नहीं किया है। यदि सहयोग

का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ उन्हीं विधेयकों को पारित करवाने की अनुमति है जिन्हें वे पारित करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार का का सहयोग हमसे नहीं होगा। हम उन्हीं विधेयकों को पारित करना चाहेंगे जिन्हें हम पारित करना चाहते हैं। एक सुझाव दिया गया है कि इस विधेयक पर विचार किए जाने को अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दिया जाये। हम इस बात के इच्छुक हैं कि इस विधेयक को मात्र इस कारण से पारित किया जाना चाहिये कि ऐसा करने से हम विधान परिषद के सृजन हेतु दो विधान सभाओं द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं। हम अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने मे विश्वास रखते हैं। एक अनुरोध ऐसी विधान सभा से प्राप्त हुआ है जहाँ इस समय विपक्ष बहुमत में हैं।

राज्य सभा में यह विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हुआ था। सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया था। वस्तुतः मेरे ऊपर इस बात का दबाव था कि मैं इस बात पर ध्यान दूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। मुझे अपना भाषण संक्षिप्त में ही करना पड़ा। और इस सदन में आना पड़ा ताकि इस ओर ध्यान दे सकूं कि विधेयक को पारित किया जाए जहाँ तक इस सरकार का संबंध है हम इस विधेयक को पारित करने में रुचि रखते हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम इस विधेयक को पारित करने मे अत्यधिक रुचि रखते हैं। परन्तु इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं।

4.00 म. प.

डा. लक्ष्मि दुबे (कक्कर) : यही कारण है कि हमने इसे स्थगित करने का आपसे अनुरोध किया था। क्योंकि जब दूसरे विधेयक स्थगित किए जाते हैं तो यह आपकी सूझ-बूझ से ही होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इसे स्थगित किया जाए अथवा नहीं ?

डा. लक्ष्मि दुबे : आपने क्या निर्णय किया है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : निश्चय ही, यदि सदन इससे सहमत है, तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य इस बात से सहमत हैं कि विधेयक पर विचार करना सदन के आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया जाए। सदस्यों की सहमति से विधेयक पर विचार करना आगामी तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है।

अब हम लोकपाल की व्यवस्था वाले अगले विधेयक, को लेते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, आपने मुझे पुकारा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी इसे स्थगित किया जाता है। हम इस विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा रहा है। जब इस पर विचार करना प्रारम्भ किया जाये उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं,

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं अब भी कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, आप सदन की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। इस समय इस विधेयक पर सदन में विचार नहीं किया जा रहा है। हम अगले विधेयक को ले रहे हैं। जब हम इस विधेयक पर विचार करें तब आप अपने विचार रख सकते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या आप अगले विधेयक पर विचार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगले विधेयक पर विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व कुछ तो करना होगा। सम्भवतः आप बहुत अधिक चिन्तित हैं और आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं।

———

4.02 म. प.

लोकपाल विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस प्रस्ताव को ले रहे हैं कि जन सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने लोकपाल की संस्थापना की व्यवस्था करने और उससे संबंधित विषयों पर विचार करने हेतु वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस विधेयक के बारे में भी यही बात है। इसके लिए सीमित समय है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विचार आगामी सत्र के लिए स्थगित किया जा सकता है।

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : ये सभी विधेयक बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। परन्तु उन पर विचार करने में तीन घंटे से अधिक समय लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप काश्मीर के मामले पर जो पिछले सात दिन से अर्थात 21 मई से, लम्बित पड़ा हुआ है विचार नहीं हो पायेगा मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन तीनों विधेयकों पर विचार स्थगित किया जाये और नियम 193 के अन्तर्गत मामलों पर विचार किया जाये क्योंकि ये तीनों विधेयक महत्त्वपूर्ण हैं और इन तीनों पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : मैं श्री हान्डू के तर्क का समर्थन करता हूं। मैं भी इससे चिन्तित हूं, और मैं उस मामले पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, न केवल श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री हान्डू ही सही बात कह रहे हैं बल्कि श्री धर्म पाल शर्मा भी सही बात कह रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति में हमने लोकपाल विधेयक के लिए पहले लगभग 4 घंटे का समय निर्धारित किया था और प्रसार भारती विधेयक के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया था तथा मेरा विचार है कि यदि हमने संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक पर विचार किया होता तो इस पर दस घंटे का समय लगता। हमें इन सभी तीनों विधेयकों पर विचार करने के लिए 20 घंटे के समय की आवश्यकता है और मैं नहीं समझता कि इन्हें पूरा करने के लिए इन विधेयकों पर विचार करने के लिए हमारे पास मात्र 20 घंटे बचे हुए हैं। वास्तव में इस पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं मैं समझता हू कि सत्ता पक्ष ने पहले यह आश्वासन

दिया था कि वे इस पर ध्यान देंगे कि ये विधेयक पारित किये जायें, इत्यादि, इत्यादि,। लेकिन वे इस बात को समझेंगे कि इन विधेयकों को गिलोटिन करके पारित नहीं किया जा सकता, उन्हें एक मिनट में समाप्त नहीं किया जा सकता और आप यह नहीं कह सकते कि हां, आपको इसे इसी रूप में जैसा भी यह है स्वीकार करना होगा क्योंकि वे बहुत ही गंभीर विषयों से संबंधित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा यह है कि विधेयक गिलोटिन नहीं किए जाएं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : जी हां, इससे पूर्व कि वे गिलोटिन किए जाएं उन पर विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान) वास्तविक कारण यह है कि विधेयक का इस स्थिति में आने का क्या कारण यह है कि हमने नोट किया है कि जब कभी भी सत्ताधारी पक्ष और सरकार ने विपक्ष विशेष रूप से मुख्य विपक्षी दल से अनुरोध किया कि वे विधेयक और उससे सम्बद्ध चर्चा के निर्धारित विषयों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका सहयोग चाहते हैं, हमने उन्हें सहयोग दिया है। यहां तक कि उस समय भी जब कि वे अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, जबकि उनकी सरकार बहुमत में है, उन्होंने संविधान सम्बन्धी संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और हमें पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर उनसे हर समय सहयोग करने के लिए उनके समाने झुकना पड़ा है और हमने सहयोग दिया, चाहे वह अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आयोग सम्बन्धी मामला था अथवा उनसे कोई एक से भी जुड़ा हुआ था। परन्तु दुर्भाग्य वश इस लोक सभा के सबसे पहले सत्र अर्थात दिसम्बर में ही हम यह अनुरोध करते आए हैं कि इस सदन के नेता, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा यह आश्वासन किया गया था कि बोफोर्स से संबंधित सभी कागजात सभापटल पर रखे जाएंगे, उस आश्वासन को पूरा किया जाए। हम उसकी काफी लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार कुछ प्रतिबंधों अथवा समझौते के कारण ठीक दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ है। वास्तव में संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ दिन पूर्व इस सदन में यह कहा था कि "यदि स्वीडन की सरकार अनुमति नहीं देती है, तो हम इसे सदन में लाएंगे।" निःसंदेह वह एक निरोह व्यक्ति हैं। मैं उन्हें विशेषाधिकार की उलझन की परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। परन्तु सरकार ने यह रवैया अपनाया कि वे इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि उनके अनुसार इसमें जानकारी का उन्मुक्त आदान-प्रदान नहीं हो पाएगा। वर्तमान क्षणों में जानकारी के उन्मुक्त आदान-प्रदान के बारे में भूल जाइए हम इसे रोकना नहीं चाहते।

प्रधान मंत्री कार्यालय की (पी. एम. ओ.) फाइलों की स्थिति क्या है? हम आशा करते हैं कि स्वीडन सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है तो वे कम से कम इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखते?...(व्यवधान) ठीक है, अगर वे बोफोर्स के कागजात नहीं रखते हैं तो एयरबस की फाइलों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखते? सम्पूर्ण सदन ने एक मत होकर कहा था कि एयरबस से सम्बन्धित फाइलों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष महोदय ऐसा करने के लिए कहें तो वे ऐसा करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है?

अगला निदेशक पद का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने एक फाईल हाथ में रखकर कहा था कि इसमें निदेशक पद है। परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता।" क्या वह प्रस्तावित निदेशक पद को सभा पटल पर नहीं रख सकते? यह बहुत ही स्पष्ट है कि हम उनके सही व्यवहार के बारे में प्रतिकूल धारणा नहीं बना सकते। वे कुछ छिपा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। हमारे

यहां ऐसा गिरी में भी संभव है वे इस प्रकार से लांछन और आरोप-प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। वे जनता को धोखा देकर चुनाव जीतते हैं। वे समाचार पत्रों में मनगढ़ंत कहानियां छपवाकर अपने प्रति सहानुभूति पूर्ण संचार माध्यम का उपयोग करके और सदन में उत्तेजनापूर्ण नाटक करके जनता को धोखा देते रहना चाहते हैं। महोदय हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जब तक वे इन पत्रों को समापटल पर नहीं रखते तब तक हम इस सत्र में इन तीनों विधेयकों को प्रस्तुत करने और उन पर विचार किए जाने के लिए सहयोग देने में समर्थ नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि उन पर विचार स्थगित किया जाए ?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : हां, हम चाहते हैं कि उन पर विचार स्थगित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है और सदन का भी दुर्भाग्य है कि आज महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने हैं, जिन पर हमें चर्चा करनी थी और गम्भीरता के साथ चर्चा करनी थी। लेकिन सत्र समाप्त हो रहा है, सभी लोग बोलना चाहेंगे, लेकिन इतना समय नहीं मिल पा रहा है। यह हमारे कांग्रेस के साथियों की देन है। लगातार तीन दिनों से जिस तरीके की इन्होंने प्रक्रिया अपनायी है, संसदीय परम्परा को तोड़ने और सदन को व्यवस्थित ढंग से न चलने देने का ही परिणाम है कि आज हम जो विधेयक पारित करना चाहते थे, उसे नहीं कर पाए। मेरा सुझाव है कि इन विधेयकों को आज न पारित किया जाए आने वाले सैशन में इनको रखा जाए ताकि इन पर विधिवत चर्चा हो सके। इसलिए मेरी सलाह सरकार को मान लेनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक सरकार है, यह कांग्रेस की तरह बदले की भावना से काम नहीं करती है, कांग्रेस वाले तो वैसे ही बिल पास कर देते थे। इन्होंने अड़ंगा लगाया है, मेरी सलाह है कि इन विधेयकों को अगले सैशन में लिया जाए।

[अनुवाद]

डा. तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयकों अर्थात लोक पाल विधेयक प्रसार भारती विधेयक और संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक को स्थगित करने के बारे में मैं अपने साथियों का समर्थन करता हूं। वे सभी अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। महोदय, हमारे पास समय बहुत कम है। हम इस पूरे विषय पर इतने कम समय में व्यापक चर्चा नहीं कर पायेंगे क्योंकि अधिकतर सदस्य इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं। अतएव हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और थोड़ी चर्चा के बाद ही इन्हें अचानक पारित नहीं कर देना चाहिए।

महोदय, हम चाहते है कि आप नियम 193 के अधीन कश्मीर और पिट्टू से संबंधित विषयों पर चर्चा करायें क्योंकि ये विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इन तीन विधेयकों को तुरंत पारित कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह संख्या 25, 26 और 27 को अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : सरकार के व्यवहार के संबंध में अपने साथी श्री कुमार

मंत्रिमंडल की टिप्पणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपके पूर्ववर्ती, भूतपूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में सभापति तालिका के सदस्य के मत का भी मैं समर्थन करता हूं। मैं किसी प्रयोजन से आरोप नहीं लगाना चाहता। किंतु सत्र के अंतिम दिन केवल अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट अथवा बचाने के लिये इस प्रकार के विधेयक को सांकेतिक रूप से प्रस्तावित करना इस सदन के सम्मान के अनुकूल नहीं है और समग्र रूप से जनता के सम्मान के अनुकूल तो हो ही नहीं सकता। मैं स्वागत के पक्ष में हूं। परन्तु इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को और इससे पहले वाले विधेयक को भी प्रस्तुत करने का क्या लाभ लाभ है? आप कृपया इस विधेयक के मसौदा का पूरा पाठ पढ़िए। मैं नहीं समझता कि इसे तैयार करने से पूर्व इस पर अधिक विचार किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं सरकार और दूसरे पक्ष के आदरणीय साथियों से कहना चाहूंगा कि वे थोड़ा परिश्रम करें और अंतराल के दौरान इन विधेयकों को सारे देश में परिचालित करें, जनता की राय जानें और उसे एक आकार देने तथा व्यक्त करने में मदद करें तथा उसके बाद, यदि संभव हो तो इन विधेयकों में सुधार लायें और अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिये नोटिस दें। उन्हें इस संबंध में कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए, ताकि वे यह सिद्ध कर सकें कि वे इस विषय पर सचमुच गंभीर हैं। पिछले कई वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ है। इससे पूर्व भी जब ऐसी ही एक अल्पमत सरकार सत्ता में आई थी तब भी इसी प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उस विधेयक पर सदन में चर्चा भी हुई थी परंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था। तत्पश्चात् कांग्रेस दल की सरकार ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था और तब भी हम किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे थे। अब इसका तीसरा चरण है। मैं चाहूंगा कि वे लोग इसमें कुछ रुचि लें और व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् इसे तैयार करें ताकि यह एक ऐसा विधेयक बन सके जो इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मेरे आदरणीय साथी की प्रवीणता के अनुरूप हो।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे इस पर एक गंभीर शिकायत है। यह सरकार, जो मूल्य आधारित राजनीति की दुहाई देती है, तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। उनके पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। उन्हें पूरे तथ्यों को सभा पटल पर रखना चाहिए। अन्यथा, उन्हें हमारे नेताओं के विरुद्ध चलाये जा रहे चरित्र हनन अभियान को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप चरित्र हनन की बात कर रहे हैं, निश्चितरूप से चरित्र हनन है और सही तथ्य उजागर होकर देश के सामने आयेंगे। वी. पी. सिंह जी प्रयत्न कर रहे हैं उनके आधार पर राजीव गांधी अपराधी के कटघरे में खड़े होंगे। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मित्रसेन जी, बोलिए आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मित्रसेन यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो विषय इस समय हमारे एजेण्डे में नहीं है, उस विषय पर चर्चा करने का नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, मेरा पाइंट आफ आर्डर यही है।

यहां पर लगातार तीन दिन से, बोफोर्स के मामले की चर्चा कर के, विषयान्तर कर के, सदन का अधिकांश समय इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बीच-बीच में जब भी कोई ऐसा बिंदु होता है, ये लोग बोफोर्स की चर्चा कर देते हैं जिससे सदन का समय नष्ट हो जाता है और अव्यवस्था पैदा होती है। आप इनको क्यों अनुमति दे रहे हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, बोफोर्स के मामले में इस सरकार का कहना था कि वे तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं। अब तथ्य उनके पास हैं लेकिन वे इसे छिपा रहे हैं। उन्हें सत्य को प्रगट करके राष्ट्र को सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हमने पारस्परिक आधार पर सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की थी। हमने अनुरोध किया था कि केवल एन.ए.ओ. रिपोर्ट ही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री कार्यालय की उन फाइलों को भी जिनके बारे में प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि जो फाइलें उनके पास हैं वे उन्हें सभा पटल पर रख देंगे किंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। महोदय, यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये कोई नई बात सुनाना चाहते हैं, तो हम सुनेंगे। हम यहां सुनने के लिए ही बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप तो कहते थे कि कागज नहीं मिल रहे हैं। स्वीडिश गवर्नमेण्ट हमें कागज देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो सारे कागज हिन्दुस्तान में आ गए हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री ने सदन में दिये गये अपने इस वचन को पूरा नहीं किया है कि वे प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों और अन्य कागजात को सभा पटल पर रख देंगे। महोदय, ये किस प्रकार की मूल्य आधारित राजनीति है ? यही नहीं यह एक विशेषाधिकार का भी हनन है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात पूरी करिये।

[हिन्दी]

श्री मित्र सेन यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम 193 के अधीन चर्चा को क्यों नहीं लेते हैं, आप इनको क्यों मौका दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मित्रसेन जी आप बैठ जाएं। हमें क्या करना है, क्या लेना है, यह निर्णय स्वयं लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, हम इन संविधान (संशोधन) विधेयकों को पारित कराने में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी। यह सहमति हुई थी कि

इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। किन्तु सरकार ने अपनी इस प्रतिबद्धता को अभी तक पूरा नहीं किया है। अब सरकार यह भी नहीं बता रही है कि इन पत्रों को सभा पटल पर रखा जायेगा। अतएव, मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इन विधेयकों को पारित करने में अब हम सरकार के साथ और अधिक सहयोग नहीं कर सकते। अत: यदि सरकार चाहे तो इन विधेयकों को अगले सत्र के लिये स्थगित कर सकती है और तब हम इन पर विचार करेंगे। और अब इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मसलों मेरे विचार में सभी इससे सहमत होंगे यथा कश्मीर तथा तमिलनाडु में 'लिट्टे' की गतिविधियों पर चर्चा की जाये। हम इन विधेयकों को पारित कराने में इस सरकार के साथ अब और सहयोग नहीं कर सकते। अतः मेरा अनुरोध है कि इन विधेयकों को स्थगित किया जाये तथा नियम 193 के अन्तर्गत कश्मीर के मसले पर अभी चर्चा प्रारम्भ की जाये।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): उपाध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, मैं नेक्स्ट आईटम में आपको समय दे दूंगा।

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग की गई है कि मद संख्या 25,26 और 27 को स्थगित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम केवल मद संख्या 25 पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : अत: मैं केवल मद संख्या 25 के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। महोदय, इस मांग के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले मैं समझता हूं कि मुझे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्री कुमार मंगलम ने कहा है कि हमारी पार्टी जनता को धोखा देकर सत्ता में आई है... (व्यवधान)

श्री आर. गुंडू राव (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया श्री गुंडू राव के व्यवस्था के प्रश्न को सुनिये।

श्री आर. गुन्डू राव : महोदय, पिछले कई दिनों से मैं सदन में देख रहा हूं कि दोनों ही पक्षों के सभी सदस्य समय के प्रति चिंतित हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अनेक बार बुलाई गई और उनमें सभी संबंधित दलों के नेताओं ने इस विषय पर विचार किया है। इसके पश्चात वे सदन में आते हैं और इस विषय पर विचार किया जाता है। किंतु जब एक बार विधेयक को चर्चा हेतु सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है तो उन्हें यह मुद्दा फिर से सदन में नहीं उठाना चाहिए। विधानसभा में मेरा यह अनुभव रहा है कि एक बार कार्य मंत्रणा समिति में विषय पर चर्चा हो जाने के उपरांत वह विषय वहीं पर समाप्त हो जाता है। परंतु यहां, बार-बार इस मुद्दे पर चर्चा करके कि इस विषय को सदन में उठाया जाये अथवा नहीं, हम सदन का काफी समय बरबाद कर रहे हैं। मेरे विचार से यह नहीं होना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में जब एक बार किसी विषय पर चर्चा

हो जाए तो उसे दोबारा सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि यहां सत्ता पक्ष तथा विपक्ष, दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत, सदन में दोबारा सदस्यों के विचार जानने, कि इस विषय को सदन में उठाया जाये अथवा नहीं, की परम्परा मेरे विचार में एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं यह निर्णय आपके विवेक पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुन्डू राव जी, मुझे खेद है कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह आपके मत के अनुरूप नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति में किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है और फिर उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और सदन द्वारा उस पर निर्णय लेने के बाद उसे कार्य सूची में शामिल किया जाता है। सुबह जो कुछ भी हुआ, उसके पश्चात भी कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक हुई जिसमें सभी दलों के सदस्यों ने कतिपय मुद्दों पर सहमति व्यक्त की और कदाचित वे अपने-अपने मतों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु, मोटे तौर पर वे बैठक में हुई सहमति का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद जब कोई विषय सदन की कार्यसूची का एक अंग बन कर सदन में आता है तो यह सदन की सम्पत्ति हो जाती है। किसी समिति, किसी सदस्य अथवा किसी मन्त्री अथवा किसी अन्य को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सदन में इस पर चर्चा नहीं की जायेगी। अतः हमें सदन में इस विषय में एक निर्णय लेना होगा। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है।

श्री आर. गुन्डू राव : महोदय, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा सोचा सा मुद्दा है कि जब हम पहले ही इस बारे में बैठक में सहमत हो चुके हैं, तो यहां चर्चा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं और सभी दल इससे सहमति व्यक्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, हमें सदन का मत तो लेना ही पड़ता है। अन्यथा कोई भी अपने स्थान से खड़ा होकर कहेगा कि उसने अथवा उसके दल ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी के लिये मुश्किल पैदा हो जायेगी।

श्री आर. गुन्डू राव : इसका अर्थ यह है कि पार्टियों के जो नेता कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में शामिल होते हैं, उन्हें अपने समर्थकों की अनुमति प्राप्त नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में जो कुछ निर्णय लिया जाता है, उसे अन्तिम नहीं माना जा सकता, परंतु सदन में जो भी निर्णय लिया जाता है, वह अन्तिम रूप से मान्य होता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ तत्व तो अवश्य है परन्तु हम उसे दोबारा सुनिश्चित करना चाहते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय सभा के कुछ पक्षों से एक मांग यह आई है कि कार्यसूची में मद सं. 25 को स्थापित कर दिया जाये। इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूं मुझे अपने परम मित्र श्री कुमार मंगलम द्वारा, जिन्हें 'मेहबूबा' के नाम से पुकारा गया है, दिए गये वक्तव्य का जवाब देना चाहिए। श्री कुमार मंगलम जी आप अलग-अलग क्यों बैठे हैं। कृपया

भाइये और 'महबूबा' का साथ दीजिए। महोदय उन्होंने कहा है कि हम जनता के साथ धोखाधड़ी करके सत्ता में आये हैं। मैं इस वक्तव्य का सख्त विरोध करता हूं क्योंकि भारतीय मतदाताओं का अपमान है। (व्यवधान) श्रीमान, जब उन्होंने अपनी बात कही तब मैंने किसी के साथ टोका टाकी नहीं की थी। महोदय, मेरा सोचना यह रहा है कि भारतीय मतदाता इन वर्षों में शिक्षित हो सकता है कि उसने स्कूल और कालेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी, वे सचेत हो सकते हैं। लेकिन मैं नहीं सोचता हूं कि कोई लोकतांत्रिक देश यह दावा कर सकता है कि उसने मतदाताओं को जानकार और जागरूक बनाया है। और मतदाता जब किसी को सत्ता सौंपते हैं, मैं सोचता हूं कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों को अब यह महसूस करना चाहिए कि वे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मतदाताओं को धोखा नहीं दे सकते हैं. और चूंकि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था इसीलिए वे सदन में उस पक्ष में बैठे हैं और हम इस पक्ष में बैठे हैं। (व्यवधान)

महोदय, हमने अभी तक उनके द्वारा किए गए हर प्रकार के सहयोग को देखा है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बोफोर्स मुद्दे का उल्लेख किया जा चुका है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सच्चाई सामने आयेगी। (व्यवधान) जब सच्चाई सामने आयेगी तो उनको बुरी तरह आघात पहुंचेगा। श्रीमान, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं पूरी तरह इस पक्ष में हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये और इसे पारित किया जाये। हमने एक वायदा यह किया था कि सत्ता में आने के तत्काल बाद हम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करेंगे और यह देखिए कि इसी सत्र में इसे पारित कर दिया जाय। महोदय यह विधेयक पहले भी एक बार प्रस्तुत किया गया था। लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने उस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया और उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था अन्ततोगत्वा विधेयक टल गया था। पिछले तीन महीने में अन्तसंत्र-विधि में इस विधेयक पर सार्वजनिक रूप से विस्तार से चर्चा की गई थी।

महोदय, माननीय सदस्य श्री चिदम्बरम ने स्वयं कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं। प्रो. रंगा ने कहा था कि इस विधेयक पर जनता में भी बहस की जा सकती है। लेकिन इस पर पहले ही जनता में बहस हो चुकी है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दिया है। मेरे पास श्री चिदम्बरम जी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे सदस्य से महत्वपूर्ण संशोधन आए हैं इस संशोधन के द्वारा हम भारत के लोगों को भारत के प्रधान मंत्री सहित सर्वोच्च राजनैतिक कर्ता-धर्ताओं के विरुद्ध आरोपों की जांच करने का अधिकार दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जितनी जल्दी हम इस विधेयक को लेंगे हमारे लिए इस विधेयक पर चर्चा पूरा कर पाना ठीक रहेगा। सवाल यह है कि क्या हमारे पास समय है। हम समझते हैं कि इस विधेयक को पारित करने लायक समय है। यदि राजनैतिक इच्छा शक्ति है तो हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। हमारे पास राजनैतिक इच्छा शक्ति है, लेकिन महोदय मैं सदन के निर्णय का पालन करूंगा। लेकिन अन्ततोगत्वा उस निर्णय से यह भी पता चलेगा कि किसके पास विधेयक को पारित करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति है और किसके पास इस विधेयक को पारित करने के लिए राजनैतिक साहस का अभाव है। हम इस सभा के मतानुसार चलेंगे। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाये भले ही उसमें दो तीन घण्टे और अधिक लग जाये।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : महोदय, मन्त्री जी को यह समझ लेना चाहिए कि जब मैंने 'धोखाधड़ी' शब्द का प्रयोग किया था तब मैंने यह विशेषकर इस विचार से कहा था कि आपने

गलत बयानी करके और एक भ्रम पैदा करके जनता को ईमानदारी से चुनने के उसके अधिकार से वंचित किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य गण इस बात से सहमत हैं कि विधेयक पर चर्चा को सभा के अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया जाये। सदस्यों की सहमति से विधेयक पर चर्चा को अगली तिथि तक के लिए स्थगित किया जाता है।

———

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 26—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक लेंगे।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, मैं इसे मंत्री जी की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें इसके सदन में बुलाया गया है।

मैं इसे दोहराऊंगा कि जैसा कि मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि हम इस विधेयक को पारित करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि ये दोनों हमारे द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण वायदे हैं—दूरदर्शन की स्वायत्तता और इलेक्ट्रानिक मीडिया को स्वायत्तता (व्यवधान)।

महोदय, विचित्र बात यह है कि मेरे मित्र इन दोनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं जिनके द्वारा हम शक्ति का परित्याग कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रानिक मीडिया पर से नियंत्रण हटाना चाहते है और मेरे मित्र उसका विरोध कर रहे हैं। हम अपने प्रधान मंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं, मेरे मित्र उसका विरोध कर रहे हैं। महोदय देश को हमारे मित्रों की वास्तविकता के बारे में जानने दीजिए।

लोकपाल विधेयक के सम्बन्ध में गोष्ठियां और चर्चाएं हो चुकी हैं। (व्यवधान) मंत्री जी ने स्वयं यह सुझाव दिया है, और मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि इस विधेयक को पारित क्यों नहीं किया जाये हमारा विचार यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए किन्तु मुझे दुख है कि मेरे विपक्षी मित्र इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय मैं इस बात से वस्तुतः आश्चर्य चकित हूं कि मेरे एक अच्छे मित्र जो (व्यवधान)। उनकी अन्तःकरण की आवाज कम से कम उनके गले से तो आनी चाहिए दिल से आने की बात को छोड़ दीजिए। वह अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर जो ड्रामा किया जा रहा है उस पर कार्यमंत्रणा समिति में क्या सहमति हुई थी।

महोदय, यहां उपस्थित सभी लोग यह जानते हैं कि कार्यमन्त्रण समिति की बैठक में, लोकपाल विधेयक के लिए छह घण्टे और प्रसार भारती विधेयक के लिए दस घण्टे आबंटित किये गये थे। दिल्ली राज्य विधेयक के लिए, समय ही नहीं दिया गया, हम उसके लिए समय आबंटित नहीं कर पाते और यदि समय आबंटित किया जाता तो वह दस घण्टे से कम नहीं होगा।

महोदय, कृपया घड़ी पर नजर डालिए। इस समय 4.30 बजे हैं। क्या किसी को इस बात

पर संदेह है कि यहां तक कि कोई विधेयक डेढ़ घण्टे में पारित किया जा सकता है ? (व्यवधान) सभा केवल छह बजे तक चलती है। यदि हमें छह बजे तक बैठना है तो अभी डेढ़ घण्टे का समय बाकी है।

हालांकि यदि सरकार दो-तीन दिनों के लिए अवधि बढ़ाये तो बात दूसरी है। लेकिन क्या आप यही सुझाव दे रहे हैं ? अभी तक वह नहीं आया है। अतएव, महोदय, हर कोई यह समझता है (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : इस बात से आप सहमत होंगे कि हम इस सदन में देर रात तक बैठकर भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करते आये हैं। अतएव, हम कोई नई बात की मांग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : साठे साहब, यह भी बताइये, आपने कितना समय व्यर्थ की चर्चा करके व्यतीत किया, बिगाड़ा। तीन दिन से लगातार कितना समय व्यतीत कर रहे हैं वरना यह बिल कभी के पास हो गये होते।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, यह भी कहा गया था कि यह सरकार खुद ही अपने तरीके से सत्ता में आई है। यह भी सुविदित है कि जनता ने इस तथाकथित राष्ट्रीय मोर्चे को सरकार को कभी भी सत्ताहीन नहीं किया था। वह एक 143 सदस्यों वाली अल्पसंख्यक सरकार है। क्या जनता ने आपको अपना विश्वास सौंपा था ? नहीं ? क्या लोगों ने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया था ? नहीं। क्या जनता ने वामपंथी दलों को अपना विश्वास सौंपा था ? नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : कांग्रेस को भी नहीं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप 420 से 190 पर आ गये हैं (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मेरे पास इतनी ईमानदारी और साहस है कि मैं कह सकूं कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया था फिर भी उसने राष्ट्र को बता दिया है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी पर ही देश के लोगों का सर्वाधिक विश्वास है। अतएव, मेरे अच्छे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी भी यह नहीं कह सकते हैं कि जनता ने उनको सत्ता सौंपी है, नहीं कभी नहीं। सरकार भाजपा और साम्यवादियों की अत्यन्त निरीह दया पर चल रही है जो एक तरह से उसकी बैसाखी है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय उनके मन में भाजपा के प्रति डर बैठा हुआ है।

श्री वसंत साठे : महोदय, मेरे अच्छे मित्र श्री खुराना प्रत्येक दिन गृहमन्त्री और सरकार पर दिल्ली राज्य विधेयक को लेकर हमला बोलते हैं। वे सरकार को सदन के बाहर और भीतर दोनों ही स्थानों पर धमकी दे रहे हैं (व्यवधान)।

श्री गंगाराम मलिक (भड़क) : आप इस ओर सम्बोधित न करें। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : श्रीमान जी, इसलिए उसमें यह अहंकार नहीं होना चाहिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : यह घमण्ड मत करो कि हम बहुत बड़ी ताकत में हैं और हमें लोगों ने दी है, ताकत कुछ नहीं है । (व्यवधान)

डा. बंगाली सिंह (हाथरस) : जनता ने आपको भारी बहुमत दिया, लेकिन उस बहुमत का आपने दुरुपयोग किया । आपने कई दलालियां ली, बोफोर्स की दलाली ली । (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : अब आप दलाली की बात पर आ जाओ । आप सही आए । दलाली के जो बच्चे हैं, बोफोर्स की दलाली का नाम ले-लेकर के आरोप लगाते हुए पैदा हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब मौका आ गया है, हिम्मत दिखलाने का । जो दस्तावेज स्वीडन से आप नहीं मिला सके, वह हमने मिलाया । अब आप उस दस्तावेज की नकल बनाकर क्या करने वाले हो,

(व्यवधान)

डा. बंगाली सिंह : उसकी नकल आपको जल्दी बनाकर भेज दी जाएगी । (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : उस बोफोर्स की बंदूक की नली आपके पास गई ही है । ये कागज मगाए, तो हिम्मत होनी चाहिए और ईमानदारी की सही बात होनी चाहिए । हम आपकी किसी भी चीज के आड़े आना नहीं चाहते । आपके प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम ये दस्तावेज इसलिए नहीं बतलाना चाहते, अगर हम ये बतलायेंगे तो आगे जो दस्तावेज मिलने वाले हैं वे हमें नहीं मिलेंगे । क्या करें, यह सीक्रेट है । हमने कहा, चलो ये डाकुमेंट हमको मत बतलाओ, लेकिन इतना तो ईमानदारी से बतला सकते हो (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, यह जो जनता पार्टी आफ इण्डिया है, इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता । ये इधर के न उधर के, न घर के, न घाट के । ऐसे आदमी हैं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, ये कम से कम स्पीकर साहेब को तो बतला दें । मेरे मित्र गोस्वामी जी, उपेन्द्र जी, हम इतना जानना चाहते हैं आप इतना तो बतला दें कि क्या उसमें हमारी पार्टी के नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों के, उनके फेमिली मेम्बर्स के नाम क्या किसी तरह से भी उसमें हैं ? क्या उनके नाम हैं ? यह बतला दें । (व्यवधान) यदि किसी के भी नाम होते तो आप हमको नहीं, प्रैस को बतला देते । यह आपकी आदत है । (व्यवधान)

अगला सेसन होगा कि या नहीं होगा, इसका क्या आपको भरोसा है ? (व्यवधान)

श्री जसपाल सिंह (हरिद्वार) : विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ 12 एम. पी. हैं और उनके 15 मिनिस्टर हैं । यह बात आपके उपप्रधान मन्त्री जी ने कही है । (व्यवधान)

अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । जब आपने कार्य-सूची से मद को उठाया था तब कुछ सदस्य अपनी बात रख रहे थे । पहले भी अन्य दो अवसरों पर, आपने उनकी बातों का जवाब देने के लिए कहा था । मन्त्री जी से प्रस्तुत सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहने के स्थान पर हमें यह सब सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है ।

सदन में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए थी। अब हमारे अच्छे दोस्त श्री साठे ने कहा है कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि मामला सच होगा भी या नहीं, ऐसा करके वह सदन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। किसी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यह बेहूदापन है। वे हमेशा इस तरह की बेकार की बातें करते रहे हैं।

मैं आपसे सभा में व्यवस्था स्थापित करने और सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा दिए गए सुझावों पर सम्बद्ध मन्त्री को जवाब देने के लिए कहने का अनुरोध करता हूं। हम यहां बोफोर्स दस्तावेज पर भाषण सुनने को तैयार नहीं है। यदि वे कुछ सुनना चाहते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि बोफोर्स दस्तावेज की बजाय उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

श्री वसंत साठे : धमकी दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दे रहा हूं।

श्री वसंत साठे : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है और अन्यथा भी मेरे मित्र, श्री दिनेश गोस्वामी ने धमकी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसने अनुरोध किया है। इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री वसंत साठे : यह हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। उसने यह धमकी दी है कि सच्चाई का पता लगने से हमें ठेस पहुंचेगी। फिर आपको कौन रोक रहा है? हम इसी की मांग कर रहें हैं और फिर यदि आप इन स्वीडन से प्राप्त दस्तावेजों को संसद के समक्ष नहीं रख सकते, जो आपने अन्त में प्राप्त किए हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन दस्तावेजों के बारे में क्या है जो आपके पास है, प्रधान मंत्री कार्यालय की फाईलें कहां है। वे उनको भी रखने के इच्छुक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन दस्तावेजों का क्या हुआ जो लीक हो गये थे? यह सरकार लीकिंग सरकार है? आप क्या कर सकते हैं। यह सभी स्थानों पर लीक हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह अनुरोध था।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : कल उन्होंने वे दस्तावेज लीक कर दिए जो हमने सभा पटल पर रखे थे। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कल हमने वे दस्तावेज रखे थे जिन्हें लीक कर दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं (व्यवधान) एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। वहां एक न्यायधीश थे श्री आर. सी. जैन जिससे उन्होंने एक आदेश प्राप्त किया था, जैसा कि आप जानते हैं। विधि मंत्री यहां मौजूद है। विधि मंत्री महोदय मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं, कि श्री आर. सी. जैन जिसे 47 व्यक्तियों के नाम खाते बन्द करने के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा गया था उसने केवल पांच व्यक्तियों के सम्बन्ध में, आदेश जारी किए और दण्ड के रूप में आप ने उस न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया था (व्यवधान)

श्री बिनेश गोस्वामी : मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ।

श्री वसंत साठे : मेरे पास एक दस्तावेज है, उनकी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट।

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंबंद्ध है।

श्री वसंत साठे : यह असंबद्ध नहीं है। यह केवल बोफोर्स से संबंधित है। यहां एक दस्तावेज है। क्या आपने कभी सुना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, इस तरह एक पर्ची लगाई जाये (व्यवधान) देखो। आपने एफ. आई. आर. में कुछ अन्य लोगों को शामिल करने के लिए श्री अमिताभ बच्चन, श्री विलसन और हिन्दुजा आदि के नाम की पर्ची लगाई थी। यह कैसा मजाक है ? आप क्या कर रहे हैं ? अतः, यह सब इस दस्तावेज से संबधित है ? (व्यवधान) इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। उसे दस्तावेजों का सभा पटल पर अवश्य ही रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, जिनको कहना है, उनको सुनिए, बोफोर्स से जो घायल हुए हैं, वे संबधित चीजों को लीक कर रहे हैं। अगर वे बहस करना चाहते है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, बहस के विषय में प्रधान मंत्री जी ने भी कल कहा था कि पहले संविधान संशोधन पास हो जाए, बाद में बहस हो जाएगी, मगर उस मुद्दे को नहीं उठाया गया। फिर भी हम सभी लोग समर्थन करेंगे कि अगले सत्र में बहस हो, बोफोर्स पर भी बहस हो। (व्यवधान)

अब जो एजेंडा है, 24,25 और 26 पर आ गए हैं, इसको छोड़ कर अब कश्मीर में जो हालत हो रही है, हम सब चाहते हैं और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर बहस की जाए। मंत्री जी भी अब यह न कहें कि विधेयकों पर बहस हो, क्योंकि 3 विधेयकों पर बहस संभव भी नहीं है, इसलिए इनको छोड़कर और कश्मीर के ममले पर बहस शुरू की जाए। बोफोर्स का जब दंगल होगा तो अगले सत्र में करेंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि हम आगे बढ़ें, इसको यहीं खत्म करें। अभी कश्मीर पर बहस हो, यह मेरा आग्रह है। (व्यवधान)

हमको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, समय बचाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य विषय भी है जो आप से अत्यधिक सम्बद्ध है और आप के पास उन पर बोलने के लिए और अधिक समय होगा।

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह संख्या पिछले सत्र 26 में लाया गया था। सत्र की समाप्ति से पहले निर्धारित तिथि तक विलम्बित करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था ? इसे पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। देश भर में तथाकथित बहस प्रारम्भ हुई। सरकार ने इसे बिलकुल भी गम्भीरता से नहीं लिया है वे हर समय "स्वायत्तता" "स्वायत्तता" की बात करते रहते हैं। जब इसे पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था तब इसे सत्र समाप्त होने से पूर्व तिथि तक रोकने के पीछे क्या विचार था। और पूरे ढांचे को परिवर्तित करने की मांग की गयी है।

सरकार स्वयं इसे परिवर्तित करना चाहती है क्योंकि वे देखते हैं कि वे स्वयं विश्वसनीय नहीं हैं और असक्षम हैं। वे दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी के साथ न्याय नहीं कर सकते, जबकि कुशल अधिकारी इसे इतने लम्बे समय से प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रहे हैं। हमने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैंने लगभग 20 संशोधन प्रस्तुत किये हैं क्या यह ठीक है कि 20 संशोधनों पर इस तरह विचार किया जायेगा ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि मंत्री महोदय अपने राजनैतिक भगवान श्री एन. टी. आर. को प्रसन्न करने में व्यस्त रहते हैं। मन्त्री महोदय का संसद को विश्वास में लिए बिना ही नियमों में परिवर्तन करने का इरादा था। संसद का सत्र प्रारम्भ होने से दो दिन पहले वह प्रसारण नियमों में परिवर्तन करता है. एन. टी. आर. की एक फिल्म (व्यवधान) यदि आप अपना दिमाग लगाना चाहते हैं। और इस विधेयक को वास्तविक रूप में बहस किये जाने के उद्देश्य से लाते हैं, तो सभी को हमारे प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। वह हमेशा स्वायत्तता, स्वायत्तता, और स्वायत्तता की बातें करते हैं. लेकिन वह विधेयक नहीं लाये। हम तीन महीनों से इसका इन्तजार कर रहे हैं : वह हमें बहस के बिना पारित कराना चाहते थे। इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित करना पड़ा। माननीय सदस्य कृपया यह महसूस करेंगे कि दूरदर्शन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना उनका अपना अधिकार है। वे उद्देश्यपूर्ण स्वायत्तता की बात करते हैं। आपको रेडियो अथवा टी. वी. के बारे में एक भी प्रश्न करने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि यदि कुछ गलत होता है तो सरकार कहेगी कि वह असहाय है क्योंकि दोनों प्रचार माध्यम किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर अब चर्चा की जायेगी अथवा बाद में।

श्री अमोल पांजा : अतः इस पर पूरे दो दिन तक चर्चा किये जाने की आवश्यकता है और इसलिए इसे किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित किया जाना है मंत्री जी को अपना दिमाग यहाँ लगाना चाहिए और उसे दूरदर्शन के साथ अपना निजी कार्य नहीं करते रहना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। अन्य सदस्यों को भी अपने विचार प्रकट करने हैं। अब उन्हें अपने विचार व्यक्त करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, तीन विधेयक जो क्रम संख्या 25,26 और 27 पर अंकित हैं, तीनों सीधे तौर से मुझसे संबंधित हैं। पिछले सत्र में एक संयुक्त समिति बनी थी, जिसने चार साल या पांच साल काम किया। (व्यवधान)

पांजा जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इन विधेयकों के साथ सम्बन्धित हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा थी कि इस सत्र में प्रसार भारती विधेयक को पारित होना चाहिए। यह पिछले सत्र में इन्ट्रोड्यूस हो चुका था और इसी सत्र में आना चाहिए था, लेकिन मैं हैरान हुआ जब सरकार की तरफ से मुझे सूचना मिली कि विपक्षी दल कहता है कि इसको हमें प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करना चाहिए यदि आप सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करेंगे तो ही हम इसकी एनक्टमेंट के लिए तैयार होंगे। यहां तक कि सत्र को एक्सटेंड करने के लिए भी हम तब तक तैयार नहीं होंगे। मैं नहीं जानता कि कितना सही है, कितना गलत है।

मुझे सरकार ने बताया कि विपक्ष कहता है कि आपकी सरकार तो थोड़े दिन चलने वाली है, हम क्यों आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कब्जा छोड़ें ?

श्री वसंत साठे : यह···**···है । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बहुत अच्छी बात है । मुझे बहुत खुशी है कि आप भी समझते हैं कि सरकार पांच साल चलेगी । (व्यवधान)

*श्री वसंत साठे : आपने कहा कि यह वजह थी, हम नहीं चाहते थे कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए । यह ** है । यह ** है ।* (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य,··नहीं कहेंगे, असल कहेंगे

[अनुवाद]

शब्द······रिकार्ड नहीं किए जायेंगे ।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : यह सरकार पांच साल चलेगी या पांच दिन, यह आपके ऊपर डिपेंडिड है । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कम से कम आप पर नहीं है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल शर्मा : महोदय "·······" असंसदीय है; इसे रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जगह 'असल' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं । आप जो कुछ कह रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूं । रिकार्ड में उसी ढंग से संशोधन किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : किसी को '·······' कहना असंसदीय है । मैंने यह नहीं कहा है कि वह '·······है'' (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसका मुझे पता है; मैं इस पर बिलकुल आपत्ति नहीं करता ।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने कहा है ''सफेद झूठ ।'' क्या 'झूठ' शब्द असंसदीय है ? यह असंसदीय नहीं है । इसलिए कृपया इसे न हटाइए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : 'झूठ' असंसदीय शब्द नहीं है, लेकिन···है ।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आठे साहब, आपका जो मतलब है, वही रिकार्ड पर जाएगा, आप फिक्र न कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, लोकपाल विधेयक और प्रसार भारती विधेयक पारित नहीं हो रहे हैं। मैं इसके लिए पूर्णतया कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूं। लेकिन यह जो 72वां संशोधन विधेयक है, वह यदि पारित नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से सरकार को दोषी मानता हूं। इन तीनों में मैं भेद करता हूं। इन तीनों विधेयकों से मेरा संबंध है। लोकपाल विधेयक, प्रसार भारती विधेयक और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का विधेयक, इन तीनों में से दो के लिए मैं इनको दोषी मानता हूं और एक के लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। मैं तीव्र क्षोभ प्रकट करना चाहूंगा और असंतोष प्रकट करना चाहूंगा इस बात का कि यद्यपि इस विषय में मेरी सरकार से बातचीत दिसम्बर माह में हुई थी। मैं नई दिल्ली से निर्वाचित सदस्य हूं और दिल्ली की जनता ने इस बार जो हमारी पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट किया उसके कारण हमें लगता था कि हमारी जवाबदारी है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का जो हमने वचन दिया है, जिसके साथ भागीदार यह सरकार भी है, जिन बातों में मैंने वचन दिया हो और सरकार ने न दिया हो, उसके लिए मैं इनको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जिस बारे में मैंने वचन दिया है और सरकार ने भी वचन दिया है, उसमें मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पूरा दबाव डालूं सरकार पर कि उस वचन को पूरा करे।

5 00 म. प.

इसीलिए दिसंबर के महीने में इनसे बातचीत की थी और उसी समय इन्होंने हमें वचन दिया था कि अगले सत्र में इसको कार्यान्वित कर देंगे। अगला सत्र दिसम्बर या जनवरी में आया और क्रियान्वित नहीं हुआ और विधेयक प्रस्तुत भी नहीं हुआ। उसके बाद तीन महीने का यह सत्र चला। इन तीन महीनों में कितने लोगों के साथ मेरी बात हुई, हर बार यही उत्तर मिला कि अभी दो दिन में आया और दिक्कत नहीं है।... (व्यवधान) मैं कोई कठिनाई की बात नहीं कह रहा हूं। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए, हिन्दुस्तान की जनता मुझसे यह अपेक्षा करती है कि सरकार की आलोचना करूं और तीव्र भर्त्सना करूं जहां पर ये गलती करें। चाहे कश्मीर का कांड हो, चाहे जगमोहन को वापिस बुलाए जाने का मामला हो या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना हो या कीमतों की बात हो तो वहां पर भी मैं आलोचना करूंगा जरूरी समझकर करूंगा। हिन्दुस्तान की जनता कहती है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण वह पार्टी वापिस आ जाए। (व्यवधान)

मैं दिल्ली के प्रतिनिधि के नाते अपना असंतोष प्रकट करना चाहूंगा। इस मामले में सरकार ने मेरे साथी को कह दिया कि जानबूझकर किया।

[अनुवाद]

जान बूझकर या अनजाने, इससे दिल्ली की जनता को निराशा हुई है।

[हिन्दी]

दिल्ली की जनता के साथ भारी अन्याय हुआ है और इस विधेयक को अन्तिम दिन प्रस्तुत

किया गया है। वह भी अधूरा है, कटा-छटा है और उस विधेयक को कोई पढ़े तो कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर इतना निकम्मा बिल कैसे पेश कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार यह वचन दे कि तीनों विधेयक अगले सत्र में बिल्कुल प्रारम्भ में पेश किए जायेंगे और कोई प्रवर समिति को पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सलाह-मशिवरा करना चाहे तो मैं चाहूँगा कि विपक्ष से भी सलाह-मशिवरा करें तो इन तीनों विधेयकों को सत्र में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यह मैं साफतौर पर जानना चाहता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं कहना चाहता हूँ कि

> "इब्तदा-ए-इश्क है, हसता है क्या, रोता है क्या,
> आगे-आगे देखिए होता है क्या"।

[अनुवाद]

डा- सम्पि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने 26 वीं मद अर्थात् प्रसार भारती विधेयक को लिया अर्थात और इस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमारे माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया कि किसे जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त है और इसी तरह की बातें।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे दल ने 11 स्थानों पर चुनाव लड़ा था और हम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुए थे हमें लोगों का विश्वास प्राप्त था। लेकिन कौन सी पार्टी ने विश्वास खो दिया है ? डी. एम. के. पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर उसकी पराजय हुई। यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

मैं प्रसार भारती विधेयक के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करना चाहती है। परन्तु आप जानते हैं कि वहां पर इस समय किस प्रकार की स्वायत्तता है। क्या यही स्वायत्तता है ? सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है ? वे एक सुदूर नियन्त्रण की तरह नियन्त्रण कर रहें हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को दूर से आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए, हम यह जानना चाहते है कि वास्तविक स्वायत्तता क्या है, और क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। हम यह सब एक घण्टे में नहीं कर सकते। इसलिए, मैं आपके माध्यम से, सबंद्ध मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इसको और चर्चा के लिए अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायें।

(व्यवधान)

27 वीं मद भी है जो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में है। इसके बारे में भी हमारे मतभेद हैं। सरकार ने पहले ही पाण्डिचेरी को राज्य का दर्जा देने का वचन दिया था। उसे भी अभी पूरा नहीं किया गया है। परन्तु वे इस विधेयक को पारित करने की जल्दी में है। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से पहले हमें पाण्डिचेरी और अन्य लघु संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने पर विचार करना है। तत्पश्चात्, ही हम वास्तविक रूप में विश्वास कर सकते हैं। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों विधेयकों को अगले सत्र में चर्चा हेतु स्थगित कर दिया जाये।

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मंत्री जी के उत्तर देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सुबह से ही, मैं यह आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि सरकार नियम 193 के अन्तर्गत और नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने को रोकने का प्रयास कर रही है। मैं आज सुबह से ही यह कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत नहीं हूं।

श्री दिनेश सिंह : हमें दिए गये आश्वासन के बावजूद, इस पर चर्चा नहीं हुई। यह सब बिल्कुल अनावश्यक है। सुबह से ही मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत और नियम 184 के अन्तर्गत हमें चर्चा प्रारम्भ करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ है मैं उसके बाद वाले भाग से सहमत हूं।

श्री दिनेश सिंह : आप केवल यह कह रहे है कि आप इसे स्थगित कर रहे है। यह कहना भी आवश्यक नहीं है, यदि सदन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, तो यह स्वतः ही स्थगित हो जायेगा। लेकिन महोदय कम से कम, हम चर्चा तो कर सकते थे। मेरी शिकायत यह है कि सरकार नागालैंड, कश्मीर और तमिलनाडू में एल. टी. टी. ई. की गतिविधियों पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है। माननीय मंत्री जी जानते है कि मैं यह शिकायत सुबह से ही कर रहा हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह उक्त चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे और अब वह बैठ कर हंस रहे हैं। मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रिकार्ड देखिए और पता लगाइये कि इस बीच उन मुद्दों को कार्यसूची की मदों से संबंधित नहीं है पर बात करने पर कितना समय बर्बाद हुआ है। मैं श्री साठे को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उनका जो कुछ विचार है वह सब लोकपाल विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि लोकपाल विधेयक को पिछले सत्र में नहीं लाया गया है। वित्तीय मामलों के कारण यह प्राथमिकता नहीं पा सका और सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। परन्तु इस अवधि के दौरान मैं लाबी में प्रतीक्षा करता रहा, अन्दर आता रहा और जाता रहा और कुछ कारणों से जिन्हें मैं पुनः बताना नहीं चाहता इस विधेयक को नहीं लिया जा सका (व्यवधान) अतः मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को अब लिया जाये। लेकिन मैं सदन की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहता हूं। अगर यह विधेयक अब नहीं लिया जाता है, तब सदन में यह आश्वासन दिया जाना चाहिए और रिकार्ड मे यह शामिल किया जाना चाहिए कि आगामी सत्र में लोकपाल विधेयक विधायी कार्य का पहला मुद्दा होगा (व्यवधान)।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : प्रसार भारतीय विधेयक पर टिप्पणी करने पूर्व मैं माननीय श्री साठे द्वारा अगले सत्र के बारे में की गई टिप्पणियों पर दुख व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : साधारणतया, यह जुलाई में होता है। आप इसे कब करने की योजना बना रहे हैं?

श्री पी. उपेन्द्र : उसने आक्षेप लगाया है और कहा है (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री अन्बारासु इरा : एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि 15 अगस्त को कोई अन्य प्रधान मन्त्री लाल किले पर झण्डा फहराएगा। इसलिए श्री साठे यह आक्षेप ठीक लगा रहे थे कि क्या यह सरकार बनी रहेगी और जिस प्रकार का वह व्यवहार कर रहे हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी. उपेन्द्र : श्री साठे जी इस सदन के बहुत ही आदरणीय और वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरे विचार से उन्हें संसद की विद्यमानता और अगले सत्र के होने के बारे में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संभवत यदि वे सत्ता में बने रहते तो इस संसदीय संस्था को भी बन्द कर दिया जाता।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री साठे जी यदि इसमें आपको कोई संदेह है कि क्या कोई अगला सत्र होगा अथवा नहीं, तो मेरे विचार से इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। हम कुछ देर तक बैठ सकते हैं और इसे पारित कर सकते हैं (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : पूर्व सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया की विश्वसनीयता कम किये जाने के कारण प्रसार भारती विधेयक को लाने और एक स्वायत्तशासी निगम बनाने की आवश्यकता हुई

(व्यवधान)

हमने उनकी बात शांतिपूर्वक सुनी है और अब वे हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्हें बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वे प्रत्येक कर वाक्य के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त कर रहे हैं। हमें भी अपने विचार व्यक्त करने देना चाहिए (व्यवधान)

सारा राष्ट्र जानता है कि पिछली सरकार और पूर्व सत्ताधारी दल द्वारा इस मीडिया का किसी व्यक्तिगत परिवार, समूह अथवा किसी पार्टी आदि के हित में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और हम ऐसी स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणापत्र में और अनेक दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्रों में भी (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री पी. उपेन्द्र राष्ट्रीय मोर्चा और दूसरी अन्य पार्टियों के घोषणापत्रों में, और आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में भी इस मुद्दे अर्थात इलेक्ट्रोनिक मीडिया को स्वायत्तता प्रदान करने को अभिलाषा वश नहीं बल्कि मजबूरी वश सम्मिलित किया गया है क्योंकि सभी पार्टियों ने उसको अपने घोषणापत्र में सम्मिलित किया था (व्यवधान) घोषणापत्र में किये गए वायदे को पूरा करने के लिए नई सरकार अपने पहले सत्र में ही प्रसार भारती विधेयक लायी। आप इस बात से

सहमत होंगे कि उस समय मैंने यह वायदा किया था कि चर्चा की जाएगी और सम्पूर्ण देश में व्यापक रूप से इससे सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। और उस समय तक यह विधेयक परीक्षा के रूप में रहेगा और सुझावों के अनुपालन में हम काफी संख्या में संशोधन में प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार इस पर सारे भारत में चर्चा हुई और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सारे भारत में सैकड़ों संगोष्ठियां और सभायें आयोजित की गई। उनमें मैंने भाग लिया, साठे जी ने भाग लिया, श्री पांजा जी ने भाग लिया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से व्यवधान उत्पन्न न करने की प्रार्थना करता हूं क्योंकि यदि आप चाहते कि चर्चा नियम 193 के तहत की जाए, तो आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। इससे आपका कोई हित नहीं होगा।

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने करीब 1200 संगठनों के उनके विचार जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे थे (व्यवधान) मैं उनका विवरण दूंगा। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूं। यदि आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे और टोकेंगे, तो इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। आपने अपनी बात कहते समय बहुत ही प्रभावकारी मुद्दे उठाए हैं और यही आपके लिए पर्याप्त होगा। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। श्री पांजा बोलते समय बहुत ही प्रबल थे।

श्री प्यारे लाल हांडू : उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं परन्तु इस समय मैं आपकी बात नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

श्री प्यारे लाल हांडू : महोदय, यदि वह स्थगन के हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं तो यह एक बात है। परन्तु यदि वह विचार किए जाने के हमारे अनुरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) वह कश्मीर की स्थिति पर चर्चा होने को नहीं टाल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मुद्दे उठाए गए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उठाये गए कुछ मुद्दों पर उत्तर देने का उनका पूर्ण अधिकार है।

श्री पी. उपेन्द्र : हमने राज्य सरकारों को भी उनके विचार जानने के लिए लिखा था और अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने विचार भेज दिए हैं। मैंने विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना मंत्रियों को 18 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी और विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी मंत्रियों द्वारा विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था। परन्तु मैंने देखा कि कांग्रेस वालों ने अचानक पुनर्विचार की बात उठाई। सरकार ने बार-बार संसद में आश्वासन दिये हैं। (व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशन गंज) : वामपंथियों ने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है। सभी ओर से पुनर्विचार की बात उठाई गई।

प्रो पी. जे. कुरियन : महोदय, उन्होंने हम पर आरोप लगाया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे यह पता चलता है कि आप अपने प्रथम भाषण को बहुत अधिक प्रभावी नहीं बना पाये हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, इससे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पायेंगे

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, वह स्थगित करने की बात नहीं कर रहे हैं। वे केवल रिकार्ड के लिए ही नहीं बल्कि प्रेस के लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। यही उनका इरादा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे किसी को कोई यश प्राप्त नहीं होगा।

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, इस देश में प्रेस स्वतन्त्र है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : आपने जो गुनाह किये हैं, उनको लोग याद रखेंगे। इतिहास तुम्हारे चालीस साल में किए गए गुनाहों को लिखेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, प्राप्त किए गए सभी सुझावों को कम्प्यूटरीकृत लिया गया है और प्राप्त सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात संशोधन लाये गये हैं। इस सभा में सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैंने इस महीने की 22 तारीख को वित्त विधेयक के पारित होने के तुरन्त पश्चात इस विधेयक को विचारार्थ और पारित करने हेतु रखा था। हमने एक दिन भी बर्बाद नहीं किया। मेरा यह विधेयक कार्यसूची में विचार के लिए और पारित करने के लिए पहला विधेयक था। परन्तु, महोदय, अचानक मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी इस पर पुनर्विचार करना चाहती है। यद्यपि मैंने सभा में और सभा के बाहर यह वचन दिया था कि सरकार इस विधेयक को वर्तमान सत्र में ही पारित करना चाहती है और मैंने हमेशा यह बात रखी कि यह कांग्रेस पार्टी के सहयोग पर निर्भर करता है क्योंकि हमें मालूम है कि राज्य सभा में हमारी क्या स्थिति है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वे सहयोग नहीं करेंगे तो विधेयक पारित नहीं हो पायेगा। परन्तु मुझे सबसे पहले उस समय दुख हुआ जब मैंने श्री साठे को एक संगोष्ठी में यह कहते हुए सुना कि हम स्वायत्तता का समर्थन नहीं करेंगे और उन्होंने मुझे यह सलाह भी दी, "इस शक्तिशाली हथियार को मत छोड़ो। आप सरकार चला रहे हैं। इस शक्तिशाली हथियार को मत छोड़ो।" सारी बात यही है (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : यदि कोई मेरा नाम लेता है। और मेरे विरुद्ध कोई आरोप लगाता है, तो नियमों के अधीन मुझे इसके स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। यदि मैं इसे अभी करता हूं तो यही बेहतर है। ताकि वह अपना भाषण जारी रख सके, आप कृपया मुझे बोलने दें (व्यवधान)

उन्होंने मेरे विरुद्ध एक आरोप लगाया है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल शर्मा (उदयपुर) : उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : यह निजी तौर पर बातचीत नहीं थी, यह एक सार्वजनिक संगोष्ठी थी जिसे पार्क होटल में आयोजित किया गया था और जिसमें श्री आडवाणी जी भी उपस्थित थे। यह बताया गया था। प्रैस वाले वहां पर मौजूद थे। उनके दिए गए परामर्श के बारे में भी बताया गया था। उन्होंने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि यह कोई निजी बातचीत नहीं थी। मैं श्री माठे द्वारा दी गई राय की बात को छोड़ता हूं। संविधान (संशोधन) विधेयकों को पारित करने के लिए इस सत्र की अवधि चार दिन के लिए और बढ़ाने के लिए थी और सभा के कार्य निर्धारण में उनकी पूर्व शर्त यह थी कि वे इन विधेयकों को पारित नहीं करने देंगे और इन तीनों विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा जाएगा। वास्तव में मुझे इस पर सहमति देने के लिए ब्लैक मेल किया गया है। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जब तक हम इन तीनों विधेयकों को स्थगित नहीं कर दें, तब तक इस सत्र की अवधि को न बढ़ाया जाये। मुझे उन्हें प्राथमिकता मदों से अलग करना पड़ा और उन्हें अन्तिम दिन ही प्रस्तुत कर सका। और यह देखने के लिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूमि सुधारों से सम्बन्धित संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किए जायें। इन विधेयकों को पारित करवाने की उत्सुकता में मैंने इन्हें स्थगित करने के लिए मुझे दोष दे रहे हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। उन्हें ईमानदारी से काम लेना चाहिए। उन्हें ईमानदारी से आगे आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम स्वायत्तता चाहते हैं। मैं आज सभा में उपस्थित रहने और रात को इन विधेयकों को पारित करवाने के लिए तैयार हूं (व्यवस्था) मैं यह भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि हमें कुछ बाते सदन से अलग भी रखनी होती हैं। परन्तु उन्हें विधेयकों के बारे में हुए विलंब के लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि विधेयकों के बारे में हुए विलम्ब के लिए वे ही उत्तरदायी है और अब वे मुझे दोष दे रहे है कि मैंने विधेयकों को विलम्ब से प्रस्तुत किया है। उनके लिए यह कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान) उनके बदले हुए व्यवहार का मुझे केवल एक ही कारण दिखाई पड़ता है। उनका यह विचार बनता जा रहा है कि सत्ताधारी दल का विभाजन होगा और वे किसी प्रकार सत्ता में पुन: आयेंगे। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उनके ये सपने पूरे नहीं होंगे। यह सरकार पांच वर्ष तक चलेगी। उन्होंने सोचा था कि मेहम काण्ड पर सरकार टूट जायेगी जबकि ऐसा नहीं हुआ है। वे सभी निराश हुए है। मैं जानता हूं कि वे किस हद तक चले गये है (व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर : सूचना एवं प्रसारण मन्त्री को उपप्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को दूरदर्शन पर सही रिपोर्ट देनी चाहिए। यदि आप अपने उपप्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य लिखे गये पत्रों और साक्षात्कार का ही विश्लेषण दें तो आपको अपनी पार्टी की स्थिति के बारे में पता चल जायेगा। परन्तु दूरदर्शन के पास इस सब के लिए कोई समय नही है।

श्री पी. उपेन्द्र : उन्होंने प्रचार माध्यम पर सरकार के प्रभाव का परिचय दिया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्रचार माध्यम अभी भी सरकारी संगठन हैं। इसमें कोई संदेह नही है। इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। मंत्रालय और मैं प्रचार माध्यम

के समुचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए हमें नियंत्रण करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कोई स्वायत्तता नहीं है (व्यवधान) परन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि हमने कार्य करने की स्वायत्तता दी है, इस अर्थ में कि आज वहां कोई हाट लाइन नहीं है। जिसके द्वारा प्रधान मंत्री निवास से अथवा कार्यालय से प्रचार माध्यम, न्यूज रूम के लिए आदेश दिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर : महोदय, इस पर मुझे आपत्ति है। (व्यवधान) उन्होंने बाहर के प्रोड्यूसरों को हटा दिया है। (व्यवधान) उन्होंने स्वयं समाचार कार्यक्रमों का सेंसर किया है। उन्होंने एन. टी. आर के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी एक फिल्म प्रदर्शित की है, और इस प्रकार समाचारों को बढ़ावा देने और संरक्षण करने मे सहायक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मैं उस बात पर भी आऊंगा। चिन्ता न करें। (व्यवधान) महोदय, अब प्रधान मन्त्री सचिवालय के अधिकारी और मंत्री समाचार कक्ष में समाचारों के बारे में आदेश देने और समाचार लिखने के लिए जाकर नहीं बैठते हैं हम ऐसा नहीं करते है। ऐसा नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान) अब कार्य करने की स्वायत्तता है। उन्हें कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु जहां कहीं वे गलती करते हैं, उन्हें बताया जाता है। (व्यवधान) उन्होंने रावकार का क्षेत्रीय नेटवर्क में एन टी. आर. की प्रदर्शित की गई फिल्म के बारे में कहा है। इसे मेरी अनुपस्थिति में पुन: प्रदर्शित किया गया था। श्री पांजा ने इस बात को आज भी उठाया है। (व्यवधान) एक नियम है। कि पुरस्कृत फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए। उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए आदि हिन्दी फिल्मों के बारे में छूट दी गई है कि न केवल पुरस्कृत फिल्मे हा बल्कि अन्य फिल्म भी दिखाई जायें। यह नियम उनके द्वारा ही बनाया गया था। जिसका अनुसरण किया जा रहा है। मै नहीं समझता कि उन्होंने इसमें छूट क्यों दी। मैं इसका कारण नहीं जानता। परन्तु क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के प्रति भेदभाव बरता जाता था। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म के बारे में, वे जोर दे रहे थे कि केवल पुरस्कृत फिल्में ही प्रदर्शित की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी भाषाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। क्योंकि अनेक भाषाओं की ऐसी फिल्मे हैं जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाता है। उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इसलिए फाइल मेरे पास भेजी गई और यह कहा गया कि जिस प्रकार हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में किया जाता है। वह सभी भाषाओं की फिल्मों के सम्बन्ध में भी किया जाना चाहिए। मैंने वस्तु स्थिति को देखते हुए कहा कि यही किया जाना चाहिए। स्थिति यह है। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : एन. टी. आर. की फिल्मों के अलावा अन्य कौन सी फिल्में दिखाई गई हैं। बंगाली फिल्मों के बारे के क्या स्थिति है? केरल को फिल्मे प्रदर्शित करने के बारे में क्या स्थिति है।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्हें दो प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की फिल्में प्रदर्शित की जायें हम चाहते हैं कि केरल की फिल्में प्रदर्शित की जायें। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : अनेक वर्षों से कांग्रेस पार्टी को अच्छे न लगने वाले अभिनेताओं की फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह एक लिखित प्रतिबन्ध था। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट श्री पी. उपेन्द्र जी। मैं समझता हूं कि आधा घंटे में, हम एक दूसरे से प्रसन्न हो जाएंगे। आपको आपसी सद्भाव जैसी बातें करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. चिदम्बरम कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मेरे विचार से मन्त्री अपनी बात समाप्त करने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने केवल उस प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया है। यह एन. टी. आर. की पिछले आठ वर्षों में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म है। यदि एक फिल्म प्रदर्शित कर दी गई है तो कोई अपराध नहीं कर दिया है (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : वह केवल विचार हेतु प्रस्ताव के समय अपना भाषण दे सकते हैं

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मैं केवल एक मिनट और लूंगा (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप मुझसे इस प्रकार नहीं कह सकते। मैंने आपको भी बोलने की इजाजत दी थी।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं तो हम इस विधेयक को अभी पारित कराने को वचनबद्ध हैं। यदि आप चाहें तो हम इस विधेयक को पारित करने के लिए देर तक बैठने को भी तैयार हैं। यदि आप चाहें तो हम सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। हमें इस विधेयक को पारित करना है यदि आप चाहें तो हम कल भी बैठने को तैयार हैं। परन्तु यदि सदन इस मुद्दे को आगे विचार के लिए स्थगित करना चाहता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतराल का प्रयोग संशोधनों आदि पर व्यापक विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। अगले सत्र के पहले सप्ताह में ही हम इस विधेयक को पारित करेंगे। यह भी बात सदन पर निर्भर करती है।

श्री बसंत साठे : मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : पाइण्ट आफ आर्डर लम्बा हो जाता है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर नियमावली के नियम 349 और 352 के तहत है। किताब निकाली जाय, श्रीमन्। निय 349 में सदस्यों द्वारा पालनीय 20 बातें बताई गई हैं और नियम 352 के तहत 11 बातें बताई गई हैं, कुल मिलाकर 31 बातें बताई गई हैं, सदस्यों के पालनीय नियम में लेकिन जब से यह सैशन शुरू हुआ है तब से देखते-देखते आज अन्तिम दिन भी मैं पाइण्ट आर्डर नहीं उठाता और साठे जी जैसे सीनियर आदमी के लिए नहीं उठाता लेकिन मेरे जैसे आदमी को नियम को पढ़ते-पढ़ते असहनीय हो गया है कि अगर कोई सदस्य बोले तो उसमें व्यवधान पैदा करेंगे। इन 31 नियमों का उल्लंन लोग करते रहते हैं उनके भाषण में भी नियम को तोड़ कर मेरे जैसा आदमी भी व्यवधान खड़ा करने के लिए खड़ा होगा। अगर नियम का पालन, माननीय सदस्य सत्ताधारी नहीं करते हैं, जबकि उनको नियम का पालन करना चाहिए, ताकि जो मेरे जैसे नए सदस्य हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़े और सदन की मर्यादा को देख सकेंगे। लेकिन जब आप इतने पुराने सदस्य और इतने वर्षों तक मंत्री रहने वाले, सदन के इन नियमों का उल्लंघन करेंगे और सदन की मर्यादा को गिराने का काम लगातार इस सत्र में कर रहे हैं, तो मेरे जैसे आदमी के लिए यह असहनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान अधिकारी, आप इन नियरों के तहत जिन लोगों ने जितना उल्लंघन किया है, उसको प्रोसीडिंग्स निकालिए और अपने आसन से सख्ती का प्रयोग करते हुए कुछ करिए। यह चेंज चाहे हमारी तरफ से हो या किसी तरफ से हो, नहीं होनी चाहिए। नियम हो, कोई मर्यादा हो कि न हो कि अमर्यादित होकर जो जब चाहे वह बोले और बोल रहे हैं। इस नियम के तहत मैं यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) उनको सुनना पड़ेगा, हम अपने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे दया के पात्र हैं। जब वे सत्ता का सुख भोगते-भोगते इतने असंतुलित हो गए हैं, जिसके कारण उन्होंने सब नियम, कानून, और मर्यादायें सब तोड़ दी हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान नियम 357 की ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) हुक्मदेव जी, आप यदि नियम 357 देख लें, तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने जिस सम्मेलन में उनके साथ भाग लिया था, उसमें अन्य लोग उपस्थित थे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सारा भाषण डिसप्यूटेड नहीं है। सिर्फ डिस्प्यूट क्या है कि आपने आटोनोमी का विरोध किया था।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वही मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : आपका सारा भाषण रिकार्डेड है।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : वे कहते हैं कि मैंने स्वायतता का विरोध किया है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि संसद की कोई समिति गठित की जाये और उसके समक्ष मेरे भाषण का टेप सुना जाये। मैंने

कभी भी स्वायतता का विरोध नहीं किया है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं स्वायतता का पक्षधर हूं। 'प्राटो' का अर्थ है स्वयं 'नोमी' का अर्थ है प्राधिकार दूरदर्शन तथा ए.आई.आर. में लोगों को प्राधिकार दिया जाये। मैं यही चाहता हूं। मैं एक ऐसे आत्मनिर्भर संगठन बनाने के पक्ष में नहीं हूं जो इस देश की संसद को इस प्रचार माध्यम की निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने से वंचित करे। मैंने यही कहा है। और मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री ने गुमराह किया है। क्योंकि हमने अपने घोषिणापत्र में भी इसे बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायतता देने के पक्ष में है और मैं सदैव घोषणा-पत्र में किये गये का पक्षधर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की सहमति से विधेयक पर विचार आगे की तिथि के लिए स्थगित किया जाता है।

---

5 39 म. प.

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 27 लेते हैं। माननीय मन्त्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बारे में मैं पिछले दस सालों से कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम दस सालों से आश्वासन सुनते रहे और अब मंत्री जी यह कहें कि यह इस सरकार का अंतिम आश्वासन होगा और इसके बाद और आश्वासन नहीं दिए जायेंगे। जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि अगली बार बिल लायेंगे. उस बिल का प्रारूप क्या होगा, किस तरह का होगा, उसकी कुछ मोटी-मोटी बातें बता दें तो दिल्ली की जनता की निराशा जो व्याप्त हुई वह दूर होगी।

श्री जे. पी. अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी दिल्ली है। जो बिल पेश करने वाले है, उनसे मदन लाल खुराना का क्या ताल्लुक है। मुझको ऐसा लगता है कि खुराना जी हार पहन कर दूल्हा बनने को तैयार बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : दिल्ली की जनता जानती है कि आपने इस सदन का जितना वक्त (व्यवधान)

श्री जे. पी. अग्रवाल : खुराना जी बारात ले कर चलने को तैयार हैं, घोड़ी अभी आयी नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी की यह बात ठीक है कि यह सरकार इस मुद्दे पर अभी तक अपना विचार नहीं बना सकी है। वास्तव में आपको याद होगा कि यह पिछली सरकार थी जिसने 24 दिसम्बर, 1987 को एक समिति नियुक्त की

थी। उस समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। जब यह रिपोर्ट दी गई तब नई सरकार सत्ता में आ गई थी और इस पर उसे निर्णय लेना था। अब हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। समाचार-पत्रों में दस अथवा बारह मुद्दे बताये गये हैं जिन पर बैठक में सहमति हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके निर्णय की तीव्र आलोचना की थी इसके पश्चात् पांच दिन पूर्व मैंने एक विधेयक का मसौदा देखा, जिसे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी सी. पी. आई. और सी. पी. आई. (एम) को दिया गया है। और यह उस प्रारूप से जो हमें अब दिया गया है बहुत ही भिन्न है। हमने इस विधेयक पर लगभग कई घंटे तक चर्चा की। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस विधेयक और इस विधेयक में सामान्य बात केवल यह है कि यह सरकार दिल्ली की समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। यह सरकार उस विधेयक पर अपना मन बनाने में समर्थ नहीं रही और न ही यह इस विधेयक के अन्तर्विवेक पर मन बनाने में समर्थ रही है। श्री आडवाणी जी की बात पूर्णतया ठीक है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह सरकार पहले परिचालित किये गये विधेयक और अब परिचालित किये गये विधेयक से क्या चाहती है महोदय, वह विधेयक अनेक पृष्ठों में है और इसकी अनेक धाराएं हैं। हमने यह जानने के लिए कई घंटे लगाये कि वे इस विधेयक के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। अब, हमें दूसरा विधेयक प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि वह संविधान संशोधन विधेयक न होने के कारण अनुच्छेद 4(2) के अन्तर्गत साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना था, आज उन्होंने जो विधेयक रखा है, वह संविधान (संशोधन) विधेयक है। यह दूसरे विधेयक से बिल्कुल भिन्न है। ये मामले इस प्रकार नहीं रखे जा सकते। क्योंकि यह सरकार डगमगा रही है और डावाडोल हो गई है और वाद-विवाद में लगी हुई है तथा एक दूसरे की आलोचना कर रही है क्योंकि यह अपने आप में दुर्बल हो गयी है, इसमें अस्थिरता है। वे एक विधेयक को पांच दिन पूर्व तथा दूसरे को आज प्रस्तुत करके संसद की कार्यवाही नहीं चला सकते। इन मामलों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए (व्यवधान) मैं भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन करता हूं। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में आपकी पार्टी का अस्तित्व राजनैतिक दांव पर लगा हुआ है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की भी काफी राजनैतिक बाजी लगी हुई है। अब हम इस पर वाद-विवाद नहीं करेंगे (व्यवधान) हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में आपकी पार्टी का अस्तित्व राजनैतिक दांव पर लगा हुआ है। मेरे माननीय साथी श्री जय प्रकाश जी ने कहा है कि आज हमारे सामने एक गंभीर राजनीतिक संकट है और जनता इसके बारे में निर्णय करेगी। अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा है।

सदन में दक्षिणी राज्यों से आये हुए सदस्यों की संख्या 123 है। देश के इस भाग में भाषायी अल्पसंख्यक रहते हैं। भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष कर तमिलनाडु और केरल प्रदेशों के लोगों के दिमागों में गंभीर आशंकायें हैं। मैं जानता हूं बंगाल आंध्र प्रदेश के लोगों में ऐसी ही आशंकायें हैं। अतः, हमें इस विषय पर पूर्ण निष्पक्षता के साथ विचार करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी दिल्ली राज्य के लिये किसी भी प्रकार की सरकार उभरती है, चाहे कोई भी दल उस सरकार को बनाये, लेकिन वह सरकार दिल्ली में रहने वाले सभी निवासियों के लिये कार्य करती है जिसमें भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय भी सम्मिलित हैं। अतएव, इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करना होगा। मैं गृह राज्य मंत्री से जोकि गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निवेदन करता हूं कि वे भाषायी अल्पसंख्यकों की आशंकाओं पर सहृदयतापूर्वक विचार करें। उनके समुदायों को चर्चा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करें। इन समुदायों के अनेक स्कूल तथा शिक्षण संस्थाएं दिल्ली में चलाये जा रहे हैं। उन्हें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। अतएव, इस

सत्र में इस विधेयक को शीघ्रतापूर्वक नहीं निपटाया जा सकता। इस विधेयक के सभी संबंधित मुद्दों पर शांतिपूर्वक विचार करने के उपरांत ही इसे पारित किया जाना चाहिए।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : मैं इस विधेयक के बारे में पहले से ही कह चुका हूं कि यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जिसे जल्दी से जल्दी निपटा कर पारित किया जाये। परन्तु मैंने एक दूसरे मुद्दे के लिए आपकी अनुमति मांगी थी। जिस प्रकार, सदन का प्रत्येक सदस्य यह जानने की मांग कर रहा है कि क्या इस विधेयक को सदन के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा अथवा नहीं, उसी प्रकार मैं भी सरकार से इस सत्र की समाप्ति के पूर्व यह स्पष्टीकरण देने की मांग करता हूं कि क्या वे काम को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी इस विधेयक को अगले सत्र में प्रस्तुत करेगी अथवा नहीं क्योंकि जिन महत्वपूर्ण विषयों के सहारे यह सरकार सत्ता में आयी है उनमें से यह भी एक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (मिदनापुर) : संबंधित मंत्रालय द्वारा दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक को प्रस्तुत करने के उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाह रवैये के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो, जैसाकि श्री विश्वम्भरम ने अभी अभी कहा, यह सबको मालूम है कि एक के बाद एक अनेक प्रारुप तैयार किये गये। किसी को भी यह नहीं मालूम था कि वास्तव में कौनसे प्रारुप को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम रूप से जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया उसे सभी सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रकाशन काउंटर पर इस विधेयक की कुछेक प्रतियां रख दी गई जोकि विधेयकों को वितरण हेतु निर्दिष्ट स्थान नहीं है। कुछ समय पश्चात यह पता चला कि वहां से भी उन प्रतियों को हटा दिया गया है। फिर आज सुबह, यह विधेयक उन संसदीय पत्रों के बंडल में भी नहीं था जोकि सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है। अधिकतर सदस्यों को यह विधेयक उपलब्ध नहीं हो पाया। सदन में आने तक स्वयं मुझे भी इस विधेयक की कोई प्रति देखने को नहीं मिली और अंततः मैंने इसे किसी अन्य सदस्य से उधार मांग कर लिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा अजीबोगरीब रवैया क्यों अपना गया। इससे पता चलता है कि या तो सरकार इस विधेयक के बारे में निश्चित तौर पर कुछ तय नहीं कर पाई थी अथवा जिन लोगों ने इस विधेयक का प्रारुप तैयार किया था उन्होंने ही सारी गड़बड़ की है। अतएव, इस विधेयक पर अभी विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूरे विषय पर एक बार फिर नये सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता है तथा इसे सदन के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

जहां तक मेरे दल का संबंध है मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे विधेयक का समर्थन कदापि नहीं करेंगे जिसमे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कोई प्रावधान उपस्थित नहीं है। दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित किया जाना चाहिए। केवल तभी हम इस विधेयक पर विचार करेंगे। यह विधेयक तो अभी अधपका है। इसमें कुछ बातों प्रावधान है तो अन्य अनेक महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब हमारे पास इस पर चर्चा करने हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस विधेयक का कोई अर्थ भी नहीं रह गया है।

एक इतने महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारुप का जिसके द्वारा पहली बार देश की राजधानी को राज्य का दर्जा दिया जाना है, अत्यन्त सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए तथा इससे प्रभावित सभी लोगों और विभिन्न दलों के साथ समुचित चर्चा तथा परामर्श के उपरांत प्रस्तुत जाना चाहिए। यह कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस पूरे विधेयक पर सरकार ने आधे मन से काम किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबधो एक एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। हालांकि मेरा विश्वास है कि इस विषय के प्रति सभी दलों की प्रतिबद्धता है कि इस का रूप तथा आकार क्यों हो, इसकी शक्तियों का स्वरूप कैसा हो, प्रादेशिक सीमाएं कहां तक होगी और कानून व्यवस्था कैसी होगी शक्ति किन हाथों में सौंपी जाएगी आदि कतिपय ऐसे मुद्दे है जिन पर पूरी गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान हमने यह एक दम स्पष्ट कर दिया था कि योजना को अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने से पूर्व परिसीमन के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात से बिलकुल स्पष्ट है कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों की विवरणिका में यह बिलकुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक पूरक विधान की व्यवस्था करना आवश्यक है, अन्यथा हमें इस निर्माणाधीन राज्य की प्रकृति तथा उसकी शक्तियों की परिधि के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो पायेगा। अतएवं यह आवश्यक हो जाता है कि हमें संविधान (संशोधन) विधेयक के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किये जा रहे दूसरे विधेयक की भी सभी शर्तों और मूलभूत विचारों की पूरी जानकारी हो। जब तक हमें यह जानकारी नहीं होगी, हमारे लिये इस विषय पर अपनी अंतिम राय बनाना तथा सुधार के उद्देश्य से कतिपय सुझाव देना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। वास्तव में, पूर्ण जानकारी के अभाव में इस पर चर्चा करना करना ही असंभव है। और अब समय भी नहीं बचा है। अतएवं, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सदन के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाये। अगले सत्र के आरम्भ होने से पूर्व का समय दूसरे विधेयक के ढांचे को तैयार करने तथा उस पर चर्चा करने के लिये उपयोग किया जा सकता है। हम इस पर विचार करने के इच्छुक हैं। तथा यदि समय उपलब्ध हो, हम इसके बारे में सुझाव भी देना चाहते हैं। अतएवं, महोदय, इस विधेयक को अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो आज यहां पर इंट्रोड्यूज किया गया, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें अब इस समय कोई ज्यादा च्वाइस हाउस के सामने नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1952 में दिल्ली में विधान सभा बनी और उसके बाद विधान सभा को तोड़ दिया गया। तब से लेकर दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने और स्टेट असेंबली बनाने की मांग लगातार 1958 से लेकर आज तक, 32 साल से चली आ रही है। हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार सरकार की ओर से दिल्ली को स्टेट बनाने के बारे में एक कमिटमेंट आया है घोषणा की गई है, बिल इंट्रोड्यूज किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे एक नई आशा पैदा हुई है। आज तक यही कहा जाता रहा कि दिल्ली को स्टेट मिल ही नहीं सकती, स्टेट बन नहीं सकती और दिल्ली को कभी स्टेट नहीं बनाया जाएगा और इसके बारे में लगातार 32 साल तक यहां की जनता की भावनाओं को दबाया जा रहा। दिल्ली की जनता को सैल्फ रूल नहीं मिला, दिल्ली की जनता को सेल्फ रूल मिले, इसके लिए आज यहां पर इस बात का कमिटमेंट हुआ, इस बात की हमें खुशी है। परन्तु इस बात का दुख भी है कि यह बिल हाफ-हार्टेड तरीके से लाया गया, इससे कोई ज्यादा परपज सर्व नहीं होता, सिवाए इसके कि जो कहा गया कि आगे बिल फिर लाना पड़ेगा। वह भी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। एक कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आज हो और दूसरा कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट फिर बाद में हो, इससे कोई अच्छी परम्परा नहीं बनती है। सिवाए इसके और कोई

ज्यादा है भी नहीं कि अगले सेशन में एक ही बार पूरी तरह से इसको पास किया जाए। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि दिल्ली को स्टेट मिलने, स्टेट असेंबली बनने में सब सहयोग करें यह न हो कि अगली बार भी जब हम लोग मिलें तब किसी बहाने से, किसी बात से इसको रोकने की कोशिश की जाए, डेढ़ महीने बाद सेशन होगा, उस सेशन में इसको पास न करने का फिर कोई इसके लिए बहाना न ढूंढा जाए। इसलिए अगली बार हम लोग आशा करते हैं कि सब लोग मिल-कर दिल्ली के लोगों की अम-आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसे अगले सेशन तक स्थगित करने में हमें ज्यादा एतराज नहीं है, क्योंकि यह एक झुनझुना सा है, इसमें कोई जान नहीं है, जो बिल आज लाया गया है, इससे कोई परपज भी सर्व नहीं होता है, इसको आज अगर पास कर भी दें तब भी यहां पर कोई स्टेट असेंबली बन नहीं सकती, तब भी अगले सेशन में इसको पास करना होगा। इसलिए अगर सब लोग चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से देख लिया जाए तो हम इस पर एतराज नहीं करते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार पूरी तरह से इसको पास किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए इस सरकार ने शुरुआत की है, क्योंकि दिल्ली में आज तक कोई जवाब-देह सरकार नहीं रही। हमारा इसमे कोई विरोध नहीं है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इसके साथ-साथ इस बात को भी देखना चाहिए कि दिल्ली में जनसंख्या कितनी बढ़ी है और और पार्लियामेंट की एक सीट के लिए तो 3 लाख 80 हजार मतदाता हैं और एक सीट के लिए 7 लाख मत-दाता हैं। इसलिए इस असमानता को दूर करने के लिए इसके साथ ही परिसीमन बिल भी लाया जाए, ताकि यह असमानता दूर हो सके।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, यह बात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही है और बिल भी आज सदन में लाया गया है। इस बारे में मैं सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सरकार से कहना है कि इस बिल को स्थिरता से सोच-समझ कर सदन में लाना चाहिए। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 1981 की जनगणना को आधार न मानकर 1989 की जनगणना को आधार मानकर वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। क्योंकि इस बीच में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बिहार से और जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा साउथ से भी बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या -5-55-75 लाख के लगभग दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली के सभी नए लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और विधान सभा क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या बराबर रखी जानी चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, 72वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत् दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में जो देश के सामने और दिल्ली की जनता के सामने सरकार का फैसला था हमने उसी कमिटमेंट के तहत् आज इस संविधान संशोधन विधेयक को मूव किया है। हम यह विधेयक इस विश्वास के साथ लाए हैं कि सरकार ने जो वायदा किया है, उसे पूरा करें। (व्यवधान)

श्री जे. पी. अग्रवाल : असेम्बली को पावरस क्यों नहीं दी गयी ? ऐसी असेम्बली का क्या फायदा ? (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रही है। इसके लिए कमेटी बनायी गयी। उसने रिपोर्ट दी कि दिल्ली का यूनियन टैरीटरी बनाया जाए। कुछ और भी रिपोर्टें आयीं। उन रिपोर्टों के बाद जितने संबंधित दल थे, संबंधित लोग थे, क्योंकि दिल्ली के संबंध में मैं चिदम्बरम साहब की बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वासियों की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी है और उसी मर्यादा को रखते हुए इसको राज्य का दर्जा दिया जाए, यह हमारा कमिटमेंट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कांग्रेस दल से सलाह नहीं ली गई थी। अतः उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सभी दलों से परामर्श लिया गया था।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, जो आपने राय दी है उसकी तारीफ कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : 40 साल तक आपने क्यों नहीं दिया ? मैट्रोपालिटन काउंसिल के चुनाव भी नहीं कराए। (व्यवधान) जिस काम को 40 साल में नहीं कर पाए, आज एक महीने में चाहते हो कि हो जाए। (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अभी दिल्ली लेफ्टीनेंट गवर्नर के तहत है, उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन के तहत है। लेकिन जो नयी व्यवस्था होगी, उसमें गवर्नर होगा, पब्लिक सर्विस कमिशन होगा और जो भी राज्य के तहत आने वाले वाले अधिकार हैं, वे दिल्ली को मिलेंगे। इसमें सात लोक सभा की सीटें बनायी जायेंगी, जिससे विधान सभा में लोग चुन कर आएं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी जाएगी कि अपाइंटिड डेट के पहले वह डी-लिमिटेशन का काम पूरा कर दे। जिससे माननीय सदस्यों की जो राय है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो और सही प्रतिनिधित्व दिल्ली राज्य को मिले। (व्यवधान)

श्री जे. पी. अग्रवाल : आपने मैट्रोपोलिटन काउंसल क्यों तोड़ी ? आप बिल इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले थे। आपने चुने हुए नुमाइंदों को क्यों हटाया ? मैट्रोपोलिटन कौंसिल को क्यों तोड़ा ? आपको कोई अधिकार नहीं था। (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उसमें तो साथ दीजिए। अभी तक चिल्लाते रहे हैं ये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जहां तक देरी की बात है वह देरी इसलिए नहीं हुई है कि सरकार की नीयत नहीं थी, बल्कि देरी इसलिए हुई है कि हर एक स्तर पर, आखिरी वक्त तक प्रोपोजल आयी है कि दिल्ली को दो भागों में बांट कर इसमें एक यूनियन टैरीटरी बनायी जाए और एक को राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसा मैंने कहा दिल्ली देश की राजधानी है, सरकार ने उस प्रोपोजल को नहीं माना। एकताबद्ध

6.00 म. प.

रखने के लिए यह जो थोड़ा समय लिया है इसके चलते हुए सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। इसके काम करने जो प्रावधान हैं इस बिल के तो वह अगले सत्र में लाना चाहते हैं। इसके लिए कहना चाहता हूं कि संवैधानिक राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सदन संशोधन पास कर देता है तो आसान हो जायेगा और इस कार्य अवधि के तहत जब इलैक्शन कमीशन डीलिमिटेशन का पूरा कर देगा तो फिर विधान सभा के चुनाव पूरे कराकर यहां जनता की सरकार बनाई जा सकती है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि संशोधन को पास कर दिया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कार्यसूची में मद सं. 28 नियम 193 के तहत चर्चा के बारे में है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। हम रात के आठ बजे तक सदन में बैठ सकते हैं और इस विषय पर आज चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम कार्यसूची की मद संख्या 27 को निबटाएं, अब, सदन की सहमति से संविधान संशोधन (बहत्तरवां) विधेयक पर किसी अगली तारीख तक के लिए विचार करना स्थगित किया जाता है। अब, मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री, श्री अजित सिंह सदन के सभा पटल पर रखेंगे।

6.03 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र-(जारी)

लघु तथा कृषि या आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए नीति निर्धारण

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : महोदय, मैं लघु तथा कृषि पर उद्योगों के संवर्धन के लिए नीति सम्बन्धी उपाय और औद्योगिक अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 1144/90]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं नियम 193 के अधीन कश्मीर की स्थिति पर चर्चा कराने की जोरदार मांग करता हूं। आप इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित नहीं कर सकते। हमें इस चर्चा को आज ही समाप्त कर देना होगा। इससे पहले भी कई मौकों पर हम रात 8 बजे तक सदन में बैठे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) चूंकि आज के दिन की कार्यवाही में प्रासंगिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, और आज इस सत्र का आखिरी दिन है अत: मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि सदन के सत्र के अंतिम कुछ दिनों में जो भी समय खराब हुआ है उसके लिए सदस्य अपने मिलने वाले भत्तों के एक भाग को छोड़ दें। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 8वीं लोक सभा में भी उन सदस्यों के कारण काफी समय नष्ट करना पड़ा था (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, श्री सोज द्वारा रखे गए सुझाव से हम सहमत हैं, कश्मीर का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है तथा इस पर अभी बहस पूरी नहीं हुई है मेरी समझ से उनका कहना सही है कि यदि हम सदन की बैठक डेढ़ दो घंटे तक बढ़ा दें तो कश्मीर का मसला समाप्त किया जा सकता है,

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि इस माह की 22 तारीख को माननीया गृह मंत्री जी ने कुछ टिप्पणियां की थी; पहली यह कि उन्होंने 21 तारीख को मृतकों की जो संख्या बताई थी उस पर मैंने बताया था कि उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा गलत है तथा उन्हें घटनास्थल का निरीक्षण करके मरने वालों की वास्तविक संख्या का पता लगाना चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिए, दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है और तब मैंने मरने वालों की सही संख्या बताई लेकिन उन्होंने कहा कि यह संख्या आतंकवादियों द्वारा दी गई हैं अत: मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है मैंने कहा कि यदि वह अपना वक्तव्य वापस ले लेते हैं तो मैं इस प्रस्ताव पर जोर नहीं दूंगा अत: उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए यहां मौजूद होना चाहिए उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए तथा गलत बयान वापस ले लेना चाहिए (व्यवधान) गृह मंत्री यहाँ नहीं हैं, किसी भी वरिष्ठ मंत्री को इसे वापस लेने के लिए उठना चाहिए, लेकिन मेरा आग्रह यही है कि इस संबंध में गृह मंत्री को ही आज उत्तर देना चाहिए (व्यवधान) गृह मंत्री यहां नहीं हैं, उन्हें यहां होना चाहिए

6.06 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था कीजिए,

श्री वसंत साठे : हम आपका समर्थन करते हैं प्रो. सोज,

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सोज, मैंने आपकी बात सुन ली है,

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मैंने कहा था कि गृहमंत्री ने मृतकों की गलत संख्या बताकर सदन को गुमराह किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उठा चुके हैं, व्यवस्था का सवाल क्या है।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : इसका दूसरा भाग भी है, कृपया मुझे सुनिए, मुझे व्यवस्था के इस सवाल पर अपनी बात पूरी करने दीजिए.

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : कई बार उठा चुके हैं

अध्यक्ष महोदय : आखिरी दिन है,

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : दूसरा भाग इस प्रकार है जब मैंने मृतकों की संख्या बताई तो उन्होंने कहा, 'यह वह संख्या है जिसे आपको आतंकवादियों ने दी है" मैंने उनके इस कथन पर आपत्ति प्रकट की और पूछा, "तब हमें सही संख्या बताइए," इस पर उन्होंने कहा कि जब वह बहस का देंगे तब अपनी त्रुटि का सुधार कर लेंगे अत: उन्हें गलत संख्या को सही करना चाहिए तथा उन बयानों को वापस ले लेना चाहिए,

महोदय, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था जिसे रिकार्ड कर लिया गया है कि वह मृतकों की सही संख्या बताएंगे तथा अपनी टिप्पणी वापस ले लेंगे,

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं कहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री उपेन्द्र को बुला रहा हूं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : कश्मीर पर जो चर्चा शुरू हुई थी वह विषय हमारे सामने है। यह ठीक है कि आज आखिरी दिन है, लोग थके हुए हैं। वहाँ से जो 20-20 या 10-10 हजार लोग भागकर विभिन्न स्थानों पर आये हैं उनके सामने भी दिक्कतें आ रही हैं उनमें गलत बातें भी मिल जाती हैं और इसके साथ ही कश्मीर के अन्दर परिवर्तन हुआ है नये राज्यपाल आये हैं इसलिए सदन में बहस हो तो उनके लिए एक भावना बनेगी कि वह कैसे काम कर सकते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि आप कटौती करके थोड़े समय में इस चर्चा करा लें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल शर्मा (उदयपुर) : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर 22 मई को चर्चा हुई थी। उसके बाद काफी बदलाव आया। आज वो सुपर पावर इस पर चर्चा कर रही हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब बनी इनकी गलत नीतियों की वजह से (व्यवधान) मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला बना गया है। इन्होंने मान लिया है कि इनकी नीति गलत थी। इनकी गलत नीतियों की वजह से मुल्क में हालात पैदा हो गये।

(व्यवधान) इन्होंने जार्ज फर्नान्डीज साहब को पहले कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर इन्चार्ज बनाया और बाद में उनसे वह चार्ज भी छीन लिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धर्म पाल शर्मा जी, बस, अब आप बैठ जायें।

श्री धर्मपाल शर्मा : इन्होंने कश्मीर से सम्बन्धित एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर दिया। (व्यवधान) इन्होंने खुद यह मान लिया कि कश्मीर के सम्बन्ध में हमारी नीतियां गलत थीं। जब से यहां जनता सरकार सत्ता में आयी है, तभी से सारे मुल्क में जनता परेशान है। इनकी गलत नीतियों की वजह से कश्मीर की जनता बेहद चिन्तित है। इनकी गलत नीतियों ने मुल्क को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, बस, आप बैठ जायें। मैंने उपेन्द्र जी को बुला लिया है।

श्री धर्म पाल शर्मा : 28 मई, को वहां जो परिस्थितियां पैदा की गयीं, वे बड़ी खतरनाक है (व्यवधान) अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारने की कोशिश की गयीं, सी. आई. डी. के एक आफिसर को अगवा कर लिया गया। (व्यवधान) इन्होंने कश्मीर की जनता का बड़ी दूर तक विश्वास खो दिया है। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, ये बोल नहीं सकते। स्वयं इनकी पार्टी के 50 एम· पीज ने अपने होम मिनिस्टर को बर्खास्त करने का अभियान छेड़ दिया है। हर मामले में ये फेल हुए हैं और इनकी नीतियों की वजह से कश्मीर के हालात बिगड़े है। (व्यवधान)

———

6.11 म. प.

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : अध्यक्ष, महोदय, इससे पहले कि सत्र की समाप्ति पर मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूं, मैं उन संबंधित सदस्यों से क्षमा याचना चाहूंगा जिनके द्वारा दिए गए तीन मदों पर हम आज अपने हर संभव प्रयास के बावजूद चर्चा नहीं करा सके लेकिन, निश्चय ही हम इन प्रश्नों पर ध्यान दें तथा जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहना चाहा है उससे मैं संबंधित मंत्रियों को अवगत करा दूंगा मंत्री उन्हें लिखित जानकारी देंगे महोदय, हम एक लम्बा सत्र को पूरा कर रहे है, हमने सदन की 53 बैठकें कीं, जो पिछले साल से अधिक हैं हमने इस सत्र में काफी भारी भरकम कार्यों को निपटाया है, जिसमें बजट तथा अनेक सांविधानिक (संशोधन) विधेयक शामिल है हमने नो मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा की जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना अधिक है, हमने 'लत-बोझों' से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया है,

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : ऐसा तभी संभव हुआ है जब विपक्ष द्वारा आपको 'रचनात्मक सहयोग' दिया गया है।

श्री पी. उपेन्द्र : हम सदन को आम सहमति के आधार पर चला रहे हैं, जैसा कि इस सरकार को भी आम सहमति के आधार पर चला रहे है, मैं विपक्ष के नेता तथा विभिन्न दलों के समस्त

नेताओं एवं अन्य अधिकारी गणों को उनके द्वारा दिए गए शानदार सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं आपको विशेषरूप से सदन की कार्यवाही का संचालन कुशलतापूर्वक चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं आप बड़ी संख्या में मुद्दों पर नियम 193 184 तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत बहस की अनुमति देने में काफी उदार रहे हैं, जो सबसे प्रशंसनीय बात जो आपने की है वह है 'शून्यकाल' काल का विनियमन, यद्यपि अभी भी हम इस पर ज्यादा से ज्यादा समय नष्ट कर रहे हैं, लेकिन अब यह विनियमित है, उपाध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने बड़ी निष्ठता से आपको सहयोग दिया है एक ओर जहां आप विविध मदों पर बहस की अनुमति देने में उदार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधेयकों को पारित करने में आप हम सबके लिए काफी सहायक सिद्ध हुए हैं, हम सदन में काफी देर देर तक बैठे हैं यहां तक कि हमने अपना भोजनावकाश भी छोड़ दिया. अतः मैं उन सदस्यों से माफी चाहता हूं जिनको कोई असुविधा हुई है एक ओर असाधारण बात हुई है, हमने बिना किसी रात्रि भोज तथा बिना कोई धन-धन खर्च किस सत्र का संचालन किया है, इसके लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं, सदस्यों ने स्वयं रात्रि भोज की बात ठुकरा दी थी, कभी-कभी हमारे बीच-बीच में तीखी बहस भी हुई यह संसदीय लोकतंत्र का एक हिस्सा है हम विपक्ष में रह चुके है अतः हमें पता है कि विपक्ष को क्या करना होता है और कभी-कभी उन्हें अपनी अंतःकरण की आवाज के विपरीत भी यह करना पड़ता है, हम इसे समझते हैं कभी हमने अपने समझौतों को तोड़ा है तो कभी हमने उसे अंजाम दिया है जो भी हो हमने कार्यों को, यदाकदा पड़े व्यवधानों के अलावा बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया है वे भी इस बात से सहमत होंगे कि इस मामले में वे हमसे बेहतर नहीं हो सकते।

मैं एक बार पुनः सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और यदि मुझसे या मेरे मंत्रालय से कोई त्रुटि हुई हो सदन तो उनके लिए मैं सदस्यों से माफी चाहता हूं, कभी कभार हमने कार्य के दबाव की वजह से अपना संतुलन भी खो दिया क्यों कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी खतम करना चाहते थे।

मुझे सदन के महासचिव को भी, सदन के कार्यवाही संचालन में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहिए मुझे ज्ञात नहीं है कि आपने उनके सेवा काल में वृद्धि की है लेकिन आज उनका अंतिम कार्य दिवस माना जा रहा है मुझे नहीं पता कि इस संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है लेकिन यदि वह आज सेवानिवृत हो रहे हैं तो हमें उन्हें अवश्य ही उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह सेवानिवृत नहीं हो रहे हैं उनके सेवाकाल को बढ़ा दिया गया है।

श्री पी. उपेन्द्र : तब उन्हें बधाई मिलनी चाहिए, मुझे लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों स्टाफ, रिपोर्ट, प्रेस तथा उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए जो लोक सभा की कार्यवाही संचालन से संबंधित हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस अगस्त के प्रारम्भ में शुरू होने वाले अगले सत्र में और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने के लिए विधेयकों जिसमें वे मद भी शामिल है जिन्हें आज स्थापित कर दिया गया है, पुनः मिलेंगे।

महोदय, मैं चेयरमैन के पैनल के सदस्यों को धन्यवाद देना भूल गया। अब मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : क्या मैं अब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं कि अब बजट सत्र पूरे मिलनसारी के माहौल में समाप्त हो गया है ? सर्वप्रथम, मैं आपको, हम सबका इस लम्बे सत्र के दौरान मार्गदर्शन करने के लिए, धन्यवाद देना चाहूंगा आपने शून्यकाल के दौरान एक नई और अच्छी परम्परा चलाई है जिसने वास्तव में शून्यकाल की गरमागरमी को दरकिनार कर दिया है तथा जो सदस्यों को उस प्रश्न पर बोलने की इजाजत देता है जिसके बारे में वे काफी चिन्तित होते हैं, आप द्वारा शुरू किया गया यह नया अभिनव परिवर्तन वाकई बहुत अच्छा है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी सदन की कार्यवाही का संचालन कुशलतापूर्वक करने तथा समस्त सदन को प्रेरणा मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा चेयरमैन के पैनल के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : और प्रेस ?

श्री बसंत साठे : प्रेस की बारी बाद में आएगी, उसे मैं अंत में धन्यवाद दूंगा पर धन्यवाद की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होगी।

मैं श्री पी. उपेन्द्र को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ा है।

श्री बसंत साठे : मैं श्री पी. उपेन्द्र को इसलिए व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह पहला मौका है जब वे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बड़े कठिन और दुरूह कार्यों का निष्पादन कर रहे थे राज्य सभा में विपक्ष का नेता रह चुके पी. उपेन्द्र को अब संसद के दोनों सदनों को एक साथ देखना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में एक नए व्यक्ति के लिए संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका निभानी बहुत कठिन कार्य है अब उन्हें अपने कार्यों में सक्षम सहायकों द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है लेकिन उन्होंने अपनी इस भूमिका का निष्पादन हंसते हुए किया है जबकि उन्हें कभी खिन्न तो कभी उदास भी होना पड़ा है लेकिन मुझे कहना होगा कि उन्होंने अपने महान अभिनेता नेता के बड़े अच्छे शिष्य को साबित किया है, महोदय, आप जानते हैं, उन्होंने एक फिल्म में तीन बड़ी कठिन भूमिकाएं निभाई हैं, ये भूमिकाएं हैं दुर्योधन, कर्ण और कृष्ण भी है श्री पी. उपेन्द्र को भी इन भूमिकाओं को व्यावहारिक रूप से यहां राज्य सभा, लोक सभा, कार्य मंत्रणा समिति में तथा एक सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में निभानी पड़ी है कितनी कठिन भूमिकाओं को उन्हें निभाना पड़ा है श्री उपेन्द्र जी अवश्य ही मुझे आपको बधाई देनी चाहिए मैं महासचिव को उनके सेवा काल में वृद्धि होने पर बधाई देता हूं। मैं सचिवालय के पूरे स्टाफ को, जिनमें नए सदस्य भी शामिल हैं, उनके द्वारा दिए गए योगदान और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं प्रेस, दूरदर्शन और संचार माध्यमों को भी इस सदन की कार्यवाही प्रसारित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन की कार्यवाही जिसने हमें अगले दिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों को पुनः उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे बहुत से नए मित्र यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन्होंने यहां तक कि नये सदस्यों ने भी सदन की कार्यवाहियों और सभा की प्रक्रियां समझने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है और मैं अपने सभी युवा और नए सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा जो हमारे साथ इस सदन में उपस्थित हैं। (व्यवधान)

इसके बावजूद, संसद महाभारत नहीं है। यह संग्राम-स्थल नहीं है। यहां कामरेड हैं जो चाहे हम यहां पर कितनी भी नाराजी प्रकट करें। अन्ततः हम सभी का उद्देश्य देश के लोगों की सेवा करना है इसलिए हम अपनी मर्यादाओं को जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक पार्टी को अपनी मर्यादाओं की जानकारी है। अपनी मर्यादाओं की जानकारी रखते हुए मुझे विश्वास है कि इस सरकार के पहले सबसे लम्बे सत्र का यह अनुभव भविष्य में होने वाले सत्र में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा जो कि दूर नहीं है।

आमतौर पर मानसून सत्र जुलाई में होता है। मुझे आशा है कि यह 15 अगस्त के पूर्व जुलाई अगस्त में होगा। आम तौर पर 15 अगस्त को हम लाल किले पर जाते हैं। अतः मैं आपके मार्गदर्शन में नये सत्र की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या झंडा प्रधान मंत्री द्वारा फहराया जाएगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फहराया जायेगा।

श्री बसंत साठे : चाहे कोई भी फहराये यह हमारा विषय नहीं है। दूसरी तरफ हम उनके नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं, यह निर्णय करना उनका काम है कि कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति उस समय झंडा फहराएगा। यह सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी और श्री आडवाणी के समर्थन पर निर्भर करता है, उन्हें वहां होना चाहिए।

परन्तु हमारा सत्र अच्छा रहा। मेरी यह इच्छा है कि श्री उपेन्द्र जी को इस सत्र को उत्सव के रूप में मनाने के लिए कम से कम आज रात हम सभी को रात्रि भोज देना चाहिए ताकि हम एक साथी की भावना से पुनः सम्मिलित हो सकें।

एक बार मैं पुनः अच्छी भावना प्रदर्शित करने के लिए सभी को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, वर्तमान लोक सभा का दूसरा सत्र आज समाप्त हो जाएगा सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में मुझे और मेरे साथियों उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका के सदस्यों को अपना सहयोग दिया। 12 मार्च, 1990 को आरम्भ हुआ यह एक लम्बा व व्यस्त सत्र रहा। इस सदन की 53 बैठकें हुई, जिसमें 386 घंटों से अधिक समय लगा।

मेरे सहयोगी श्री शिवराज वी. पाटिल 19 मार्च 1990 को इस सदन में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किये गए। इस अल्पावधि में ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करके प्रतिष्ठित पीठासीन अधिकारी के रूप में अपना स्थान बनाया है।

हमेशा की तरह, यह सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा से आरम्भ हुआ और यह चर्चा 3 दिन से अधिक समय तक चली। बजट सत्र होने के कारण सदन का अधिकांश समय वित्तीय कार्य सम्पन्न करने में लगा। 14 मार्च, 1990 को प्रस्तुत रेल बजट पर सामान्य चर्चा

4 दिन तक चली। 19 मार्च, 1990 को प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा 3 दिन तक जारी रही। सदन में 9 मंत्रालयों विभागों की मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। 29 मंत्रालयों/विभागों की अनुदान संबंधी मांगों को गिलोटिन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, रेल और सामान्य बजट दोनों के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई और इन्हें सदन ने पारित किया। चूंकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन है, अतः 1990-91 के लिए राज्य बजट में लेखानुदान की मांगों और साथ ही 1989-90 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया।

सदन में 229 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त, 4 अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आधे घंटे की 7 चर्चाएं हुईं। चालू सत्र में 3 संविधान संशोधन विधेयकों सहित 17 विधेयक पारित किए गए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये संविधान (65वां, 6‹ वां और 68 वां (संशोधन) विधेयक, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1990; वित्त विधेयक, 1990; स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1990 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 1990।

गैर-सरकारी सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर विधेयक प्रस्तुत करने में काफी दिलचस्पी दिखाई इस सत्र में 62 विधेयक पुर:स्थापित किए गए जिनमें से 3 विधेयकों पर चर्चा की गई। श्री अमर राय प्रधान द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो सभी नागरिकों को 'रोजगार का अधिकार' देने से संबंधित था पर काफी दिलचस्पी दिखाई गई।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव सुधार की आवश्यकता संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे सदन ने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु नियत चार दिन में 9½ घंटे से अधिक समय तक लंबी चर्चा करने के बाद बिना किसी विरोध के स्वीकार किया गया। इस चर्चा में 51 सदस्यों ने भाग लिया।

अत्यन्त लोक महत्व के विषयों से संबंधित दो स्थगन प्रस्तावों अर्थात् पंजाब में बढ़ती हुई आतंकवादी, गतिविधियों राजनीति से प्रेरित हत्याओं और राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम-स्वरूप प्रजातंत्र को खतरे पर चर्चा हुई। दोनों ही प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

लोक महत्व के विषयों जैसे देश में साम्प्रदायिक स्थिति, इण्डियन एयरलाइन्स एयरबस ए-320 का दुर्घटनाग्रस्त होना, मूल्य वृद्धि, दिल्ली में आग लगने की दुर्घटनाएं, इत्यादि पर 14 अल्पावधि चर्चाएं हुई और दो विषयों अर्थात् तमिलनाडु में 'लिट्टे' की गतिविधियों और काश्मीर के मौलवी मोहम्मद फारूक मीरवेज की हत्या पर चर्चाएं पूरी नहीं हुईं।

जम्मू व काश्मीर की स्थिति और नागालैंड के राज्यपाल के आचरण के निरनुमोदन पर भी चर्चाएं हुईं। उस पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से 16 महत्वपूर्ण विषय उठाए गए जैसे काश्मीर की स्थिति नर्मदा बांध परियोजना, एक्सप्रेस समूह की कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम का कथित उल्लंघन, दिल्ली में बम विस्फोट, फिजी की स्थिति, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, सदन में पांच सरकारी। सांविधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। 14 मार्च 1990 को महान स्वतंत्रता सेनानी नेलसन मंडेला की

दक्षिण अफ्रीका की जेल में 27 वर्ष तक बन्द रहने के बाद रिहाई का स्वागत करते हुए सदन ने सर्वसम्मति में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया।

21 मार्च, 1990 को सम्पूर्ण सदन द्वारा नामीबिया को औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता प्राप्त होने पर वहाँ की जनता को बधाई दी गई।

25 मई, 1990 को, मेरे से पूर्व सुविख्यात अध्यक्ष श्री के. एस. हेगडे जिन्होंने जुलाई 1977 से जनवरी, 1980 तक इस सदन की अध्यक्षता के निधन पर सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

हमें दो मनोनीति सदस्यों सहित इस नये सदस्यों जिन्होंने शपथ ली। प्रतिज्ञान किया और इस सदन के सदस्य के रूप में हमारे बीच सम्मिलित हुए, का स्वागत करने का अधिकार प्राप्त है।

इस सदन की कार्यवाही को शालीनता से चलाने में सभी सदस्यों, दलों और दल के नेताओं द्वारा अत्यधिक सहयोग देने के लिए मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद देता हूँ।

अगली बैठक होने तक मैं सभी सदस्यों की खुशहाली चाहता हूँ।

अब सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

6.29 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

———

कृष्णा प्रिंटिंग वर्क्स, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-6

पी० एल० एस० 48/7/53/90 (एन०)
210

© 1990 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।